जून - 2014
वर्ष - 12 अंक - 3

सुगन्ध

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र
की गृह-पत्रिका

संपादकीय

आजाद मन से राष्ट्रीयता का विकास

कहा जाता है कि मन का विस्तार सपनों की जगमगाती जमीन पर होता है और जीवन-स्वप्न में प्रतिबिंबित एहसास ही आपकी दुनिया में वह रंग भरता है, जो पतझड़ बहार में भरता है या फिर गर्मी की तपन सावन में भरती है। इसीलिए मन जब कभी मायूस होने के कगार पर हो तो हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रकृति का नियम है, चिलचिलाती ग्रीष्म के बाद सुरसुरी भरे सावन का सृजन करना।

हमारे हाथ में अपने मन की आजादी का जतन करना मात्र है। कभी अपने मन के बारे में सोचिए। उसकी स्वतंत्रता की पड़ताल कीजिए। उससे बातें कीजिए, तब शायद आप अपने आप से वास्तविक रूप से मुखातिब होंगे और इस भ्रांति को नकार देंगे कि मन स्वच्छंद है। क्योंकि जब आप अपने मन से बातें करेंगे तो पाएंगे कि आपका मन आप ही के बुने ताने-बाने में उलझ कर रह गया है। आपने उसकी आजादी का गला घोंट दिया है। आप यह भी पाएंगे कि वह आपका मार्गदर्शक अथवा हितैषी न होकर एक गुलाम व मात्र आज्ञाकारी मित्र की तरह आपका साथ निभा रहा होता है। यह स्थिति ठीक नहीं है। कई बार हम सुनते हैं कि संसार में जिन लोगों ने अपने मन की बातें या अंतरात्मा की बातें सुनीं, वे ही लोग महान हुए हैं।

मैं महान बनने की वकालत नहीं कर रहा हूँ और ना ही मेरा कोई उपदेशात्मक उद्देश्य है। मैं मात्र अपनी बात को अपने कर्म और राष्ट्रीय उद्देश्य से जोड़कर सुगंध के पाठकों, लेखक-लेखिकाओं, शुभचिंतकों के समक्ष रखना चाहता हूँ। क्योंकि पिछले महीने तक देश का राजनीतिक माहौल चुनाव की वजह से काफी गर्म था। फिलहाल देश के राजनीतिक परिवेश में एक महत्वपूर्ण बदलाव आ गया है।

यह भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर पाँच वर्ष के बाद देश के आम नागरिक को अपनी अपेक्षाओं का आकलन करने का मौका दिया जाता है और साथ ही उसे अपना मन पसंद शासक चुनने का विकल्प भी दिया जाता है। देश की प्रबुद्ध जनता ने अपने विकल्प को चुन लिया है और देश में एक नए संकल्प के साथ नई सरकार आ गई है।

नई सरकार के आते ही हिंदी के नाम पर एक विवाद हो गया। हिंदी के पक्ष और विपक्ष में भाषणों का दौर शुरु हो गया। इस विवाद से हिंदी का कुछ नफा-नुकसान तो हुआ नहीं, बल्कि देश में व्यापक रूप से स्वीकार्य राजभाषा हिंदी की अंतर्निहित भावना कुछ आहत जरूर हुई। हिंदी के लिए लड़ना आवश्यक नहीं है। भाषा मन से जुड़ी हुई होती है और यदि भाषाप्रेमी उसे अपनी मन की स्वच्छंदता से जोड़ लेते हैं, तो उस भाषा के विकास को कम से कम लोकतांत्रिक देश में तो कोई रोक नहीं सकता।

हिंदी के मामले में एक विडंबना यह है कि इसे अधिसंख्य भारतवासी भारत की राजभाषा मानने की वकालत करते हैं। लेकिन कतिपय कारणों से इसे अपने मन की स्वच्छंदता से नहीं जोड़ पाते, इसीलिए इसके प्रसार की गति धीमी है। अन्यथा हिंदी फिल्मों अथवा कुछ लोकप्रिय टी.वी. धारावाहिकों का ही उदाहरण ले लीजिए, इनको देखने के लिए किसी को अभिप्रेरित करने की जरूरत नहीं होती। मजे की बात तो यह है कि जो दर्शक हिंदी का कम ज्ञान रखते हैं, वे भी इन्हें देखते हैं और उन्हें हिंदी न जानने का मलाल भी होता है।

हिंदी को विवाद के दायरे में लाना उसके अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ करने जैसा है। इसलिए देश के नीति नियंताओं को चाहिए कि हिंदी में पर्याप्त रोजगार पैदा करने का यत्न करें और हिंदी प्रेमी अपने आजाद मन से इसे अपनाएँ तो यह बहुत शीघ्र ही विश्व भाषा बन जाएगी।

आज भारत औद्योगिकीकरण की राह पर तेजी से अग्रसर है और देश का बाजार वैश्विक उत्पादों के लिए खुला हुआ है। बहुत सी कंपनियाँ देश में उपलब्ध सस्ते श्रम और कच्चेमाल की उपलब्धता के कारण भारत में ही अपने प्रतिष्ठानों की स्थापना कर रही हैं। अब सरकारों को चाहिए कि जैसे वह कंपनियों को पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण आदि जैसी स्वीकृतियाँ प्रदान करती हैं, वैसे ही उन कंपनियों के समक्ष यह भी शर्त रखें कि उन्हें अपने उत्पादों की जानकारी और विवरण हिंदी में अवश्य दें, क्योंकि हिंदी अधिसंख्य जनता द्वारा बोली जानेवाली भाषा है और यह ग्राहकों का अधिकार बनता है कि उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पादों की जानकारी उन्हें सुगमता से प्राप्त हो। इस शर्त से हिंदी का बहुत भला होगा और देश के नागरिकों को उनका अधिकार भी मिल जाएगा।

प्रिय पाठकगण जूगनू तभी तक चमकता है, जब तक वह उड़ता रहता है। मन का भी ऐसा ही हाल है। जब मन थक या उचट जाता है, तब हम तमस की ओर बढ़ने लगते हैं। इसी प्रकार हमारा हिंदी के प्रति राष्ट्रीय प्रेम भी है। जब तक हम अपने मन की गहराई में इस प्रेम को बचाए रखेंगे और आजाद मन से इसके प्रचार-प्रसार से आबद्ध रहेंगे, तब तक हिंदी की राष्ट्रीय भावना को कोई आंच नहीं आएगी और हिंदी अपनी अंतर्निहित ताकत से उत्तरोत्तर विकास करती रहेगी। इन्हीं कुछेक शब्दों के साथ सुगंध का नवीनतम अंक आपको समर्पित करता हूँ।

संपादक

विषय सूची

'सुगन्ध'

वी एस पी की त्रैमासिक गृह-पत्रिका

वर्ष-12 अंक-3 जून, 2014

संपादक

वै बालाजी

उप-संपादक

वी सुगुणा

गोपाल

संपादकीय कार्यालय

विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र

कमरा सं.245, पहला तल

मुख्य प्रशासनिक भवन

विशाखपट्टणम-530 031

दूरभाष: 0891-2518471

मोबाइल: 9989888457 & 9949844146

ई-मेल: vspsugandh@rediffmail.com

vspsugandh@gmail.com

'सुगन्ध' में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं और उनके प्रति 'विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र प्रबंधन' जिम्मेदार नहीं है।

सृजनात्मक स्तंभ

कहानी

नैनं दहति पावक:	श्रीमती सुधा गोयल	9
विरोध (लघुकथा)	श्री सीताराम गुप्ता	12
मोक्ष	डॉ मदन सैनी	18
ओह जिंदगी	श्रीमती राजलता	30
रिश्ते (लघुकथा)	श्री सीताराम गुप्ता	31
नये जीवन का सफर	श्रीमती अल्पना शर्मा	39

बाल-सुगन्ध

भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान और उपलब्धियाँ	सुश्री रश्मि कुमारी	35-37

कविता

मुक्तक, गीत व गजल	डॉ रश्मि शील	22-23

लेख

हरित विकास या हरित आतंक: एक प्रश्न	श्री ब्रजेश रजक	05
हिंदी पत्रकारिता: इतिहास एवं विकास	श्रीमती वी सुगुणा	13
मानस में लक्ष्मण रेखा नहीं है	श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव	27
वाह, मौत वाह!	डॉ दादूराम शर्मा	32
इतिहास के झरोखे में सागर	श्री सुरेंद्र अग्निहोत्री	41

अध्यात्म

मन की शांति		38

मानक स्तंभ

संगीत सरिता		26
वी एस पी के बढ़ते कदम - सिविल अभियांत्रिकी विभाग		33
आओ भाषा सीखें		44
कार्य-कलाप		24-25

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 116वीं बैठक

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड-विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 116वीं बैठक 30 जून, 2014 को संपन्न हुई। बैठक के दौरान सेवानिवृत्त निदेशक (कार्मिक) श्री वै आर रेड्डी के उत्कृष्ट योगदान एवं बहुमूल्य सेवाओं को स्मरण किया गया तथा संगठन में राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उनके प्रति आभार व्यक्त किया गया। साथ ही उसी दिन सेवानिवृत्त हो रहे महाप्रबंधक (मानव संसाधन) एवं राजभाषा अधिकारी श्री ए राधाकृष्ण के मार्गदर्शन में संगठन में हिंदी के विकास हेतु आयोजित विविध कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का उल्लेख किया गया तथा सेवानिवृत्ति पश्चात उनके सुखमय जीवन की कामना की गई।

तत्पश्चात पिछली तिमाही के दौरान संगठन में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा की गयी। तत्पश्चात तिमाहीवार राजभाषा संगोष्ठी के आयोजन के संबंध में गृह मंत्रालय एवं इस्पात मंत्रालय से प्राप्त पत्रों पर विचार-विमर्श किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि मुख्यालय के साथ क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों के कर्मचारियों की प्रतिभागिता को सुनिश्चित करते हुए ऐसी संगोष्ठी के आयोजन की संभावना पर विचार किया जाए।

बैठक में निदेशक (प्रचालन) श्री उमेशचंद्र, निदेशक (परियोजना) श्री पी सी महापात्रा, निदेशक (कार्मिक) डॉ जी वी एस प्रसाद एवं कार्यपालक निदेशक (संकर्म) एवं अन्य वरिष्ठ प्राधिकारी उपस्थित थे।

आपकी पाती ✉ हमारी थाती

'सुगंध' का सितंवर, 13 अंक मिला। यह अंक भी पूर्ववर्ती अंकों की भाँति सफल अंक है। मुझे श्री ललन कुमार के संपादकीय को पढ़ने की लत पड़ गई थी। उनका संपादकीय गजब का होता था। इस अंक में जब नये नाम से संपादकीय 'नये संकल्प के साथ...' पर प्रथम दृष्टि पड़ी तो मन में दुविधा पैदा हुई कि पता नहीं इनकी अभिव्यक्ति कैसी होगी? पर आपका संपादकीय पढ़ा तो मन ही गद्‌गद नहीं हुआ, इसके साथ बुद्धि और आत्मा भी चमत्कृत हो उठी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि श्री ललन जी के संपादकीय को 'श्रेष्ठ' कहता हूँ तो आपके संपादकीय को क्या कहूँ? बहरहाल आप दोनों ही अद्वितीय हैं और आप दोनों पर माँ सरस्वती के साथ ही बल-बुद्धि-विद्या के भंडारी हनुमान जी की भी कृपा है। यूँ भी हनुमान को 'लला' याने 'ललन' से ही संबोधित किया जाता है, जैसे आरती कीजे हनुमान लला की' और बालाजी को तो हनुमान का रूप माना ही जाता है। आपके प्रेरणाप्रद सामाजिक समरसता प्रधान, हिंदुस्तान एवं हिंदी के पक्षधर सामयिक, सशक्त एवं संतुलित संपादकीय की जितनी भी प्रशंसा की जाय, कम है। आमुख की परिचयात्मक प्रतीकात्मकता तथा आवरण के अंतिम पृष्ठ का प्रेरक 'जरा गौर करें' श्लाघनीय हैं।

इस अंक में चित्रेश कृत 'किस्सा वाली काकी' का शीर्षक तो आकर्षक है ही, अपने अंतर में अन्य कहानी को समेटनेवाली इस कहानी की 'Nostalgia' (अतीत मोह) भी यादगार है। श्री शैलेंद्र तिवारी की 'सीट' यथार्थ के धरातल पर युगानुसार लिखी गई भावों और रिश्तों को झकझोरनी वाली कहानी है। श्रीमती अनिता रश्मि कहानी विधा की सिद्ध हस्ताक्षर हैं। इनकी कहानी 'जलकुंभी' तरुण रूप-लावण्य और उत्तेजना के पैरों पर चलती अच्छी तारुण कहानी है, पर यह प्रेम कहानी नहीं हो सकती। वर्ण-व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए आज के सरकारी स्वास्थ्य सेवा सिस्टम की अच्छी खबर ली गयी है। इसमें कविताएँ दोनों ही संतोषजनक हैं। श्री राम नारायण सिंह मधुर के 'प्रेम रोग' को पढ़कर पुराने प्रेम रोगी भी ठहाका मारते हुए चंगे हो सकते हैं। वास्तव में ऐसे व्यंग्य बिना अनुभव के नहीं लिखे जा सकते हैं। 'क्रोध' बहुत अच्छा है, श्री राम शर्मा आचार्य कहा करते थे कि क्रोध आने पर तत्काल ठंडा पानी पीना चाहिए। श्री अमित कुमार की कहानी निस्संदेह प्रथम पुरस्कार के योग्य रही होगी, इसका पूर्वार्द्ध पढ़ने को नहीं मिला। 'बाल सुगंध' की रचनाएँ भी अच्छी हैं, पर इनमें और सुधार की संभावनाएँ भी थीं। आलेखों में मेरे अनुसार श्री गोपाल जी का 'संगठनात्मक विकास और व्यक्तित्व' सर्वश्रेष्ठ आलेख है। व्यक्तित्व के विकास से संबद्ध यह बहुआयामी लेख दार्शनिक, अध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक तथा सांगठनिक आदि कई कोणों से दृष्टि प्रदान करता है। इसमें लेखक के ज्ञान के साथ अंतर्ज्ञान (Intuition) का भी योग है। अलबत्ता डॉ कृष्ण कुमार गोवर का लेख सन् 2000 के बाद की गतिविधियों पर कुछ नहीं बोलता।

- श्री ओम प्रकाश मंजुल, बरेली

'सुगंध' पत्रिका के दिसंवर, 13 और मार्च, 14 अंक संगोष्ठी विशेषांक 'अभिज्ञान' सहित प्राप्त हुए। संगोष्ठी विशेषांक औद्योगिक विकास के साथ ही संयंत्र की पर्यावरण सुरक्षा के प्रति सजगता का प्रमाण है। सुगंध से कई वर्षों से रचनात्मक जुड़ाव इसलिए है कि 'सुगंध' गृह-पत्रिका होकर भी साहित्यिक पत्रिका के दायित्वों का सफल निर्वहण करती है। हमेशा की तरह प्रस्तुत अंकों का संयोजन, संपादन बड़ी सूझ-बूझ के साथ किया गया है। कहानियाँ पठनीय और लघुकथाएँ प्रभावी हैं। जगजीत सिंह और नागार्जुन पर लिखे लेख विशेष लगे। मानक स्तंभ तो पत्रिका के आकर्षण हैं।

- डॉ राजेंद्र तिवारी, कानपुर

वी एस पी की त्रैमासिक गृह-पत्रिका 'सुगंध' का मार्च, 14 का अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका की साज-सज्जा तथा सामग्री संचालन अत्यंत आकर्षक है। पत्रिका में संकलित सभी लेख उच्चकोटि के तथा ज्ञानप्रद हैं। संपादन और कलेवर की दृष्टि से 'सुगंध' पत्रिका सुरुचिपूर्ण है।

- श्री राज बहादुर गुप्ता, राऊरकेला

'सुगंध' के दिसंवर, 13 व मार्च, 14 के अंक एवं 'अभिज्ञान' संगोष्ठी अंक प्राप्त हुए। 'अभिज्ञान' में प्रस्तुत सामग्री अपने आप में विशेष और बेजोड़ है। सभी लेख अनुभवों के आधार पर और तथ्य निरूपण तथा दीर्घ परिणामों की चर्चा करते हुए हैं। इस्पात उद्योग में कार्बन उत्सर्जन और उससे होते दुष्परिणामों के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। पर इस विशेषांक में पर्यावरण मैत्री प्रौद्योगिकी के उपाय, कार्बन उत्सर्जन को रोकने के उपाय जैसे लेखों को पढ़कर बहुत जानकारी प्राप्त हुई। विशेषांक सिर्फ संग्रहणीय नहीं, तो एक दस्तावेज भी है। कारण आंकड़े जो प्रस्तुत किये गये हैं, वे महत्वपूर्ण हैं। आज महाविद्यालयों में पर्यावरण संबंधी अध्ययन हेतु यह विशेषांक एक मील का पत्थर साबित होगा। सभी विद्वज्जनों को प्रणाम करते हुए मैं इस कार्य के लिए आपका अभिनंदन करती हूँ।

- डॉ विद्या केशव चिटको, नासिक

'सुगंध' के दिसंवर, 13 और मार्च, 14 के अंक मिले। दोनों अंकों की साज-सज्जा तो बेहतरीन है ही, स्तरीय कहानियों, शोधपरक लेखों एवं भावप्रवण गीतों तथा गजलों से भी सुसज्जित हैं। दिसंवर अंक में प्रकाशित डॉ संजय खापर्डे का लेख 'प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा' बड़े परिश्रम से लिखा गया लेख है और हमारी प्राचीन गौरवमयी चिकित्सा पद्धति पर प्रकाश डालता है। यह लेख अपने शीर्षक से भी आगे बढ़कर सिर्फ 'शल्य-चिकित्सा' तक सीमित न रहकर पूरे चिकित्सा विज्ञान पर प्रकाश डालता है। इस लेख में ऐतिहासिक विसंगति चली गई है। जीवक को विंविसार के पुत्र अभय का दत्तक पुत्र बताया गया है और उसे भगवान बुद्ध के संपर्क में आने की बात कही गई है। प्रथम तो यह विंविसार के पुत्र का नाम 'अभय' न होकर 'अजातशत्रु' था, जिसका काल 493-461 ई.पू. का रहा है और भगवान बुद्ध का जन्म धर्मानंद कोसम्वी के अनुसार 623 ई.पू. में हुआ था। इसी अंक में दादूराम शर्मा का आलेख पूर्ववत् सिद्धतापूर्ण है।

मार्च, 14 अंक में श्री अखिलेश त्रिवेदी 'शाश्वत' की सभी गजलें प्रभाव छोड़ती हैं। 'तुमसे रिश्ता निभाना चाहता हूँ' आज की पीड़ित मानवता के लिए संजीवनी मंत्र जैसा है। जिन्हें जिंदगी सताती हो, वे कृपया ग्यारहवीं गजल एक बार और पढ़ लें। श्री सुरेश उजाला की 'राष्ट्रभाषा हिंदी' कविता देखी तो भ्रम हुआ कि कहीं व्याकरण की पुस्तक का कोई पृष्ठ तो नहीं खुल गया है। कविता में योजक चिह्नों की भरमार ही उसे 'अकविता' बना डालता है। श्री बारनाल पापाजी के लेख 'दर्शन वाहक धर्म' का मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ। यह लेख विभिन्न धर्मों, दर्शनों, विश्वासों, परंपराओं की व्याख्या का संक्षिप्त समुच्चय है। इससे पाठक को इनका त्वरित बोध हो जाता है। दर्शन और धर्म को समसामयिकता से जोड़ने का काम लेखक ने बड़े कौशल से किया है। सामयिकता भी ऐसी जो आगामी काल को भी अपनी परिधि में घसीट लेती है। प्रस्तुत लेख लिखने और प्रकाशित होने के पश्चात सत्य साई बाबा को लेकर उठे विवाद का समाधान लेख की इस पंक्ति में दिया गया है- 'ईश्वरत्व के भाव का दर्शन हमारी प्रवृत्तियों में होना चाहिए।'

हर अंक में प्रस्तुत की जा रही सामग्री 'जरा' नहीं बहुत गौर से पाठक पढ़ता है। संपादक मंडल को साधुवाद।

- श्री सुधीर निगम, कानपुर

हरित विकास या हरित आतंक - एक प्रश्न

- श्री ब्रजेश रजक -

हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अच्छाई एक सीमा के पश्चात बुराई का सबब भी बन सकती है, जैसा कि सम्राट अशोक के अहिंसक होने के पश्चात उसके राज्य में हुआ। हरित विकास का प्रश्न भी इसका अपवाद नहीं हो सकता। भारत सरकार लगभग सभी उद्योगों में हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रही है। सरकार का यह प्रयास निश्चित ही अनुकरणीय है, परंतु ऐसी परिस्थितियों से विदेशी निवेशक झिझकते हैं और परियोजना के क्रियान्वयन में देरी होती है, जिससे लागत में वृद्धि होने की आशंका होती है।

कभी-कभी पर्यावरण संरक्षण संबंधी कानूनों के कारण औद्योगिक विकास की योजनाओं को ग्रहण लग जाता है और वे वर्षों तक अधर में लटकी रहती हैं। उड़ीसा राज्य में कई वर्षों से विभिन्न प्रकार की अनुमतियों के बीच अधर में लटका कोरिया का पॉस्को इस्पात परियोजना इसका ज्वलंत उदाहरण है। वैसे तो पुराने पर्यावरण कानून, जिनका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है, निवेशकों में मात्र आतंक फैलाने का काम ही कर रहे हैं।

योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने भी **22** सितंबर **2013** को अपने उद्बोधन में इस बात को स्वीकार किया कि पर्यावरण एवं वन संबंधी मंजूरी की प्रक्रिया मनमानी, गैर-वैज्ञानिक एवं गैर पारदर्शी है। हमारे देश में लगभग सभी प्रकार के महत्वपूर्ण अयस्कों के भंडार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, फिर भी विदेशी निवेशक भारत में या भारत में स्थित अपनी कंपनियों में निवेश लगाने से कतराते हैं। कबीर दास का दोहा जो अति के संबंध में है, यहाँ सटीक बैठता है, यथा:

'अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप।
अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप।'

इसी प्रकार 'अति सर्वत्र वर्जयेत' भी शास्त्रोक्त है। अति सर्वत्र हानिकारक ही होती है, चाहे वह अच्छी मंशा से बनाये गये पर्यावरण संबंधी कानून ही क्यों न हो। निवेशकों को पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने हेतु न जाने कितने दफ्तरों, मंत्रियों एवं सरकारी बाबुओं के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर एक कानून के अंतर्गत दी जाने वाली मंजूरी प्राप्त कर ली तो किसी अन्य कानून के लिए किसी और दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ता है। यह अच्छी बात है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने निवेशकों की इस परेशानी को अच्छी तरह समझा और दिल्ली में आयोजित एक संगोष्ठी में घोषित किया कि एक प्रस्तावित राष्ट्रीय पर्यावरण मूल्यांकन एवं निगरानी प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, जो पर्यावरण मंजूरी देने की प्रक्रिया में सुधार एवं बेकार के लाइसेंस परमिट राज को दूर करेगा। **05.06.2014** को विज्ञान व पर्यावरण केंद्र ने सरकार से पर्यावरण मामलों के लिए एकल खिड़की प्रणाली लागू करने की माँग की है, जिसके पश्चात भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने भी संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए **09.06.2014** को एकल खिड़की प्रणाली लागू करने के सरकार के संकल्प को फिर से दोहराया। इस दिशा में तुलसी दास जी का एक दोहा प्रासंगिक है।

'मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहुँ एक।
पालइ पोसई सकल अंग, तुलसी सहित बिबेक।।'

इसका अर्थ है कि किसी भी संगठन का केंद्र मुख के समान होना चाहिए, जो खाने-पीने को तो अकेला है, परंतु विवेकपूर्वक सभी अंगों का पालन पोषण करता है। अत: किसी भी प्रक्रिया की केंद्र-बिंदु हमेशा एक ही होनी चाहिए। हमारी सरकार ने अब एकल खिड़की सिद्धांत को बढ़ावा देना आरंभ कर दिया है एवं हरित विकास की दिशा में आने वाली सभी अड़चनें किसी केंद्रीय प्राधिकरण की अनुमति से दूर हो सकेंगी।

> अमेरीका एवं इंग्लैंड में भवन निर्माण (Real Estate) व्यवसायियों को अपनी परियोजनाएँ आरंभ करने हेतु किसी भी पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। वे सरकार को केवल एक बैंक गारंटी देकर अपनी परियोजना आरंभ कर सकते हैं। पर्यावरण स्वीकृति की भारतीय प्रक्रियाओं में भी इसी तरह के लचीलेपन की आवश्यकता है। एक और विकल्प यह है कि सारी अनुमतियाँ किसी परियोजना के प्रारंभिक चरण में ही प्रदान कर दी जायें एवं इसके पश्चात किसी कानून का उल्लंघन पाये जाने पर उस इकाई को कड़ी से कड़ी सजा दी जाय, इसके लिये दंडात्मक जुर्माना बढ़ाना आवश्यक है।

भारत सरकार ने मंत्री समूहों को समाप्त करके बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। पहले पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृत होने के पश्चात फाइलें विशेष सेवा मंत्रालयों, जैसे विधि एवं वित्त में फँस जाती थीं। अब पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति के तुरंत बाद ही परियोजना कार्य आरंभ किया जा सकेगा।

हरित आतंक एवं उद्योग - एक परिचय :

भारत के संविधान के अनुच्छेद-**48**(अ) के अनुसार भारत सरकार, वातावरण की सुरक्षा एवं सुधार तथा जंगल व वन्य-जीव संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है। अपनी इस जिम्मेदारी को पूर्ण करने हेतु सरकार समय-समय पर पर्यावरण संबंधी कानून

जारी करती है। इन सभी कानूनों को मिलाने से एक कानूनी ढांचा बनता है, जो देश में दी जाने वाली पर्यावरण संबंधी अनुमतियों को विनियमित करता है।

पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि इन कानूनों से तैयार कानूनी ढांचा तंत्र ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। भारत की सरकारी कंपनियों को भी कानूनी पचड़ों में उलझने से बहुत नुकसान हो रहा है। कोल इंडिया के **2011-12** वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार **179** ब्लॉक सरकारी मंजूरी का इंतजार कर रहे थे। जैसा कि हम जानते हैं कि देश के ताप विद्युत संयंत्र कोयले की कमी का सामना कर रहे हैं, यदि उपरोक्त ब्लॉकों में खनन की अनुमति मिल गई होती तो संभवत: हमारे ताप विद्युत संयंत्रों को कोयला संकट से नहीं गुजरना पड़ता और न ही सरकार की किरकिरी होती। देश में कई परियोजनाएँ आज बिजली की समस्याओं से जूझ रही हैं। बिजली की कमी का प्रभाव इस्पात उद्योग, तेल उद्योग आदि से लेकर लघु उद्योगों पर भी पड़ा।

भारत सरकार भी नये कानूनों को लाकर 'नो-गो' जोन पर लगे प्रतिबंधों को धीरे-धीरे समाप्त कर रही है। परंतु राजनीतिक व सामाजिक कारणों से अनुमति मिलने में अत्यधिक समय जाया हो रहा है। वेदांता एल्यूमिनियम की वनमंजूरी का **2011** में रद्द किया जाना इसका ज्वलंत उदाहरण है। सरकारी अधिकारियों के बीच समन्वय का अभाव, क्षेत्राधिकारों का संघर्ष एवं कानून की उचित व्याख्या को लेकर समझ का अभाव, निवेशकों में अनिश्चितता पैदा कर रहे हैं। यदि उन्हें इतने सारे प्रयत्न करने के बाद अनुमति प्राप्त भी हो जाती है तो उसके बाद में रद्द हो जाने का भी भय बना रहता है। अनुमति न मिलने पर निवेशकों से भारी मात्रा में जुर्माना वसूल किया जाता है।

फिक्की (FICCI) के महासचिव ने निवेशकों की इस समस्या को बहुत ही गंभीरता से समझा और यह सुझाव दिया है कि सरकार लाइसेंस राज को समाप्त करके उसके बदले में कंपनियों को सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप उद्योग की स्थापना हेतु अनुमति पहले प्रदान कर दे, फिर यदि कंपनियाँ उन दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करती हैं तो उन पर मामलेवार भारी अर्थदण्ड लगाए जाएँ। इस प्रकार कंपनियाँ स्वत: ही पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करेंगी और कार्पोरेट जगत में पर्यावरण के कानून का भय भी बना रहेगा तथा निवेशकों को अनुमतियों के लिए चक्कर काटने में लगने वाले वक्त एवं धन की बचत होगी।

योजना आयोग ने भी वर्ष **2006** में पत्र लिखकर केंद्र एवं राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे अनावश्यक पर्यावरण मानदंड समाप्त करें। योजना आयोग ने स्वीकार किया है कि भारत में निवेश की राह में आनेवाली अड़चनों में सख्त पर्यावरण मानदंड प्रमुख कारण हैं।

इस्पात उद्योग, हरित प्रौद्योगिकी व कानूनी अड़चनें - एक व्याख्या :

भारतीय इस्पात बाजार एक बहुत ही संभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र है, जिसमें देश-विदेश की प्रमुख कंपनियाँ निवेश करना चाहती हैं। परंतु पर्यावरण कानूनों के अनुचित उल्लंघन का भय उन्हें सताता रहता है। उदाहरण हेतु पॉस्को की पर्यावरण संबंधी मंजूरी को **2010** में सिर्फ इसलिए रद्द कर दिया गया, क्योंकि कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया गया पर्यावरण प्रभाव आकलन में व्यापकता नहीं थी। उचित यह होता कि इस मंजूरी को संदेह की स्थिति में प्रथमदृष्ट्या प्रदान ही नहीं किया जाना चाहिए था, इससे निवेशक का धन एवं समय दोनों बच जाते। यही नहीं, **2012** में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कंपनी के काम को पुन: रोक दिया, क्योंकि पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना **2008** के कुछ प्रावधानों का उचित रूप से पालन नहीं किया गया था।

ये कानूनी नियम इस्पात उद्योग की वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं। इसलिए एम बी शाह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सेल, टाटा स्टील एवं आदित्य बिड़ला गुप, पर्यावरण एवं वन संबंधी कानूनों के उल्लंघनों में शामिल कंपनियों में प्रमुख कंपनियाँ हैं। ये कंपनियाँ हरित प्रौद्योगिकी हेतु करोड़ों रुपये खर्च करती हैं। सेल इस वर्ष निवेश हेतु उपयोग किये जाने वाले **750** खरब रुपयों में से **100** खरब रुपये सिर्फ पर्यावरण संरक्षण संबंधी मुद्दों पर खर्च करेगा।

इन सबके बावजूद स्थिति यह है कि सेल की बोलानी व बारमुआ लौह अयस्क खदानों एवं टाटा स्टील की जोदा ईस्ट,

जोदा वेस्ट, मनमोरा, गुरुदा, मालदा, खानबंध एवं वामेवेरी खदानों में जिंदल स्टील की टी आर बी खदानों एवं आधुनिक मेटालिक्स की कुलुम खदानों ने विना पर्यावरण मंजूरी के भी अपना उत्पादन जारी रखा। खान व खनिज (विकास व विनियम) अधिनियम **1957** की धारा **21(5)** के अनुसार यदि किसी कंपनी के पास पर्यावरण मंजूरी नहीं है और वह कंपनी उत्पादन जारी रखती है तो उसे उत्पादित इस्पात का बाजार मूल्य जमा करना पड़ता है। इतने कठिन नियमों के पश्चात भी देश की प्रमुख कंपनियों को इन कानूनों का उल्लंघन करना पड़ रहा है तो इसका कारण यह है कि इस्पात उद्योग की समस्त खदानें, वनों के बहुत ही भीतर होती हैं। इसलिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों का पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भारतीय इस्पात उद्योगों के लिए प्रचुर मात्रा में खनिज, जल एवं बिजली की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण कानूनों का इस्पात उपयोग पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। नई दिल्ली स्थित विज्ञान व पर्यावरण केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय इस्पात कंपनियाँ वायु प्रदूषण, ठोस कचरा प्रबंधन, कार्बन उत्सर्जन एवं जल प्रदूषण के स्तर पर कानूनों का सर्वधिक उल्लंघन कर रही हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार इस्पात इंडस्ट्रीज, एस्सार स्टील एवं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड सर्वाधिक हरित इकाइयाँ हैं, परंतु सेल का प्रदर्शन बहुत ही बदतर है।

कोई यह कतई नहीं कहेगा कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को विकास हेतु अनदेखा किया जाए। परंतु व्यापक विकास हेतु एक सटीक नीति की आवश्यकता है। राष्ट्रीय इस्पात नीति **2012** के अनुसार इस्पात उद्योग में होने वाले विकास का मूल्य पर्यावरण एवं स्थानीय समुदायों को चुकाना पड़ा है। इसी नीति में यह भी सुझाया गया है कि इस्पात उद्योगों को स्थाई विकास सुनिश्चित करते हुए स्थानीय लोगों का न्यूनतम संभव विस्थापन और उनकी आजीविका को होने वाले नुकसान को निरंतर कम करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए निवेशकों को वातावरण मैत्री उपायों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। इस नीति के अंतर्गत अयस्क उत्पादन में आनेवाली रुकावटों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रयासों पर जोर दिया गया है।

पर्यावरण विनियामक ढांचे का विश्लेषण:

जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भारत सरकार बहुत ही गंभीर है एवं इसके लिए नये कानून भी बनाए गए हैं। वन संरक्षण अधिनियम, **1980** वन क्षेत्र भूमि को गैर-वन क्षेत्र की भूमि में परिवर्तन का विनियमन करता है। राज्य सरकारें केंद्र सरकार की अनुमति के बिना वन भूमि के गैर-वन भूमि के रूप में उपयोग हेतु स्वीकृति नहीं दे सकतीं। केंद्र सरकार का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इन प्रस्तावों को अनुमति प्रदान करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, **1986** एक समग्र कानून है, जो पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार हेतु एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत उद्योगों को प्रतिवर्ष प्रदूषण नियंत्रण मंडल को पर्यावरण विवरण प्रस्तुत करना होता है। किसी भी परियोजना के पर्यावरण संबंधी प्रभावों का आकलन भी इसी अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। इस आकलन को व्यवस्था प्रदान करने हेतु पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, **1994** को लागू किया गया। यह उद्योगों को परिवेशी वायु, गुणवत्ता एवं शोर के स्तर के अनुमेय मानकों को सुनिश्चित करने हेतु विवश करता है।

एक प्रख्यात विज्ञान पत्रकार वियंका नोग्राडी के अनुसार पर्यावरण प्रभाव आकलन की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होने के साथ-साथ एक विवादास्पद प्रक्रिया भी है। व्यापारीगण समय व लागत के नुकसान हेतु इस प्रक्रिया को लेकर आशंकित हैं, तो सामाजिक कार्यकर्ता इसकी दक्षता को लेकर। पर्यावरण सलाहकार, प्रभावित जनता एवं पर्यावरण विशेषज्ञों की भी पर्यावरण प्रभाव आकलन को लेकर अलग राय है।

बहुत लोगों का यह भी मानना है कि सरकार, पर्यावरण प्रभाव आकलन में आनेवाली परियोजना के दुष्प्रभावों की परियोजना के क्रियान्वयन पश्चात जाँच नहीं करती। सरकार को इन सब आलोचनाओं को समेकित करके एक समरूप प्रणाली का आरंभ करना चाहिए। इस प्रणाली के अंदर पर्यावरण प्रभावों के न सिर्फ सीधे एवं इसके निकटतम प्रभावों को ही देखा जाय, बल्कि अपरोक्ष एवं दूरगामी प्रभावों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि एक बार पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रस्तुत करने के पश्चात परियोजना में कोई भी कानूनी अड़चन न आने पाये एवं निवेशक बिना किसी भय के अपनी परियोजनाओं को कार्यान्वित कर सकें।

वस्तुत: भारत में पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया परियोजना स्थल के चयन से प्रारंभ होती है। इसके पश्चात पर्यावरण प्रभावों का आकलन किया जाता है। फिर अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु आवेदन दिया जाता है। फिर राज्य पर्यावरण नियंत्रक मंडल एक जन सुनवाई का आयोजन करती है। अनापत्ति प्रमाणपत्र एवं पर्यावरण प्रभाव का आकलन, परियोजना के समर्थकों द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं। पर्यावरण मूल्यांकन समिति इनका मूल्यांकन करती है। मूल्यांकन के पश्चात वह परियोजना को प्रस्तावित परिवर्तनों के साथ मान्यता प्रदान कर देती है।

पर्यावरण संरक्षण संबंधी अधिनियमों में विद्युत अधिनियम **2003**, जल (रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम **1974**, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम **1972**, जैव विविधता अधिनियम **2002**, खतरनाक कचरा (प्रबंधन व प्रहस्तन) संशोधन अधिनियम **2003**, ओजोन क्षयकारी पदार्थ (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम **2000**,

भारतीय पोर्ट्स अधिनियम **1908**, भारतीय वन अधिनियम एवं रिवर बोर्ड अधिनियम इत्यादि प्रमुख हैं।

प्रदूषण नियंत्रण मंडल, प्रदूषण शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी सहायता हेतु प्रशिक्षण प्रदान करता है। पर्यावरण संरक्षण में अच्छा प्रदर्शन करने वाले उद्योगों को जल उपकर में छूट, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों हेतु अनुदान एवं अन्य राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किये जाते हैं। सभी उद्योगों को उपरोक्त अधिनियमों एवं उनके अंतर्गत आनेवाले मानकों का अनुसरण करना अनिवार्य है।

ऊपर दिये गये नियमों एवं अधिनियमों से यह ज्ञात होता है कि भारत में पर्यावरण, वन, तटीय एवं वन्यजीव संरक्षण हेतु अलग-अलग प्राधिकरण कार्यरत हैं। इन सब क्षेत्रों में आनेवाली परियोजनाओं के लिए भी भिन्न-भिन्न प्रक्रियाएँ अपनायी जाती हैं, जिससे ऐसी परियोजनाओं के, जो एक से अधिक क्षेत्रों से जुड़ी होती हैं, कार्यान्वयन में देरी होती है। इसीलिए विज्ञान व पर्यावरण केंद्र ने उपरोक्त सभी क्षेत्रों में आनेवाली परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया को समेकित करने की माँग की है। साथ ही इसकी भी माँग की गयी है कि पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने हेतु विभिन्न सरकारी नियामकों के बजाय एक स्वतंत्र नियामक की स्थापना की जाय।

उचित समन्वय एवं उन्नत कार्यान्वयन प्रक्रिया:

विकासशील देश होने के नाते भारत में हमेशा नई औद्योगिक इकाइयों एवं परियोजनाओं की शुरुआत होती रहती है और तत्संबंधित पर्यावरण कानूनी बाधाओं एवं रुकावटों के कारण इन उद्योगों के विकास पर गहरा असर पड़ता रहता है। अतएव सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन इकाइयों की पर्यावरण संबंधी फाइलों को अनावश्यक रूप से लंबे समय तक विचाराधीन न रखे।

अमेरीका एवं इंग्लैंड में भवन निर्माण (R eal Estate) व्यवसायियों को अपनी परियोजनाएँ आरंभ करने हेतु किसी भी पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। वे सरकार को केवल एक बैंक गारंटी देकर अपनी परियोजना आरंभ कर सकते हैं। पर्यावरण स्वीकृति की भारतीय प्रक्रियाओं में भी इसी तरह के लचीलेपन की आवश्यकता है। एक और विकल्प यह है कि सारी अनुमतियाँ किसी परियोजना के प्रारंभिक चरण में ही प्रदान कर दी जायें एवं इसके पश्चात किसी कानून का उल्लंघन पाये जाने पर उस इकाई को कड़ी से कड़ी सजा दी जाय, इसके लिये दंडात्मक जुर्माना बढ़ाना आवश्यक है। सिर्फ पर्यावरण संबंधी कानूनों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों को ही दंड न दिया जाय, वरन् इन कानूनों का प्रवर्तन करने वाले अधिकारियों द्वारा ढिलाई बरती जाने पर उन्हें भी कड़ा से कड़ा दंड दिया जाय।

प्रत्येक पर्यावरण अधिकारी द्वारा फाइल के निपटान हेतु एक समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। यदि कोई भी अधिकारी उस समय-सीमा की जानबूझकर अवहेलना करता है तो उसे व्यक्तिगत रूप से दोषी ठहराया जाना चाहिए, जैसा कि फैक्टरी अधिनियम, **1948** के अनुसार फैक्टरी प्रबंधक को ठहराया जाता है।

सिर्फ पर्यावरण अधिकारी ही नहीं, वरन् जन सुनवाई का अध्यक्ष, जो बिना किसी उचित कारण के प्रतिकूल टिप्पणियाँ लिखता है, पर भी दंड लगाया जाना चाहिए। वे सभी गैर-सरकारी संगठन (NGOs) एवं सामाजिक कार्यकर्ता, जो लोगों को बहला-फुसलाकर जन सुनवाई को अपरोक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, उन पर भी कानूनी कार्यवाही करने के लिए कड़ा प्रावधान बनाने की आवश्यकता है।

अगर अधिकारियों में भी भय बना रहेगा तो भ्रष्टाचार जैसी राष्ट्रीय समस्या से भी उद्योगों को मुक्त रखा जा सकेगा एवं निवेशकों में विश्वास का एक अच्छा वातावरण बनेगा, जो देश को विकास की ओर ले जाने में सफल होगा।

हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाये गये कानूनों के कड़े अनुपालन को देश में निवेश की कमी के लिए पूर्णत: दोष देना गलत होगा। समस्या इन कानूनों से नहीं, बल्कि परियोजनाओं को लेकर होनेवाली राजनीति से है। इस तुच्छ एवं अभद्र राजनीति की वजह से ही निवेशकों में संदेह का वातावरण बना रहता है। राज्यों में सरकारें बदलने के पश्चात उनका पुरानी सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना के प्रति दृष्टिकोण ही बदल जाता है। यदि केंद्र व राज्य में भिन्न-भिन्न दलों की सरकारें हों, तो निवेशकों को परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

ऐसी स्थिति में वर्तमान भारत सरकार का मूलमंत्र 'न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन' वास्तव में कारगर है। विख्यात पत्रकार अनिरुद्ध दत्ता के अनुसार भारत को नये कानूनों, नये मंत्रियों एवं नयी समितियों की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ ऐसे तंत्र एवं प्रणाली की आवश्यकता है, जो कि मंत्रियों एवं अधिकारियों को सीमित अथवा नगण्य हस्तक्षेप की अनुमति दे।

आधुनिकीकरण एवं औद्योगिकीकरण को आवश्यक बुराई के रूप में नहीं, बल्कि एक सम्माननीय अवसर की तरह देखा जाना चाहिए। इनकी राह में आनेवाली अड़चनों का बिना पर्यावरण को नुकसान पहुँचाये, विवेकपूर्ण समाधान करना होगा। तभी हरित विकास को निवेशकों के लिए हरित आतंक के रूप में तब्दील होने से रोका जा सकेगा।

- कनिष्ठ प्रबंधक (विधि)
विधि विभाग
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
मोबाइल: +91 7382622715

नैनं दहति पावकः

- श्रीमती सुधा गोयल -

अभी कुछ देर पहले मेरी मृत्यु हो गई है। मैं अपना शरीर छोड़कर धूम्रेरेखा की तरह ऊपर उठ रहा हूँ। हवा के झोंके की मानिंद कभी इधर, कभी उधर डोल जाता हूँ। कभी-कभी तो भय सी प्रतीत भी होती है मुझे। तभी ध्यान आता है, भय कैसा...? अब तो मैं मुक्त हूँ..., आजाद हूँ। 'नैनं छिंदंति शस्त्राणी।' मैं खुश हूँ। अपनी इस आजादी का जश्न मनाना चाहता हूँ। पर कैसे...? अपनी खुशी मैं व्यक्त नहीं कर सकता। किसी के साथ मिलकर नहीं मना सकता। केवल महसूस कर सकता हूँ। यह महसूस करना भी कितना सुकून भरा है। शरीरधारी मनुष्य इस सुकून को नहीं समझ सकता।

चिंता मुक्त होना भी एक सुकून है। अब न मुझे परिवार की चिंता है और न समाज की। न मुझे अब कोई बीमारी है, न डॉक्टर के यहाँ जाना है, न एक्सरे कराना। न सुइयाँ लगवाना और न ढेरों दवाइयाँ खानी हैं। डॉक्टर की सलाह की भी कोई जरूरत नहीं है। अब घर की जरूरतों के लिए थैला लटकाए बाजार भी नहीं जाना है और न पेंशन लेने। अब तो कोई काम ही नहीं है। सारे काम शरीर के थे। सारे सुख-दुख भी शरीर के ही थे। शरीर भी पुराने कपड़े जैसा हो गया था। उसे ठीक रखने के लिए दवा रूपी पैच लगाने पड़ते। कितनी बार चीर-फाड़ करानी पड़ी। देह दुखती तो आह मुँह से निकल जाती।

खैर! मैंने सोचा है कि आज जश्न मनाऊँगा। जश्न... वह भी अकेले-अकेले। बात कुछ जम नहीं रही, पर जमानी तो पड़ेगी ही। अतः मैंने निश्चय किया कि अपनी देह में ऊपर आँगन में ही स्थित हो सारे क्रिया कलाप मैं देखूँगा। मुझे कौन कितना चाहता था और कौन कितनी घृणा करता था, सब पता चल जाएगा। सबके मुखौटे उतर जायेंगे।

> श्मशान में चिता तैयार है। मुझे चिता पर लिटा दिया जाता है। श्मशान का पंडित कुछ मंत्र पढ़ता है, जल छिड़कता है। मेरे ऊपर लकड़ियाँ रख दी जाती हैं। पंडित मेरे ऊपर घी और सामग्री डाल देता है। एक लकड़ी का एक सिरा घी में डुबोता है। पुत्र उसे लेकर चिता की प्रदक्षिणा करता है। पंडित घी में डूबे उस लकड़ी के सिरे को जलाता है। मुझे भय सताने लगता है कि अब यह शरीर नष्ट हो जाएगा, जिसके ऊपर मैं अभिमान करता था। लेकिन तभी आत्मा कहती है, 'तुम जीवन-मरण से दूर हो। नैनं दहति पावकः।'

पर यह क्या? पत्नी के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्रिया कर्म कैसे होगा...? मैं कभी उसे पैसे देता ही न था, तो होते कहाँ से? मैंने भी कितनी बड़ी गलती की। पैसे को दांत से पकड़ता रहा। न कभी अपने ऊपर से पैसे खर्च किए और न पत्नी को दिए। दस लाख तो पी.पी.एफ. में ही हैं। मैंने किसी का नामिनेशन भी नहीं कराया है। उन पैसों के विषय में कोई जानता भी नहीं है। वे तो ऑफिस में ही रह जायेंगे। क्या मैं पुनः शरीर में प्रवेश कर कुछ पैसे पत्नी को दे सकता हूँ? चलो कोशिश करता हूँ। पर यह क्या? प्रवेश कहाँ से करूँ? नाक-कान में रुई ठूँस दी गई है। मुँह में तुलसीदल भरा है। गुप्तांग में आटे के पिंड है। वायु आने-जाने के सभी मार्ग अवरुद्ध हैं।

चलो, अब तो तमाशा और भी रोचक होगा। देखता हूँ सारी व्यवस्था कैसे होती है? पत्नी माथे की बिंदी, मांग का सिंदूर पहले ही पोंछ चुकी है। विलाप करते हुए कांच की चूड़ियाँ भी टूट गई हैं। सिर ढके और नीचे मुँह किए निरीह सी बैठी है। सारा तेज खतम हो गया है। कितनी दुःखी लग रही है। बीच-बीच में हिचकी भी ले लेती है, जिससे एकबारगी सारी देह हिल जाती है। रोते-रोते कह रही है- 'मैंने लाख कोशिश की, सामर्थ्य भर इलाज भी कराया, पर बचा न सकी। मेरे भाग्य में यही लिखा था।

मुझे पत्नी पर पहली बार तरस आ रहा है। पहले ही कौन सी सधवा थी। माथे पर बिंदी लगाने से या माँग में चुटकी भर सिंदूर लगा लेने से कोई सधवा नहीं हो जाती। पर समाज का मानना यही है। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। अब भी कोई रिश्तेदार आता है, पत्नी का रुदन शुरु हो जाता है। यह रोना थोड़ी-थोड़ी देर में चल रहा है, जो मेरे लिए सुकून भरा है। मेरी मृत देह जमीन पर पड़ी एक चादर से मुँह तक ढकी है।

पत्नी, गले का मंगलसूत्र और हाथों की चूड़ियाँ उतारकर दामाद को दे रही है 'लल्ला, अपने ससुरजी की अंतिम यात्रा की तैयारी करो।'

'मम्मी जी! ये सब अभी आप अपने पास ही रखो। मैं व्यवस्था कर रहा हूँ।' वह लेने से इंकार कर रहा है। पत्नी पुनः आग्रह करती है, 'रखो लल्ला! वैसे भी ये सब अब मेरे किस काम के? दामाद का पैसा ससुर के क्रिया कर्म में लगे, यह पाप है।' दामाद ने बात रखने के लिए 'बाद में ले लूँगा' कह दिया। 'अभी इस काम के लिए बाजार जाना अच्छा नहीं लगता। लोग क्या कहेंगे? मैं साले साहब से बात करता हूँ।' पत्नी चुप हो जाती है। उसे दामाद की बात जमी है। मैं भी देख रहा हूँ कि कौन कैसे-कैसे करता है। लड़का पाँच सौ की गड्डी निकालकर दामाद को थमाता है। मुझे ताज्जुब होता है। जीते जी जिसने

कभी मुड़कर मेरी ओर नहीं देखा, वह नोटों की गड्डी निकाल रहा है। मैं सब समझता हूँ। मेरे बाद मेरा सारा पैसा निकाल लेगा। मेरे आफिसवालों से इसीलिए संपर्क बनाए रखता है। मैं इसकी नस-नस से वाकिफ हूँ। माँ की ओर हमदर्दी के दो चार जुमले उछाल वह सब कुछ हथिया लेगा।

तभी मेरी सोच दूसरी ओर मुड़ती है। अब सोचता हूँ, मैंने ही इसके लिए क्या किया? इसे पैदा करने के अलावा कभी सीधे मुँह बात नहीं की। कभी प्यार से सिर पर हाथ नहीं रखा। कभी सुख-दु:ख बांटा नहीं। यदि उसने दूरियाँ बना लीं भी तो इसमें उसका क्या दोष? वह अभी भी पुत्र होने का धर्म निभा रहा है। मैं अपने पिता होने का धर्म नहीं निभा पाया।

रिश्तेदार और पास-पड़ोसी धीरे-धीरे आने लगे हैं। स्थानीय लोग तो सूचना मिलते ही आ पहुँचे थे। हाँ बाहर से आने वालों को वक्त लगेगा। लोग खुसुर-फुसर कर रहे हैं। मैं उनके ऊपर वायुमंडल में स्थित हूँ। इस विनोद को देखो, ऐसे भाग-दौड़ कर रहा है, जैसे इसी का बाप मरा हो। मेरा लाखों रुपया इसके पास है। किसी को कानों-कान खबर भी नहीं है। सब डकार जाएगा। मकान भी उसी पैसे से खड़ा किया है।

ये मेरे पड़ोसी हैं, जिनसे आते-जाते दुआ सलाम होती रहती थी। कभी सुख-दु:ख में हाल-चाल पूछ लेते थे। वरना सबका अपने काम से काम था। हाँ, सुबह-सुबह पार्क में घूमते समय खूब ठहाके लगाते थे। राजनीति, धर्म या देश के हालात पर खूब चर्चा होती थी। खूब जिंदादिल थे माथुर साहब! इनकी कमी हमेशा खलती रहेगी।

ये दूसरा गुप या दल मेरे ऑफिस के सहयोगियों का है। यहाँ भी कानाफूसी चल रही है। ये गुप्ता का बच्चा ऐसे कार्यों में सबसे आगे रहता है। आज पूरे कार्यक्रम का सूत्रधार भी यही है। देखो, कैसी अकड़ से कह रहा है कि 'कितने साथियों को इन्हीं कंधों पर श्मशान पहुँचा चुका हूँ। बड़ा दम है इसमें।' 'ठीक ही कहते हो गुप्ता! क्या पता, कल तुम्हें कोई कंधा मिले या नहीं। एक-एक कर सभी साथी खिसक लें।' यह नायक भी कहाँ पीछे रहनेवाला है।

आगे बढ़ता हूँ। ये मेरे भाई-बांधव हैं। मन ही मन गालियाँ दे रहे हैं, जिनमें मेरा दामाद और पुत्र भी शामिल हैं। कहते हैं 'हद दर्जे के कंजूस थे। कभी माँ के हाथ पर दो पैसे नहीं रखे। माँ हमेशा खाली हाथ पैसे-पैसे को तरसती रहती थी। अभी भी खाली हाथ बैठी है। कैसे वक्त गुजरेगा। जब तक जीवित रहे, उसे चैन नहीं लगने दिया। सुख नाम की चीज उसके जीवन में कभी आई नहीं। जीवन भर केवल दु:ख को ही ओढ़ती-बिछाती रही। बेचारी ने न कभी ढंग से खाया, न पिया। रात-दिन केवल प्रतीक्षा करती रही।'

शादी के प्रारंभिक दिनों में हम झूठ बोलते। किसी न किसी काम का बहाना बनाते। ढूँढ़ कर लाने का ढोंग करते। आखिर झूठ को एक दिन बेपर्दा होना ही था। तब एक दिन भौजी ने कहा, 'भैया, अपने भाई की कमियाँ कब तक छिपाओगे?'

'अब बहाना बनाना बंद कर दो। मैं सब जान गई हूँ। इसने तो हमारी गर्दन कभी ऊपर उठने ही नहीं दी। शर्म से झुकी ही रही। भौजी के प्रति भी हम कम अपराधी नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति की शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन माँ सोच रही थी कि शादी हो जाने से इधर-उधर मुँह मारना बंद कर देगा और अपने घर परिवार की ओर ध्यान देगा। जीवन पूरा हो गया, पर वह न संभला। माँ भी पश्चाताप करती चली गई। अब भी आधी-आधी रात को जुए-घर से पीकर लड़खड़ाता लौटता। लौटकर उन्हें गालियाँ बकता। वह बेचारी बकरी सी मिमियाती रहती। हमने तो इसीलिए उससे अपने ताल्लुक ही कम कर लिए।'

'मैं भी अपने बच्चों के साथ अलग रहने लगा। रोज की किचकिच से तो जान छूटी।' यह मेरा सपूत था। 'अब मम्मी का शेष जीवन तो चैन से कटेगा।' ये बेटी दामाद हैं। यानि मैं सबकी आँखों में खटकता था। बस मेरे सामने किसी की कुछ कहने की हिम्मत न थी। आज मैं नहीं हूँ तो सब बातें बना रहे हैं। जब इस औरत को रोटी खिलाएँगे, तब मानूँगा। इन सबके बूते पर ही अकड़ दिखाती थी यह।

वायुमंडल में स्थित होकर भी मैं क्रोधावेश में काँपने लगता हूँ। यह मुझे क्या हो रहा है? मैं सुख-दु:ख से ऊपर हूँ। शांत हूँ, फिर भी ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं? अब मैं यहाँ से इधर-उधर चल देता हूँ। यहाँ मेरी प्रियतमा माधुरी नतमुख किए

बैठी है। सबकी निगाह में वह मेरी धर्म बहिन है। इससे राखी बँधवाता हूँ। यह सिर्फ समाज की आँखों में धूल झोंकने के लिए था। वह भी बैठी सोच रही थी, 'चलो ठीक ही हुआ, जो माथुर का बच्चा मर गया। पीछा तो छूटा। कंजूस इतना कि कुछ मत पूछो। बस फोकट में देह चाहिए। देने के नाम पर सब कुछ पत्नी के नाम पर छोड़ गया। यह नहीं हुआ कि दस-पाँच लाख मेरे नाम भी कर देता। ऐसे आदमी का क्या दुःख मनाऊँ? पता नहीं क्यों वर्षों तक इसकी चिकनी-चुपड़ी बातों में आ गई।'

दृश्य बदलता है। मेरी बहनें आ रही हैं। कपड़ा हटाकर मेरा चेहरा देखती हैं। फिर अपनी भाभी को गले लगाकर रोती हैं। पत्नी भी खूब बिलख-बिलख कर रो रही है। इतना क्यों रो रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने जैसे कभी कोई ऐसा सुख नहीं दिया था, जिसे याद करके रोती। बहनों को भी कभी कोई खास सम्मान, प्यार नहीं दिया। बस केवल मात्र खून का रिश्ता ही निभाता रहा। हाँ वो भी तो आखिर मेरी विरोधी और अपनी भाभी की ही हिमायती रहीं। इसीलिए मैं उन्हें भी पसंद नहीं करता था। शायद रोना भी एक परंपरा है, जिसे निभाना जरूरी होता है, इसीलिए ये सब रो रही हैं।

पर पत्नी! जिसे मैंने पत्नी कम, फालतू का सामान अधिक समझा, कभी उसके मान-सम्मान की चिंता नहीं की। किसी के सामने भी डाँट देता, पीट देता, जिसमें मैं अपना पौरुष समझता। उसका मुझसे अधिक पढ़ना ही सबसे बड़ा दोष था। वह जितनी पढ़ी-लिखी है, उतनी ही धीर-गंभीर है और मैं उतना ही कृतघ्न, उच्छृंखल और कमीना था। वह रात-रात भर जागकर मेरी सेवा करती। दवाई, फल, डॉक्टर सब उपलब्ध कराती। अपने आप नहलाती, कपड़े धोती, अपने हाथ से खाना खिलाती। फिर भी शब्द-शरों से घायल किए बिना मैं न छोड़ता।

वह छाया-सी हरदम मेरे साथ लगी रहती। जब गले में कैंसर के कारण मेरा खाना बंद हो गया, तो वह फलों का जूस निकालती, शेक बनाती, सब्जियाँ उबालकर पीसती, उसी में रोटी और पनीर भी पीस देती। मैं क्षीण न हो जाऊँ, इसीलिए पूरी खुराक मुझे देती। दूध, दही की कोई कमी न करती। सारा दिन फोन पर डॉक्टरों से बातें करती। मुझे दिखाने ले जाती। एक कंधे पर बैग, दूसरे हाथ में फाइलें और एक हाथ से मुझे पकड़े रहती, जिससे मैं गिर न जाऊँ। बेटा फोन पर माँ को घुड़कता, 'यह क्या माँ, आप अकेली पापा को लिए घूमती हो?'

वह उत्तर देती 'तो क्या हुआ? जब तक साँस, तब तक आस। मुझे यह अफसोस तो नहीं रहेगा कि इलाज नहीं कराया। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। बाकी ऊपर वाला जाने।' वह मेरे हर जुल्म को सहती, चुपचाप मुस्कुराकर रह जाती। बेटी पूछती, 'मम्मी तुम पापा को कैस सह पाती हो?' उसका जवाब होता, 'अपना-अपना स्वभाव है, बेटा! कोई विष उगलता है, कोई अमृत।' 'यानि मैं साँप हूँ। विष उगलता हूँ। क्यों रहती थी साँप के साथ। कभी मेरा विष तुझे चढ़ा नहीं।' मैं इस हाल में भी उसकी चोटी पकड़कर खींच देता, पीठ में लात जड़ देता। देखकर बेटी रोने लगती।

'तू क्यों रोती है लाड़ी? जब मैं ही नहीं रोती। सहने की आदत बन गई है। सब ऊपरवाला देखता है।' ठीक कहती थी वह, सब ऊपरवाला देखता है। उसने ऐसा देखा कि मैं बोलने के काबिल ही न रहा। पल-पल अपनी मृत्यु का इंतजार करने लगा, लेकिन उसने मेरे इलाज में कोई कसर न छोड़ी। सारे रिश्तेदार व पड़ोसी जानते थे। सबकी निगाह में उसका मान बढ़ गया था। उस जैसी पतिव्रता पत्नी हो ही नहीं सकती। फिर मेरे जाने पर कितनी बिलख-बिलख कर रो रही है। बेटे ने भी उसे कंधे से लगाकर चुप नहीं कराया है और न यह कहा है कि तुम चिंता न करो। मैं हूँ न। पुत्र को भी मेरी कुछ आदतें विरासत में मिली हैं। कहता भी कैसे? मरी बिल्ली कौन गले में बाँधे?

फिर भी मैं यह जानने को आतुर और व्याकुल हूँ कि उसके रोने का क्या कारण है? उसकी गरीबी? नहीं, स्वाभिमानी व्यक्ति गरीब नहीं होता। उसने मुझसे कभी एक पैसा नहीं माँगा। वह स्वाभिमानी है। भूखी रह लेगी, मेहनत कर लेगी, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। वह कहती थी, 'जिसने पेट दिया है, वह रोटी भी देगा।' वह अपने बच्चों को भूखा नहीं सुलाती। मैं जानता हूँ, मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। यह उसकी रोने की वजह नहीं हो सकती। मैं उसे भिखारिन के रूप में देखना चाहता था। यह इच्छा तब भी पूरी नहीं हुई। अब भी नहीं होगी।

मैं उसके मन में गहरे तक उतर जाता हूँ। वह चाहती थी कि पहले वह मरती और मैं पत्नी के बिना सुख-सुविधाओं के अभाव में पल-पल तड़पते हुए जीना देखना चाहती थी। वह जीवित मुझे छोड़कर नहीं जा पाई। इसीलिए उसने इतनी सेवा की। यह उसकी हार का रोना था। वह अपनी हार पर जोर-जोर से रो रही थी। इसलिए वह मेरे जाने पर खुश नहीं थी। उसका यह सपना था। वह मरकर मुझसे बदला लेना चाहती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

अब मुझे नहलाया जा रहा है। पंडित आ चुका है। पुत्र का सिर मुँडाया जा चुका है। सफेद वस्त्रों में वह मेरे जिस्म के पास खड़ी है। मुझे तिलक लगाकर फूलों से ढक दिया गया है। सफेद कफन मेरे ऊपर डाल दिया है। मेरा मुँह अभी खुला है। रिश्तेदार चादर चढ़ाकर प्रणाम कर रहे हैं। पौत्र व बहुएँ पैर छू रही हैं। पत्नी ने अपने सभी सुराग चिह्न उतारकर मेरी छाती पर रख दिए हैं। जैसे कह रही हो, 'आज से मेरा तुम्हारा नाता खतम।

जिन सुराग चिह्नों के नाम पर तुमने मुझे बाँधे रखा था, आज तुम्हें उनसे मुक्त कर मैं स्वयं भी मुक्त हो रही हूँ। ईश्वर अगले जनम में तुम्हें सद्‌बुद्धि दे और मेरा तुम्हारा यहीं सातवाँ जन्म हो।'

एक बार फिर विलाप के स्वर तेज होते हैं। काठी बाँधी जा चुकी है। घंटे-घड़ियाल बज रहे हैं। कुछ हाथ काठी उठाकर कंधे पर रख लेते हैं। पुत्र सबसे आगे है। सभी 'राम नाम सत्य है' कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं भी उनके साथ-साथ हवा के झोंकों पर सवार उधर ही उड़ा जा रहा हूँ। लोग मेरे ऊपर फूल-बताशे और पैसे फेंक रहे हैं। यह मेरी शव यात्रा है।

श्मशान में चिता तैयार है। मुझे चिता पर लिटा दिया जाता है। श्मशान का पंडित कुछ मंत्र पढ़ता है, जल छिड़कता है। मेरे ऊपर लकड़ियाँ रख दी जाती हैं। पंडित मेरे ऊपर घी और सामग्री डाल देता है। एक लकड़ी का एक सिरा घी में डुबोता है। पुत्र उसे लेकर चिता की प्रदक्षिणा करता है। पंडित घी में डूबे उस लकड़ी के सिरे को जलाता है। मुझे भय सताने लगता है कि अब यह शरीर नष्ट हो जाएगा, जिसके ऊपर मैं अभिमान करता था। लेकिन तभी आत्मा कहती है, 'तुम जीवन-मरण से दूर हो। नैनं दहति पावकः।' पुत्र चिता में अग्नि का प्रवेश कराता है। चिता धूँ-धूँ कर जलने लगती है। एक धूम्ररेखा तेजी से ऊपर उठकर ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है।

- 290 ए, कृष्णा नगर
डॉ दत्ता लेन,
बुलंदशहर-203001, उत्तर प्रदेश
मोबाइल: +91 9917869962

विरोध

- श्री सीताराम गुप्ता -

प्रकाशजी की बेटी पायल पहले तो काफी दिनों तक शादी से इंकार करती रही। लेकिन जब घर वालों ने अधिक जोर डाला तो उसने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, 'आप सबको मेरी शादी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना जीवन साथी ढूँढ़ लिया है।' पायल तो अपना फैसला सुनाकर निश्चिंत सी हो गई, पर घर वालों को तो जैसे साँप सूँघ गया। सबके चेहरों पर आश्चर्य और दुविधा मिश्रित भाव तैरते दिखलाई देने लगे। 'क्या लड़का अपनी ही बिरादरी का है?' प्रकाशजी ने जानना चाहा। 'नहीं', पायल ने जवाब देते हुए प्रतिप्रश्न किया, 'पर उससे क्या फर्क पड़ता है?' माँ ने लड़का करता क्या है? कैसा है? कहाँ रहता है? आदि कई प्रश्नों की बौछार एक साथ कर दी। पायल अविचल बनी रहकर न केवल सबके प्रश्नों की बौछार झेल गई, अपितु सबको निरुत्तर भी कर दिया। लड़का न केवल हैंडसम था, अपितु अच्छी नौकरी पर भी था। उससे मिलकर भी सभी घर वालों को प्रसन्नता ही हुई।

वैसे भी पायल के परिवार के लोग बहुत दकियानूसी विचारों के हैं भी नहीं, लेकिन रिश्तेदारों को जब यह पता चला कि पायल बिरादरी से बाहर शादी कर रही है तो उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया। प्रकाशजी के एक चाचा रतनलाल तो किसी भी तरह शांत नहीं हो रहे थे। बिरादरी की अनेक संस्थाओं से जुड़े हैं रतनलाल। बड़ा सम्मान है बिरादरी में उनका। कहने लगे, 'मेरी तो नाक ही कट जाएगी बिरादरी में।' रतनलाल बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। आजकल समस्याएँ भी कुछ ज्यादा बढ़ गई हैं बिजनेस में। शादी और बिजनेस दोनों को जोड़ते हुए रतनलाल ने कहा, 'वैसे भी क्या कम समस्याएँ हैं? एक तो काम में मंदी और अनाप-शनाप टैक्सों का बोझ और साथ ही इस लड़की ने ऊपर से एक और झमेला खड़ा कर दिया।'

टैक्स की बात आने पर प्रकाशजी ने रतनलाल से कहा, 'चाचाजी, लड़का टैक्सेशन डिपार्टमेंट में ही है और अच्छी पोस्ट पर है। असिस्टेंट कमिश्नर है।' इतना सुनते ही चाचाजी के मन में एक अनिर्वचनीय आनंद का स्रोत प्रवाहित होने लगा। आनंदानुभूति से चेहरे की मांसपेशियों का खिंचाव कम होने लगा, जिससे चेहरे पर आई कठोरता के स्थान पर कोमलता पसरने लगी। इस आनंदानुभूति ने उनकी जिह्वा की कटुता को भी माधुर्य में बदलने में देर नहीं लगाई। कहने लगे, 'प्रकाश, लड़का अच्छा है। पढ़ा-लिखा है और बारोजगार भी। जब लड़की को भी पसंद है तो हमें भी मान ही लेना चाहिए।' फिर चेतावनी के से स्वर में बोले, 'आजकल के बच्चे बड़ों की सुनते ही कहाँ हैं? हमारी सहमति के बिना कहीं कोर्ट-वोर्ट में जाकर शादी कर ली तो और ज्यादा फजीहत होगी। इस बात को ज्यादा तूल मत दो प्रकाश। मैंने अच्छी तरह से विचार कर लिया है और इस प्रकरण में मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ।'

- ए.डी.-106-सी, पीतम पुरा
दिल्ली-110034
मोबाइल: +91 9555622323

हिंदी पत्रकारिता - इतिहास एवं विकास

- श्रीमती वी सुगुणा -

पत्रकारिता सामाजिक घटनाओं का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त साधन है। यह लोगों को नई जानकारियाँ देती है तथा समाज के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश प्रदान करती है। गांधी जी के विचार से पत्रकारिता के निम्नलिखित तीन उद्देश्य होते हैं,

1. लोगों की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं को समझकर उन्हें व्यक्त करना,
2. उनमें समाज के लिए अपेक्षित भावनाएँ जागृत करना, एवं
3. सार्वजनिक दोषों का निवारण करना।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ शंकर दयाल शर्मा तो पत्रकारिता को जनसेवा का माध्यम मानते थे। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक परंपरा की रक्षा एवं समाज में शांति व भाईचारे की स्थापना के सशक्त माध्यम के रूप में अभिवर्णित किया है। पत्रकारिता, समाज के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करती है। उनका मनोरंजन करती है एवं उन्हें मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। इसीलिए पत्रकारिता को लोकतांत्रिक व्यवस्था में पाँचवा स्तंभ माना गया है। मुखर पत्रकारिता एक ओर जहाँ पाठकों को शिक्षित करती है, वहीं दूसरी ओर समाज विरोधी नीतियों के खिलाफ जन आंदोलन का जयघोष भी करती है।

विश्व में पत्रकारिता का उद्भव सन् 131 ईस्वी पूर्व से माना जाता है, जब रोम में Acta Diurna (दिन की घटनाएँ) के नाम से पत्थर अथवा लोहे की पट्टी पर समाचार अंकित किये जाते थे, जिनमें वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति, नागरिक सभाओं के निर्णय तथा ग्लेडियेटरों की लड़ाइयों के परिणाम आदि की सूचनाएँ दी जाती थीं। हालाँकि इसमें सरकारी आदेश या सरकार की गतिविधियों का ही उल्लेख होता था। फिर भी इसे ही विश्व का पहला समाचार पत्र भी माना जाता है। वस्तुत: पत्रकारिता का वास्तविक उदय मध्यकाल में हुआ। क्योंकि मध्यकाल के आते-आते यूरोप में पत्रकारिता हेतु व्यापारिक केंद्र स्थापित किए जाने लगे और सूचना पत्र प्रकाशित किए जाने लगे, जिनमें कारोबार, क्रय-विक्रय, मुद्रा के मूल्य में उतार-चढ़ाव से संबंधित सूचनाएँ होती थीं। ये सूचना-पत्र हाथ से लिखे जाते थे।

15वीं शताब्दी के मध्य में योहन गुटनबर्ग ने छापने की मशीन, अर्थात धातु के अक्षरों का आविष्कार किया। इससे समाचार-पत्रों एवं पुस्तकों का प्रकाशन आसान हो गया। 16वीं शताब्दी के अंत तक योहन कारोलूस नामक व्यापारी, ग्राहकों के लिए हस्तलिखित सूचना-पत्र प्रकाशित करते थे। लेकिन हाथ से बहुत सी प्रतियों का नकल करवाना उनके लिए महंगा हो गया था। उन्होंने सन् 1605 ईस्वी में छापाखाने की स्थापना की और दुनिया का पहला मुद्रित अखबार 'रिलेशन' का प्रकाशन शुरू किया। 'रिलेशन' को विश्व का पहला मुद्रित समाचार-पत्र माना जाता है।

लेकिन भारत में पत्रकारिता का जन्म 18 वीं शताब्दी के चतुर्थ चरण में हुआ। सन् 1780 में हिके द्वारा प्रकाशित 'कलकत्ता गजट' को इस दिशा में पहला प्रयत्न माना जाता है। 1780 के बाद भारत में भी पत्रकारिता का विकास तेजी से हुआ। वर्ष 1820 आते-आते भारत में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास जैसे प्रमुख शहरों में ऐंग्लोइंडियन अंग्रेजी पत्रकारिता काफी विकसित हो चुकी थी। साथ ही इस समय तक फारसी भाषा में भी पत्रकारिता का आविर्भाव हो चुका था। 1801 में उत्तर भारत के समाचार पत्रों के उद्धरणों को संकलित करके एक 'हिंदुस्तान इंटेलिजेंस ओरिएंटल एंथॉलॉजी' नाम से संकलन भी प्रकाशित किया गया था। 1810 में मौलवी इकराम अली ने कलकत्ता से 'हिंदोस्तानी' का प्रकाशन आरंभ किया। 1816 में गंगाकिशोर भट्टाचार्य ने 'बंगाल गजट' का प्रकाशन आरंभ किया। यह बांग्ला भाषा का पहला समाचार पत्र था। 27 मई, 1818 को श्रीरामपुर के पादरियों ने प्रसिद्ध प्रचार पत्र 'समाचार दर्पण' का प्रकाशन आरंभ किया। इसके उपरांत 1823 में बंगला में 'समाचार चंद्रिका' और 'संवाद कौमुदी', फारसी उर्दू का 'जामे जहाँनुमा' और 'शमसुल अखबार' तथा गुजराती का 'मुंबई समाचार' का उद्भव हुआ। इसी समय हिंदी पत्रकारिता के विषय में भी चिंतन-मनन आरंभ हो चुका था।

> हिंदी पत्रकारिता अपनी पहुँच मात्र लंदन तक ही नहीं बनाई थी, बल्कि इसकी पहुँच मारीशस में भी हो चुकी थी। मणिलाल के संपादन में प्रकाशित 'हिंदुस्तानी' नामक पत्र को मारीशस का सर्वप्रथम हिंदी पत्र माना जाता है। इसका प्रकाशन 1909 में हुआ था। तत्पश्चात 1940 में आत्माराम विश्वनाथ के द्वारा प्रकाशित 'जागृति' एवं 1968 में सोमदत्त बरबौरी द्वारा प्रकाशित 'अनुराग' नामक पत्र विशेष उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार वर्ष 1972 में मास्को से निकोलोई गिवोचोव के संपादन में प्रकाशित 'सोवियत संघ' नामक पत्र के प्रकाशन से हिंदी पत्रकारिता की ख्याति तो बढ़ी ही साथ ही उसके विकास के क्रम नए आयाम जुड़ गए।

वर्ष 1826 से 1873 तक हिंदी पत्रकारिता का प्रथम

चरण माना जाता है। **1826** में प्रकाशित 'उदंत मार्तंड' हिंदी का पहला समाचार पत्र था। यह साप्ताहिक पत्र था। इसके संपादक पंडित जुगलकिशोर थे। इसकी भाषा पछाँही हिंदी होती थी, जिसे 'मध्यदेशीय भाषा' कहा जाता था। लेकिन सरकारी सहायता के अभाव में यह पत्र **1827** में ही बंद हो गया। 'उदंत मार्तंड' के पश्चात कई पत्रों का प्रकाशन हुआ, जो अधिकांशत: मासिक एवं साप्ताहिक होते थे। इनमें 'समाचार सुधावर्षण' (**1854**) केवल दैनिक पत्र था, जो कलकत्ता से द्विभाषी रूप में अर्थात बंगला-हिंदी में प्रकाशित होता था। यह पत्र **1871** तक प्रकाशित होता रहा। इसके अलावा कई पत्र आगरा से प्रकाशित होते थे। आगरा उन दिनों शिक्षा का बड़ा केंद्र हुआ करता था और इन पत्रों के माध्यम से विशेषकर विद्यार्थी समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। कुछ पत्र ब्रह्म समाज, सनातन धर्म एवं मिशनरियों के प्रचार-प्रसार के कार्य से भी जुड़े हुए होते थे। कुछ पत्र द्विभाषी, अर्थात हिंदी-उर्दू में निकलते थे और कुछ पंचभाषीय भी होते थे।

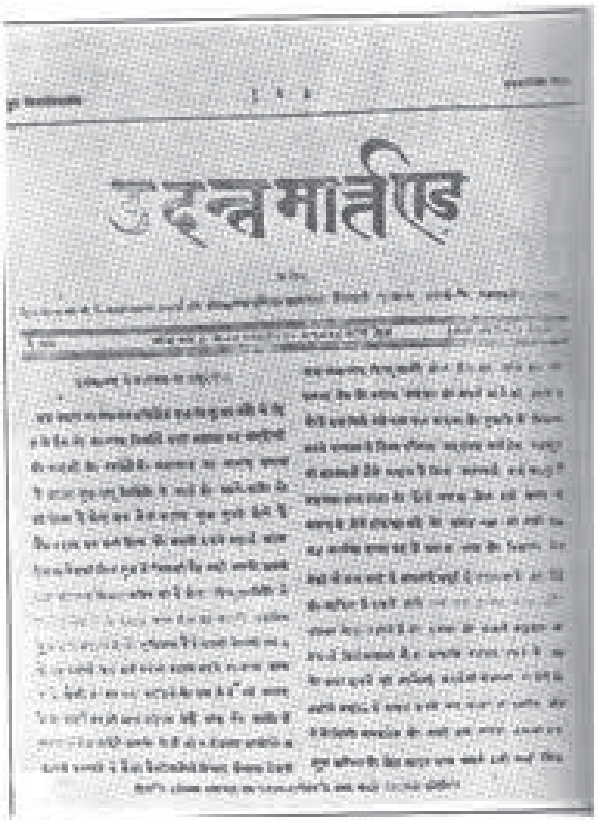

हिंदी भाषी प्रदेशों के प्रारंभिक पत्रों में 'बनारस अखबार' (**1845**) अत्यंत प्रभावशाली था। 'बनारस अखबार' की भाषानीति के विरोध में तारामोहन मैत्र ने **1850** में काशी से 'सुधाकर' नामक साप्ताहिक पत्र एवं राजा लक्ष्मणसिंह ने **1850** में आगरा से 'प्रजाहितैषी' का प्रकाशन आरंभ किया था। 'बनारस अखबार' की भाषा-शैली उर्दू मिश्रित होती थी, जबकि शेष दो पत्रों की भाषा-शैली संस्कृतनिष्ठ व तत्सम प्रधान होती थी। **1867** में 'कविवचन सुधा' का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसे उस समय सबसे सशक्त एवं महत्वपूर्ण पत्र माना जाता था। यह पहले मासिक पत्र था। धीरे-धीरे पाक्षिक बना और लोकप्रियता के कारण साप्ताहिक पत्र बन गया। हिंदी भाषा अथवा भारत की अन्य भाषाओं के समाचार पत्रों के संपादक अभी तक भाषा-शैली एवं विचारों के संदर्भ में कोई निश्चित मार्ग का अनुसरण नहीं कर पाये थे। **1873** में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 'हरिश्चंद्र मैगजीन' नामक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया, जिसके माध्यम से उनका बहुमुखी व्यक्तित्व उभरकर सामने आ गया।

1873 से **1900** तक के कालखंड को हिंदी पत्रकारिता का द्वितीय चरण माना जाता है। इस समय तक पूरे देश में हिंदी के लगभग **350** से अधिक समाचार पत्र निकाले जाने लगे, जिनमें अधिकांश मासिक या साप्ताहिक होते थे। मासिक पत्रों में निबंध, उपन्यास, वार्ता आदि प्रकाशित होते थे। अधिकांश पत्रों के पृष्ठ लगभग **10-15** ही होते थे, जिन्हें 'विचार-पत्र' की संज्ञा दी जाती थी। साप्ताहिक पत्र देश की प्रमुख घटनाओं एवं समाचारों को प्रकाशित तो करते ही थे, साथ ही उनपर टिप्पणी भी लिखते थे, जो तत्कालीन समाज के जनमानस में नवजागरण भरने का एक सशक्त माध्यम बनते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 'कवि वचनसुधा' (**1867**), 'हरिश्चंद्र मैगजीन' (**1874**), 'बालबोधिनी' (**1874**-स्त्रीजन पत्रिका) के माध्यम से समाचार-पत्रों एवं संपादकों का पथप्रदर्शन किया था। उनकी स्वतंत्र व सटीक टीका-टिप्पणियों से प्रशासन के अधिकारी तक घबराते थे और 'कवि वचनसुधा' के 'पंच' नामक स्तंभ पर रुष्ट होकर काशी के मजिस्ट्रेट ने तो भारतेंदु के पत्रों को शिक्षा विभाग में लेना बंद करा दिया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही निर्भीक थे और उन्होंने नये नये पत्रों को प्रोत्साहित किया। तत्कालीन पत्रकार उन्हें युग के अग्रणी पत्रकार मानते थे।

इस चरण तक के लगभग सभी समाचार पत्र मुख्यत: शिक्षा एवं धर्म प्रचार तक ही सीमित होते थे। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी पत्रकारिता के दायरे का विकास करके उसे सामाजिक, राजनीतिक एवं साहित्यिक दिशाओं में भी फलने-फूलने की शक्ति प्रदान की। उन्होंने **1874** में 'बालबोधिनी' नामक प्रथम स्त्री-मासिक पत्र आरंभ किया। इससे प्रभावित होकर कुछ वर्षों के पश्चात पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं ने भी अपना पदार्पण कर दिया। **1888** में प्रकाशित हरदेवी का 'भारतभगिनी', **1889** में प्रकाशित हेमंतकुमारी का 'सुगृहिणी' नामक पत्र इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। उस समय ब्रह्मसमाज और राधास्वामी मत से संबंधित कुछ पत्र और मिर्जापुर जैसे ईसाई केंद्रों से कुछ ईसाई धर्म संबंधी पत्र भी प्रकाशित होते थे। इन सभी पत्रों के प्रभाव से हिंदी की गद्य विधा समृद्ध हुई।

भारतेंदु के बाद तो हिंदी पत्रकारिता में मानों एक बाढ़ सी आ गई। इस चरण में कई प्रमुख पत्रों का प्रकाशन हुआ, जिनमें साहित्यिक दृष्टि से 'हिंदी प्रदीप' (1877), क्षत्रिय पत्रिका (1880), 'भारतेंदु' (1882), 'ब्राह्मण' (1883), 'कवि के चित्रकार' (1891), साहित्य सुधानिधि' (1894) आदि प्रमुख हैं, तो राजनीतिक दृष्टि से 'भारतमित्र' (1877), 'उचित वक्ता' (1878), 'भारतोदय' (दैनिक, 1883), 'शुभचिंतक' (1887), 'हिंदी बंगवासी' (1890) आदि प्रमुख हैं।

1895 में बनारस से 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसमें गंभीर साहित्यिक समीक्षा होती थी। तत्पश्चात 1990 में 'सरस्वती' और 'सुदर्शन' पत्रों का प्रकाशन आरंभ हुआ। ये पत्र 19वीं शताब्दी के हिंदी के कर्मठ उपासकों एवं चिंतकों की निधि होते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश आज हमारे लिए ये उपलब्ध नहीं हैं।

1900 से 1920 तक के समय को हिंदी पत्रकारिता के तृतीय चरण के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक आते-आते देश में धर्म और समाज सुधार के आंदोलन कुछ कम हो गये थे और देश स्वतंत्रता के आंदोलन से जूझ रहा था। इसीलिए इस चरण के अधिकांश समाचार पत्र व पत्रिकाओं में बौद्धिक साहित्य, राजनीति और देशप्रेम से संबंधित समाचारों की अधिकता होती थी। साहित्यिक पत्रों की श्रेणी में आरंभिक दो दशकों में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित 'सरस्वती' नामक पत्र का खूब बोलवाला बना रहा। पंडित रूपनारायण पांडेय द्वारा प्रकाशित 'इंदु' नामक पत्रिका भी इस चरण की महत्वपूर्ण पत्रिका मानी जाती थी। इन दोनों पत्रों के माध्यम से संपादकों ने हमेशा सतर्कता, अध्यवसाय और ईमानदारी के आदर्श को समाज के समक्ष रखने की कोशिश की, जिससे हिंदी पत्रकारिता को एक नई दिशा प्राप्त हुई। 19वीं सदी के दौरान देश की राजधानी कोलकाता होने के कारण पूरब में बंगाल राज्य और देश की औद्योगिक गतिविधियों की केंद्रबिंदु मुंबई होने के कारण महाराष्ट्र राज्य लोक-जागृति के सर्वाधिक बड़े केंद्र थे। हिंदी प्रदेश के पत्रकारों ने इन प्रांतों के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदी भाषी राज्यों में उग्र होते स्वतंत्रता आंदोलन के कारण राजनीतिक क्षेत्र में हिंदी पत्रकारिता का उत्तरोत्तर विकास होता रहा और 'अभ्युदय' (1905), 'प्रताप' (1913), 'कर्मयोगी' व 'हिंदी केसरी' (1904-1908) आदि जैसे पत्रों का प्रकाशन इसके प्रमाण हैं।

1921 तक आते-आते कलकत्ता से 'कलकत्ता समाचार', 'स्वतंत्र', 'विश्वमित्र' एवं मुंबई से 'वेंकटेश्वर समाचार' के अलावा दिल्ली से 'विजय', बनारस से 'आज' और कानपुर से 'वर्तमान' नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन होने लगा। साहित्यिक पत्रिकाओं के क्षेत्र में भी नई प्रवृत्तियों का आरंभ होने लगा। अत: 1921 के बाद की अवधि को हिंदी पत्रकारिता का समसामयिक युग माना जाता है। इस समय तक हिंदी विश्वविद्यालयों में पहुँच गई थी और इस युग में ऐसे संपादक सामने आये, जो अंग्रेजी पत्रकारिता का ज्ञान रखते थे तथा हिंदी पत्रों को अंग्रेजी, मराठी और बंगला के पत्रों के समकक्ष लाना चाहते थे। यहीं से साहित्यिक पत्रकारिता का नया युग आरंभ हुआ। राष्ट्रीय आंदोलनों में भी हिंदी के महत्व की घोषणा होने लगी। परिणामस्वरूप हिंदी पत्रकारिता का महत्व भी बढ़ने लगा।

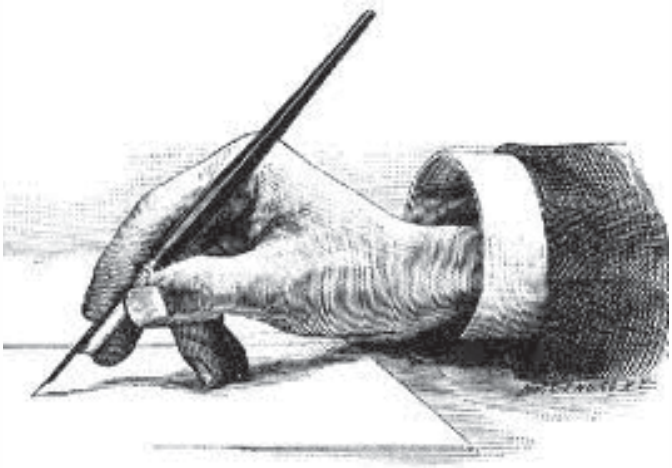

1921 तक आते-आते गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन मध्यवर्ग तक सीमित न रहकर ग्रामीणों और श्रमिकों तक पहुँच गया। इस राष्ट्रीय महत्व व स्वतंत्रता के पुनीत कार्य में हिंदी पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन आंदोलनों में हिंदी पत्रकारों ने आगे बढ़कर विदेशी सत्ता की ताकतों का डटकर मुकाबला किया। ब्रिटिश सरकार ने नये-नये कानून बनाकर समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता पर हमेशा अंकुश लगाने की नाकाम कोशिशें करती रही। लेकिन हिंदी के पत्रकारों ने जेल, जुर्माना एवं क्रूर मानसिक व आर्थिक कठिनाइयों को झेलते हुए हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में स्वतंत्र विचार की ज्योति को प्रदीप्त किए रखा। 'स्वार्थ' (1922), 'मर्यादा' (1923), 'त्यागभूमि' (1928), 'नया साहित्य' (1945), 'हिमालय' (1946), 'कर्मवीर' (1924), 'स्वदेश' (1921), 'विश्वबंधु' (1933), 'हुंकार' (1942), 'जनवार्ता' (1972) आदि इसके प्रमाण हैं। इनमें से अधिकांश पत्र साप्ताहिक होते थे और जनमानस में अपनी भावना को प्रेषित करने में सक्षम होते थे।

कला की दृष्टि से हिंदी पत्रकारिता के तृतीय व चतुर्थ चरण में जमीन-आसमान का अंतर दीखने लगता है। राजनीतिक पत्रकारिता के क्षेत्र में 'आज' (1921) का वही स्थान है, जो

साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को प्राप्त है। वास्तव में 'आज' ने हिंदी पत्रकारिता को कई जाने-माने संपादक और पत्रकार दिये हैं। भाषा-शैली की दृष्टि से **1921** के बाद हिंदी साहित्य कुछ पत्र-पत्रिकाओं से स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। वस्तुत: पत्र-पत्रिकाएँ जितनी बड़ी जनसंख्या को छूती हैं, विशुद्ध साहित्य की वहाँ तक पहुँच संभव नहीं होती।

विदेशों में हिंदी पत्रकारिता के विकास में प्रवासी भारतीयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऐतिहासिक दृष्टि से विदेशों में हिंदी पत्रकारिता का जन्म **1883** में माना जाता है। **1883** में राजा रामपाल सिंह ने सर्वप्रथम लंदन से 'हिंदुस्तान' नामक हिंदी पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। यह पत्र त्रिभाषी, अर्थात हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। लगातार दो वर्ष तक लंदन से प्रकाशित होने के पश्चात **1885** से यह अवध के कालाकांकर से प्रकाशित होने लगा। लंदन से प्रकाशित होनेवाले पत्रों में सुकुमार मजूमदार का 'प्रवासी' और जगदीश कौशल का 'अमरदीप' उल्लेखनीय हैं।

हिंदी पत्रकारिता अपनी पहुँच मात्र लंदन तक ही नहीं बनाई थी, बल्कि इसकी पहुँच मारीशस में भी हो चुकी थी। मणिलाल के संपादन में प्रकाशित 'हिंदुस्तानी' नामक पत्र को मारीशस का सर्वप्रथम हिंदी पत्र माना जाता है। इसका प्रकाशन **1909** में हुआ था। तत्पश्चात **1940** में आत्माराम विश्वनाथ के द्वारा प्रकाशित 'जागृति' एवं **1968** में सोमदत्त बरबौरी द्वारा प्रकाशित 'अनुराग' नामक पत्र विशेष उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार वर्ष **1972** में मास्को से निकोलोई गिबोचोव के संपादन में प्रकाशित 'सोवियत संघ' नामक पत्र के प्रकाशन से हिंदी पत्रकारिता की ख्याति तो बढ़ी ही, साथ ही उसके विकास के क्रम में नए आयाम जुड़ गए।

1904 में मदन जीत के संपादन में दक्षिण अफ्रीका से 'इंडियन ओपीनियन' का प्रकाशन आरंभ हुआ। कुछ समय बाद गांधी जी के संरक्षण में यह पत्र फिनिक्स से प्रकाशित होने लगा। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में इस पत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। **1922** में दक्षिण अफ्रीका के डरबन से प्रकाशित 'हिंदी' मासिक पत्रिका अपने समय के प्रवासी भारतीयों का लोकप्रिय पत्र था। स्वामी भवानी दयाल सन्यासी इसके संपादक हुआ करते थे।

विभाजन के पूर्व बंगलादेश के ढाका से 'विहार बंधु' नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित होती थी। इसका प्रकाशन **1871** में आरंभ हुआ। तत्पश्चात **1880** में 'धर्मनीति तत्व' नामक मासिक पत्रिका, **1881** में प्रकाशित 'द्वित्र' नामक पाक्षिक पत्रिका और **1905** में प्रकाशित 'नागरी हितैषी', **1911** में प्रकाशित 'तत्व दर्शन' का भी हिंदी पत्रकारिता के विकास में प्रमुख योगदान रहा है।

वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर से भी विभाजन पूर्व कई पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, जिनमें 'भारतीय', 'विश्ववंधु', 'आर्यबंधु', 'आर्यजगत', 'शांति', 'सुधाकर', 'आकाशवाणी' आदि प्रमुख हैं। **1914** में लाहौर से 'आर्य प्रभा' नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके प्रथम संपादक संत राम थे। तत्पश्चात इन्हीं के संपादन में 'उषा' नामक पत्रिका का भी प्रकाशन आरंभ हुआ। **1927** में खुशहाल चंद सुखचंद के संपादन में 'हिंदी मिलाप' प्रकाशित होने लगा। कालांतर में हरिकृष्ण प्रेमी, रूपनाथ मलिक एवं संत राम इसके संपादक बने। भारत के विभाजन काल में आत्म स्वरूप शर्मा इसके संपादन बने, जिन्होंने **15** अगस्त, **1947** को भारत की आजादी के लिए अपने प्राण त्याग दिये। **1949** से जालंधर से पुन: इसका प्रकाशन होने लगा। इसके संस्करण हैदराबाद एवं लंदन से भी प्रकाशित होते हैं।

विदेशों में हिंदी पत्रकारिता के विकास में फिजी का विशेष स्थान है। उस समय फिजी में सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक व कृषि विज्ञान से संबंधित कई पत्रों का प्रकाशन हो रहा था। कृषि विज्ञान से संबंधित पत्रों में 'अखिल फिजी कृषक संघ', 'किसान', 'किसान मित्र' का प्रमुख स्थान है। ऐसे ही सामाजिक व राजनैतिक क्षेत्रों में 'जय फिजी', 'सनातन संदेश', 'शांति दूत', 'जागृति', 'इंडियन टाइम्स' आदि का उल्लेखनीय स्थान है। 'इंडियन टाइम्स' द्विभाषी, अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। तत्पश्चात **1927** में प्रकाशित 'इंडियन सेटेलर्स' का स्थान आता है, जो कुछ वर्ष पश्चात बंद हो गया। यह लिथो में मुद्रित बहुभाषी पत्रिका थी, जिसमें हिंदी के अंश भी होते थे। इसके अलावा 'फिजी समाचार', 'वृद्धि', 'पैसेफिक', 'वृद्धि वाणी', 'तारा', 'जागृति', 'फिजी संदेश' आदि पत्र-पत्रिकाएँ फिजी में हिंदी पत्रकारिता के उन्नयन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।

1947 के बाद आजाद भारत में हिंदी पत्रकारिता ने एक लंबी दूरी तय की है। प्रेस की स्वतंत्रता और तकनीकी विकास ने दुनिया की बहुसंख्य बोली जाने वाली अन्य भाषाओं की पत्रकारिता की तरह ही हिंदी पत्रकारिता को भी बहुत गति प्रदान की है। छापाखानों की उन्नत होती तकनीक और संचार के इलेक्ट्रानिक माध्यमों ने तो हिंदी पत्रकारिता के स्वरूप को ही बदल दिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया को पाँचवा स्तंभ माना जाने लगा। इससे प्रेस को बहुत अधिक स्वतंत्रता मिल गई। इससे स्वतंत्र पत्रकारिता खूब फूल-फल रही है।

आठवें व नवें दशक में भारतीय भाषाओं व हिंदी की पत्रकारिता के क्षेत्र में भारी बदलाव आया। जो अखबार समूह बड़े-बड़े शहरों से प्रकाशन करते थे, उन्होंने अब मध्यम श्रेणी के

नगरों व कस्बों से भी अपना प्रकाशन आरंभ कर दिया। इनमें से 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर', 'दैनिक जागरण' जैसे अखबार प्रमुख हैं।

आज भारत में रोजाना हिंदी के हजारों पत्र प्रकाशित हो रहे हैं और इसके अतिरिक्त सैकड़ों टी वी चैनल पूरे विश्व में हिंदी भाषा के समाचारों को प्रसारित कर रहे हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर एक विशाल बाजारी नेटवर्क का प्रादुर्भाव हुआ है। वर्तमान में प्रिंट मीडिया पर इलेक्ट्रानिक मीडिया हावी है, फिर भी भारत का विस्तृत ग्रामीण बाजार, जो अभी भी आधुनिक इंटरनेट सुविधाओं से ठीक से नहीं जुड़ा है, आज भी इलेक्ट्रानिक मीडिया पर कम और प्रिंट मीडिया पर अधिक निर्भर है। इसी स्वरूप का फायदा उठाने के लिए समाचार-पत्रों के मालिक देश के अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपने बाजार को फैलाए हुए हैं।

साथ ही वैश्विक बाजार में खुलापन आने से उत्पाद निर्माता कंपनियों ने अपने उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए प्रिंट एवं इलेक्टानिक मीडिया दोनों माध्यमों का खूब उपयोग कर रहे हैं। इससे उत्पाद निर्माताओं, प्रकाशकों और उपभोक्ताओं सभी को लाभ हुआ है। कस्बों में फैलते बाजार में नई वस्तुओं के लिए नये उपभोक्ताओं की तलाश भी आरंभ हुई। हिंदी के समाचार पत्र इन वस्तुओं के प्रचार-प्रसार का एक जरिया बनकर उभरे हैं। समाचार-पत्रों के इन संस्करणों के स्थानीय स्तर पर प्रकाशित होने से समाचार-पत्रों के पाठकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

मीडिया विशेषज्ञ सेवंती निनान ने इसे 'हिंदी की सार्वजनिक दुनिया का पुनर्विष्कार' की संज्ञा दी है। उनके अनुसार प्रिंट मीडिया ने स्थानीय घटनाओं के कवरेज द्वारा जिला स्तर पर हिंदी के सार्वजनिक दुनिया का विस्तार किया है। साथ ही समाचार-पत्रों के स्थानीय संस्करणों के द्वारा अनजाने में इसका पुनर्विष्कार किया है। **1990** में राष्ट्रीय पाठक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार पहले पाँच समाचार-पत्रों में हिंदी समाचार पत्र केवल एक हुआ करता था। **2010** के सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हो गया कि सबसे अधिक पढ़े जानेवाले पाँच समाचार-पत्रों में पहले चार समाचार पत्र हिंदी के हैं। यह हिंदी पत्रकारिता के विकास का एक ज्वलंत प्रमाण है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के आंकड़ों के अनुसार हिंदी और भारतीय भाषाओं में नेट पर पढ़ने-लिखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अत: हिंदी के पत्रकारों को भी जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरते हुए तेजी से आगे बढ़ना होगा।

आज ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में नये-नये आविष्कार किये जा रहे हैं। लोगों को शिक्षा व रोजगार के नये अवसर प्राप्त हो रहे हैं, जिससे जीवन में उन्नति की नई संभावनाएँ दीख रही हैं। इन सभी विषयों की जानकारी मिलने की प्रक्रिया पत्रकारिता से ही संभव हो पाई है। सरकार जनता के कल्याणार्थ बहुत से कार्यक्रमों का निर्माण करती है एवं उन्हें लागू करके जनता तक पहुँचाती है, ऐसे कार्यक्रमों की सफलता में पत्रकारिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान में भूमंडलीकरण व सूचना-क्रांति के बदौलत पूरा विश्व एक गाँव के रूप में सिमट गया है और आधुनिक पत्रकारिता के माध्यम से ग्रामीण पत्रकारिता को वैश्विक पटल पर उभारने में यह सहायक सिद्ध हुई है। साथ ही इसने ज्ञान-विज्ञान, कला और संस्कृति और राजनीतिक एवं कूटनीतिक स्तर पर बहुत बदलाव किया है।

इसीलिए वर्तमान युग को संचार का युग कहा जाने लगा है। लेकिन पत्रकारिता के स्वरूप में हो रहे नित नए बदलाव व वातावरण के प्रतिस्पर्धी होने एवं बाजार में अव्वल दर्जे के पत्रकारों, प्रकाशकों, संपादकों एवं अन्य मीडिया कर्मियों के अभाव में इसका स्तर गिरा है। इससे मीडिया पर से जनसामान्य का विश्वास कुछ हद तक कम हुआ है। हाल ही में संपन्न हुए **15**वीं लोकसभा के चुनाव में बहुत से चैनलों एवं पत्रकारों ने अपनी सीमाएँ लांघकर समाचारों को प्रकाशित व प्रसारित किया, जिससे पत्रकारिता शर्म सार हुई है।

कई बार तो ऐसा भी होता है कि मीडिया समाचार के तह में जाए बिना ही अफवाहों को हवा दे देती है, जिससे पाठक या दर्शक के सामने द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। प्राय: देखा जाता है कि नामी-गिरामी पत्रकार भी लोगों के साक्षात्कार अथवा सामूहिक चर्चा के दौरान बिल्कुल एक तरफा होकर बातें करने लगते हैं या यूँ कहें कि अपनी पूर्व अवधारणा के आधार पर चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे वास्तविक मुद्दा पीछे छूट जाता है और उनकी अवधारणा दर्शकों पर थोप दी जाती है। ऐसी प्रवृत्तियाँ स्वस्थ पत्रकारिता के लिए घातक होती हैं और इनसे बचना चाहिए।

हमारा समाज धीरे-धीरे बौद्धिकता आधारित बनता जा रहा है। साथ ही विज्ञान और तकनीक ने इसकी गति को और बढ़ा दी है। इस तेज गति को प्रतिस्पर्धा के माहौल ने और अधिक सघन कर दिया है। ऐसे माहौल में पत्रकारिता अथवा मीडिया द्वारा दी गई कोई भी भ्रामक जानकारी व्यक्ति एवं समाज के साथ धोखा तो होती ही है, मीडिया या पत्रकारिता के लिए भी शुभ नहीं होती।

- सहायक प्रबंधक (हिंदी)
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र
मोबाइल: **+9949844146**

मोक्ष

- डॉ मदन सैनी -

जीवन में व्यक्ति की क्या-क्या कामनाएँ नहीं होतीं। उसे रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं, मरणोपरांत मोक्ष हेतु भी तरह-तरह के यत्न करने होते हैं। जीवन के चारों पुरुषार्थों में से धर्म, अर्थ और काम तो व्यक्ति के हाथ में होते हैं, पर मोक्ष पा लेना उसके हाथ में नहीं होता। इसे पाने के लिए उसे पहले तीन पुरुषार्थों का पालन भली-भांति करना होता है।

रामकृपाल इन्हीं पुरुषार्थों का पालन करते हुए अपने जीवन की गाड़ी हाँके जा रहा था। उसके जीवन में किसी बात की कमी नहीं थी। हाँ, एक बड़ा अभाव जरूर था। उसके विवाह को कई वर्ष बीत गए थे, पर उसकी पत्नी को कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। फिर भी दोनों पति-पत्नी बडे प्रेम से हँसी-खुशी जीवन यापन कर रहे थे। वे पड़ोसियों के सुख-दु:ख में भी बढ़-चढ़कर भाग लेते थे। उन्हें संतान का होना, न होना उतना नहीं अखरता था, जितना कि लोगों के बोल अथवा उनकी नजरें।

एक दिन तो गजब ही हो गया। आषाढ़ में पहली वर्षा हुई थी। भिनसारे ही लोगों का खेतों में हल जोतने के लिए जाना शुरु हो गया था। रामकृपाल आज कुछ जल्दी ही दिशा-मैदान जाकर लौट रहा था। सामने से आ रहा हरखा उसे देख उलटे पाँव लौट पड़ा।

'अरर... अपशकुन हो गया!' हरखा आहिस्ते-से बड़बड़ाया।

'अरे, हरखा भाई! मुड़ क्यों गए? जाओ, खेत जोतो, मेरे मिल जाने से कुछ नहीं होगा। तुम अपना काम करो', रामकृपाल ने कहा।

'यह तो मैं भी जानता हूँ कि आपके मिल जाने से कुछ भी नहीं होगा। तभी तो वापस मुड़ा हूँ। बेकार मेहनत करने से क्या फायदा है?' कह कर हरखा अपने घर की ओर लौट पड़ा।

हरखा के बोल रामकृपाल को नाविक के तीर की तरह लगे, पर वह क्या करता? चुपचाप घर आ गया। उसने दु:खी मन से सारी बात धर्मपत्नी को कह सुनाई। दोनों दु:खी हो उठे। वे करते भी क्या? आखिर उन्होंने सयाने लोगों से सलाह ली। लोगों के कहे अनुसार तीर्थ-व्रत किए, सप्ताह बंचवाई और लोकदेवता भैरूंजी की गठजोड़े से 'जात' भी बोली।

लोगों का कहना था कि व्यक्ति को मोक्ष तभी मिलता है, जब दाह-संस्कार के वक्त उसका पुत्र उसे मुखाग्नि दे और कपाल-क्रिया भी वही करे।

रामकृपाल और उसकी पत्नी ने प्रभु से प्रार्थना करते समय माँगा कि उनको पुत्र धन की प्राप्ति हो, भले ही उसके जन्म लेते ही भगवान उन्हें उठा ले। इस पर उन्हें कोई दु:ख नहीं होगा, उलटे वे अपने आपको सौभाग्यशाली ही समझेंगे। क्योंकि फिर 'निपूते' कह कर लोग ताने तो नहीं देंगे और देख कर मुँह तो नहीं फेरेंगे। उन्हें यह सोचकर दु:ख होता कि लोगों के दु:ख-दर्द में बराबर हिस्सा बांटते रहने पर भी लोगों की उनके प्रति भावनाएँ क्यों नहीं बदलतीं।

रामकृपाल की धर्मपत्नी उससे कई बार सवाल करती कि औरत होकर माता बनना ही जब उसके भाग्य में नहीं लिखा है, तो भगवान ने उसे धरती पर भेजा ही क्यों? वह कहती कि मैं कैसे जान पाऊँगी कि 'कोई औरत माँ कैसे बनती है और जब बच्चे को जन्म देती है, तब उसे कैसा लगता है?' सुनकर रामकृपाल मौन रह जाता। उसके कानों में लोगों के बोल गूँजने लगते... 'व्यक्ति को मोक्ष तभी मिलता है, जब दाह-संस्कार के वक्त उसका पुत्र उसे मुखाग्नि दे और कपाल-क्रिया भी वह करे।' वह सोच में डूब जाता... बिना पुत्र रतन कौन उन्हें मुखाग्नि देगा, कौन कपाल-क्रिया करेगा, कौन उन्हें सद्गति दिलाएगा और कैसे उन्हें मोक्ष मिलेगी?

> 'मैंने तो सुन रखा है कि हिंदुओं में पाँच तरह से अंत्येष्टि-कर्म किए जाते हैं। उनमें जल, थल, वायु और अग्नि के माध्यम से मृत शरीर पंच तत्वों में विलीन होकर सद्गति पा लेता है। फिर आप किस बात का संकोच कर रहे हैं। मैंने कल ही एक कब्र की सफाई की है। यदि आप कहें, तो यह डेड-बॉडी उसमें दफनाई जा सकती है। कब्र में दफनाने के बाद छह महीने में यह मिट्टी में मिल जाती है। छह महीनों के बाद उस कब्र को पुन: साफ कर दिया जाता है, ताकि फिर कोई नई डेड-बॉडी को उसमें दफनाई जा सके। मिट्टी की देह का मिट्टी में मिलना ही मोक्ष है और यह क्रम यहाँ बराबर चलता रहता है।'

विधि का विधान कौन जानता है। रामकृपाल के भाग्य में भी संतान-सुख लिखा था। उसकी धर्मपत्नी की 'आस' ठहरी। दोनों पति-पत्नी बहुत खुश हुए। आपस में बहस करते कि लड़का होगा या लड़की? रामकृपाल लड़की की हिमाकत तो करता, लेकिन मन में मोक्ष दिलाने वाली बात उसे रोक लेती। फिर दोनों ने तय किया

कि भगवान से भीख माँगने पर ही उन्हें पुत्र या पुत्री के सुख का सुयोग मिलने वाला है, अत: यदि पुत्र हुआ तो उसका नाम भीखा या मंगता रखेंगे और यदि पुत्री हुई, तो उसका नाम भीखी या मंगती रख देंगे।

रामकृपाल पर रामकृपा हुई। उसकी पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम रखा गया मंगत। मंगत का पालन-पोषण बहुत ही हँसी-खुशी से होने लगा। बहुत लाड़-प्यार दिया जाने लगा। मंगत को जरा-सा बुखार भी हो जाता तो माता-पिता बहुत परेशान हो जाते। एक बार उसे निमोनिया हो गया, वह लंबी-लंबी साँस लेने लगा। लगा कि अभी कुछ अशुभ हो जाएगा। नाभि से कुछ ऊपर कलेजे के नीचे गड्ढा पड़ने लगा। माता-पिता घबरा उठे। मंगत को गोद में लिए वे कुम्हारी दादी के घर पहुँचे। दादी ने उन्हें ढाढ़स बँधाया और मंगत को 'चपकिया' लगा दिया। दैवयोग से मंगत पुन: स्वस्थ हो गया। लेकिन इस घटना के बाद रामकृपाल के मन में गहरा डर बैठ गया। वह सोचने लगा कि यदि मंगत को कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो क्या होगा? गाँव में कोई योग्य वैद्य तक नहीं है, डॉक्टर का तो स्वप्न देखना ही व्यर्थ है। भगवान ने चाहा तो गाँव के इस अभाव को वह अवश्य ही दूर करेगा...

एक-न-एक दिन वह मंगत को डॉक्टर बनाकर रहेगा। ऐसा होने पर गाँव में उसका कितना मान होगा। वह मन-ही-मन सोचता। रामकृपाल का यह सपना भी साकार होने की ओर अग्रसर होने लगा। मंगत स्कूल जाने लगा। गाँव में प्राथमिक पाठशाला थी। उसके बाद पड़ोस के गाँव में जाकर मंगत ने उच्च माध्यमिक स्तर तक पढ़ाई पूरी की। पढ़ने में उसकी गहरी रुचि थी। विज्ञान में तो वह हमेशा अव्वल ही रहा। देखते-ही-देखते गाँव की सीमाएँ लांघकर मंगत शहर के मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो गया। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। मंगत डॉक्टर बन गया। रामकृपाल ने गाँव भर में मिठाइयाँ बांटी। गाँव वाले भी बहुत खुश हुए।

मंगत अब डॉक्टर मंगत बन चुका था। शहर में उसका अच्छा नाम था। उसकी ख्याति की रोशनी गाँव तक पहुँचने लगी। पर, रामकृपाल का सपना, सपना ही रह गया। लोग उससे पूछते, 'क्या हुआ आपके वायदे का? आप तो कहते थे कि डॉक्टर बनने के बाद मंगत गाँव वालों की सेवा करेगा, पर डॉक्टर बनने के बाद उसने तो कभी गाँव की तरफ मुँह तक नहीं किया।'

रामकृपाल हँस कर कहता, 'क्या बताऊँ, मैंने मंगत को बहुत समझाया। पर वह कहता है कि गाँव के बजाय शहर में रह कर वह अधिक मरीजों की सेवा कर रहा है। वह यह भी कहता है कि गाँव में उसका मन भी नहीं लगता। अब मैं क्या करूँ, मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि वह जहाँ भी रहे, सुखी रहे, बस।'

वर्ष बीतते रहे। मंगत की गिनती शहर के अच्छे डॉक्टरों में होने लगी। क्षेत्र में मंगत की अच्छी पहचान बना ली थी। एक बात जरूर थी कि उसके गाँव के लोग जब भी शहर में आकर उससे इलाज कराते, वह उनसे फीस नहीं लेता।

रामकृपाल को इसी बात का संतोष था। उसे इस बात पर गर्व भी था कि उसका स्वप्न पूरा नहीं तो आधा ही सही, साकार तो हुआ ही है। आज उसका बेटा एक सुयोग्य डॉक्टर तो है।

जब कभी मंगत गाँव आता तो गाँव के बुजर्गों का मान भी रखता था। उनके स्वास्थ्य की जांच-पडताल भी करता था। गाँववालों को भी इस बात का गर्व था कि उनके गाँव का एक व्यक्ति शहर में बड़ा डॉक्टर है।

गाँव की आबादी बढ़ती गई। अब इस गाँव में अस्पताल भी खुल गया। प्राथमिक पाठशाला के क्रम को उन्नत करके माध्यमिक विद्यालय बना दिया गया था। गाँव सड़क मार्ग से जुड़ गया था। गाँव से शहर आने-जाने के लिए सड़क पर गाड़ियाँ भी दौड़ने लगी थीं। पर, मंगत गाँव आने के बजाय महानगर की ओर जाने की सोच रहा था। उसने अपने साथ पढ़ी हुई लड़की डॉक्टर शकुंतला से शादी भी कर ली। शकुंतला को तो मंगत का गाँव बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। शकुंतला की सलाह से ही वह अपना भाग्य महानगर में आजमाना चाह रहा था।

इसी बीच रामकृपाल को हार्ट-अटैक हुआ और वे चल बसे। मंगत अपनी धर्मपत्नी के साथ गाँव पहुँचा। पिता की अर्थी को कंधा दिया, मुखाग्नि दी, कपाल-क्रिया की और जार-जार रोया। बुजर्ग लोगों ने उसका सिर सहलाया, पुचकारा और धैर्य रखने को कहा। पिता के मृत्यभोज के अगले ही दिन मंगत ने सवा महीने का घड़ा भरवाया और उसके बाद छमाही का घड़ा भरवाकर पत्नी सहित पुन: शहर आ गया। आते समय माँ से खूब आग्रह किया कि वह भी शहर चले, पर माँ ने साफ मना कर दिया। उसके बेटे-बहू को गाँव अच्छा नहीं लगता, तो उसे फिर शहर कैसे अच्छा लगता? पैसों की तो कोई कमी नहीं थी, मन माने वहीं मौज करो। आखिर वे दोनों चुपचाप शहर चले आए। पर, शहर में भी वे सुविधाएँ कहाँ थीं, जो महानगरों में मुहैया होती हैं।

मंगत अधिक दिनों तक शहर में नहीं रहा। पत्नी को लेकर मुंबई चला गया। मुंबई में उसका एक सहपाठी डॉक्टर था। वहाँ उसका एक मेडिकल चैंबर था। उसी के कहने पर दोनों पति-पत्नी मुंबई पहुँचे और वहाँ जाकर उसके चैंबर के सदस्य बन गए। अब गाँव और शहर के बारे में सोचने तक का समय उनके पास नहीं था। गाँव से माँ के पत्र पहुँचते, पर उनका प्रत्युत्तर देने की फुर्सत किसे थी।

मुंबई आए दो वर्षों में ही दोनों का मन लग गया। मुंबई में ही शकुंतला ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दोनों में एक लड़का था और एक लड़की थी। रवि और निशा बच्चों के नाम रखे गए। दोनों बहन-भाई बहुत ही सुंदर थे। डॉक्टर दंपति ने उन्हें पढ़ाई-लिखाई की सारी सुविधाएँ देने लगे। वे दोनों भी बड़ी ही कुशाग्र बुद्धि वाले थे। यहाँ की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे दोनों अमेरीका जाना चाहते थे। माता-पिता के पास धन का कोई अभाव तो था नहीं। दोनों को खुशी-खुशी अमेरीका भेज दिया गया।

गाँव से माँ के पत्र अभी भी आते थे, पर उनका जवाब कौन देता? माँ को पता लग चुका था कि उनके पौत्र-पौत्री हैं। एक बार तो उसका मन भी बना कि उनका मुँह देख आए, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपने आप को रोक ली।

कुछ दिनों बाद गाँव से चार-पांच लोगों का एक दल मुंबई पहुँचा। इस दल के सदस्य, डॉक्टर मंगत के फ्लैट पर भी पहुँचे। वे लोग गाँव के श्मशान के चारों तरफ चार-दीवारी बनाने के लिए चंदा एकत्र कर रहे थे। पर डॉक्टर दंपति ने साफ मना कर दिया। उन्होंने लगभग ताना देते हुए कहा कि श्मशानों को क्या कोई चोर उठा ले जाने वाला है, जो कि आप लोग उनके चारों ओर दीवार बनाना चाहते हैं।

गाँव के लोग कुछ नहीं बोले। वे चुपचाप लौट आए। इस घटना के छह महीने बाद मंगत की माँ का देहांत हो गया। गाँव से तार आया था। डॉक्टर को माँ की याद आई। शकुंतला का मन नहीं था, फिर भी उसे लोकलाज वश गाँव आना पड़ा। पर इस बार गाँव में वे दोनों अकेले थे। गाँववालों से इस बार उन्हें किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिला। दो घर-पडोसियों के अलावा गाँव का कोई व्यक्ति उसकी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। इतना ही नहीं, गाँव के लोगों ने कह दिया कि श्मशान भूमि की चार-दीवारी बनवाने में डॉक्टर का कोई सहयोग नहीं मिला, इसलिए वह अपनी माँ का दाह-संस्कार गाँव की श्मशान भूमि पर नहीं कर सकता।

थक-हारकर पड़ोसियों के सहयोग से गाँव के दक्षिण में एक साफ-सुथरी जगह पर मंगत ने अपनी माँ का दाह-कर्म किया और अपनी अपात्रता पर बहुत दु:खी हुआ। माँ के दाह-संस्कार स्थल पर उसने पड़ोसियों की सलाह से एक शिवालय और प्याऊ का निर्माण करवाया और गाँव की चल-अचल को बेचकर एक ट्रस्ट स्थापित किया, जिसमें उसके पड़ोसी और वह खुद तथा उसकी पत्नी भी ट्रस्टी बने। ट्रस्ट का नाम भी उसने अपने माता-पिता के नाम के साथ एक सार्वजनिक शब्द जोड़कर रखा। ट्रस्ट बना देने से शिवालय में पूजा-पाठ और प्याऊ चलाने की स्थाई व्यवस्था हो गई थी।

इतना सब-कुछ होने के बावजूद लोगों ने उसे खूब खरी-खोटी सुनाई। कहा कि तुम्हारे भी बेटा-बेटी हैं। खुद के जाए-जन्म ही जब कुपात्र निकल जाए, तो दूसरों को कोई क्यों दोष दे? क्या माँ-बाप इसलिए संतान को जन्म देते हैं कि वह उनका जन्म बिगाड़े? उस समय मंगत दंपति की जबान तालु से चिपक गई थी। उसे विदेश में पढ़ रहे अपने बच्चों की याद आने लगी। अब गाँव से उनका किंचित भी तनाव न रहा।

वे फिर मुंबई आ गए। मुंबई आते ही उन्हें रवि और निशा के मैरिज-कार्ड मिले। तब तक तो दोनों बहन-भाई अपनी-अपनी पसंद के लड़के-लड़की से प्रेम-विवाह भी कर चुके थे। माता-पिता की रजामंदी के स्थान पर वर-वधू की रजामंदी के युग को डॉक्टर दंपति अच्छी तरह जानते थे। पर, उनके संस्कार ऐसे न थे कि इस समाचार से उनके चेहरे खिल उठते।

विवाह के बाद रवि और निशा अपने-अपने जोड़ीदार के साथ मुंबई आए। माता-पिता का आशीर्वाद लिया और सप्ताह भर रुके भी। उन्होंने माता-पिता से आग्रह किया कि 'हमारे साथ अमेरीका चलें, हम लोगों ने तो वहीं घर बनाकर रहने का इरादा कर लिया है।' बेटा और बेटी की मनुहार पर मंगत और शकुंतला

अमेरीका गए भी, पर वहाँ उनका मन नहीं लगा और वे पुन: मुंबई वापस आ गए।

दिन बीतते देर नहीं लगती। मंगत और शकुंतला ने काम से संन्यास ले लिया। उनकी उम्र भी ढलने लगी थी। अब वे अपने दसवीं मंजिल पर लिए हुए फ्लैट में ही सिमट कर रह गए थे। शकुंतला को पता नहीं कैसी पाजी बीमारी लगी कि किसी भी डॉक्टर की पकड़ में नहीं आई। मरने से पहले वह अपने बेटे-बेटी से मिलना चाहती थी। मंगत ने उन्हें फोन भी किया, पर उन्होंने अपनी व्यस्तता का रोना रो दिया और कह दिया कि शीघ्र ही आने की कोशिश कर रहे हैं। पर माँ को बेटा-बेटी को देखना नसीब नहीं हुआ। उनकी बाट देखते-देखते शकुंतला की आँखें पथरा गईं और एक दिन वह इस दुनिया को अलविदा कह कर चलते बनी।

मंगत अपने बच्चों के बारे में सोचता रहा। उसके माता-पिता भी शायद इसी तरह उसके बारे में सोचते रहे होंगे। रवि और निशा ने शीघ्र ही आने की बात कही थी। पता नहीं, उनका शीघ्र कब पूरा हो! मुंबई के मिलने-जुलने वाले लोग तो पहले ही किनारा कर चुके थे। मिलने की फुर्सत किसके पास थी? रवि की माँ ने रात के दस बजे दम तोड़ा था। मंगत किंकर्तव्यविमूढ़ हो गया। उसकी चेतना को साँप सूंघ गया और जब होश आया, तो सुबह के सात बज रहे थे।

वह फ्लैट से नीचे उतरा। नीचे एक पान वाले की दूकान थी। मंगत ने उससे अपनी आपबीती कही। संयोग से वहाँ एक ईसाई ड्राइवर की गाड़ी आई हुई थी। वह ड्राइवर मुंबई से बाहर जाने वाला था और पानवाले को जानता भी था। पानवाले ने मंगत की परेशानी समझ ली थी। उसने सलाह दी कि यह गाड़ी बाहर जा रही है, आप चाहें तो डेड-बॉडी को इस गाड़ी से श्मशान तक भिजवाया जा सकता है। मंगत इसके लिए राजी हो गया। ईसाई ड्राइवर भला आदमी था। उसने पानवाले की बात मान ली। पानवाले व ड्राइवर की मदद से मंगत ने डैड-बॉडी गाड़ी में रखवाई और फिर ड्राइवर की बगल में बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी।

मुंबई की विशाल सड़कों पर काफी देर तक गाड़ी दौड़ती रही। फिर उस महानगर के बाहर बियाबान जंगल में गाड़ी रोकते हुए ईसाई ड्राइवर बोला, 'मुझे तो आगे जाना है। आप यहीं उतर जाइए, सामने ही कब्रिस्तान है।' उसने हाथ के इशारे से मंगत को कब्रिस्तान दिखलाया।

मंगत की चेतना को एक और बड़ा झटका लगा। वह बोला, 'हम लोग तो हिंदू हैं। यहाँ कब्रिस्तान पर क्यों ले आए? हमें हिंदुओं के श्मशान घाट पर ले चलो, प्लीज!' पर ड्राइवर के पास समय कहाँ था? उसने मंगत की एक न सुनी और डेड-बॉडी वहीं उतार कर चलता बना।

कब्रिस्तान के चौकीदार ने डैड-बॉडी के साथ मंगत को देखा। वह उसके पास आया। कुछ देर तक दोनों में बातचीत होती रही। उन बातों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साथ-साथ जीवन का अंतिम सत्य 'मृत्यु' एक बड़े सवाल की तरह उनके सामने था। मंगत ने चौकीदार से हिंदुओं के श्मशानों के बारे में जानना चाहा। चौकीदार ने अपनी अनभिज्ञता जाहिर कर दी। उसने कहा कि 'मैंने तो सुन रखा है कि हिंदुओं में पाँच तरह से अंत्येष्टि-कर्म किए जाते हैं। उनमें जल, थल, वायु और अग्नि के माध्यम से मृत शरीर पंच तत्वों में विलीन होकर सद्गति पा लेता है। फिर आप किस बात का संकोच कर रहे हैं। मैंने कल ही एक कब्र की सफाई की है। यदि आप कहें, तो यह डेड-बॉडी उसमें दफनाई जा सकती है। कब्र में दफनाने के बाद छह महीने में यह मिट्टी में मिल जाती है। छह महीनों के बाद उस कब्र को पुन: साफ कर दिया जाता है, ताकि फिर कोई नई डेड-बॉडी को उसमें दफनाई जा सके। मिट्टी की देह का मिट्टी में मिलना ही मोक्ष है और यह क्रम यहाँ बराबर चलता रहता है।'

'मोक्ष' शब्द मंगत के कानों में हथौड़े की तरह बजने लगा। उसे मुखाग्नि और कपाल-क्रिया का स्मरण भी हो आया। इसके बाद गंगा नदी के पावन जल में मृतक के 'फूल' प्रवाहित करने का स्मरण भी आया। वह चौकीदार से बोला, 'छह महीने बाद इस कब्र का स्मरण आपको कैसे रहेगा?'

'यह तो रजिस्टर में दर्ज रहता है।' चौकीदार ने जवाब दिया। 'तब तो ठीक है, पर मेरी एक विनती है। छह महीनों के बाद जब आप इस कब्र की सफाई करें, तो मुझे सूचना जरूर दे दें, ताकि मैं इसकी अस्थियाँ गंगा में प्रवाहित कर सकूँ। वही मोक्ष देने वाली है...', कहते-कहते उसका गला भर आया। आंखों से टप-टप आँसू बरसने लगे।

- व्याख्याता हिंदी
अनाथालय के पीछे, विवेक नगर
बीकानेर-334001, राजस्थान
मोबाइल: +7597055150

कविता

मुक्तक

- डॉ रश्मिशील -

वंदन में विश्वास न खोना।
जीवन में उल्लास न खोना।
आज व्याप्त संघर्ष बड़ा है,
कभी शांति की आस खोना।।1।।

मन के विपिन में उगी नागफनी।
मतवाली झूम रही शूल से सनी।
सुरभित रस घोल रही है हरी भरी,
पथ मेरा जीर्ण, हुआ हूँ अनमनी।।2।।

युग अलबेला आया है।
बड़ा झमेला लाया है।
विश्व भीड़ में खोकर भी,
स्वार्थ का रेला आया है।।3।।

विकल पिपासा सुप्त हुई।
प्यास तृषा की तृप्त हुई।
उसका क्रंदन शांत हुआ अब,
शायद शक्ति ही लुप्त हो गई।।4।।

कोई तो क्षण आएगा।
मन को आस दिलाएगा।
मन को लहरों के झोकों से,
आकर कभी बचाएगा।।5।।

जिंदगी होगी रौशन तुम्हारे लिए।
हर डगर होगी आसां तुम्हारे लिए।
है दुआ मेरी रहो तुम खुश सदा,
आएंगी सभी बहारें तुम्हारे लिए।।6।।

नहीं सोचा था जिंदगी होगी इस कदर उदास।
आँसू बनकर बरस पड़ी वह सदियों की प्यास।
टूट गए सब सपने अपने, छूट गई सब आस,
बिखर गए मोती बनकर अधूरे विश्वास।।7।।

जिंदगी में अचानक गम-ए-बहार आई।
भीनी सुगंध लेकर जीवन की रात आई।
दर्द-ए-दिल की महफिल में जाम आँसुओं का,
पीते हुए ऐ साकी तेरी याद आई।।8।।

मन के कोनों में अंकित वह तेरा अनुराग।
चिर संचित नेह बन गया, आज विरह का राग।
उपवन में कलियाँ खिलीं, बिखरा था पराग,
इक झोंके से उजड़कर बन गया करुण बाग।।9।।

नदिया की धारा का किनारा कौन है?
डूबते को तिनके का सहारा कौन है?
मद नद में डूब कर तैरने की तमन्ना,
बदली परिस्थितियों में पुकारा कौन है?।।10।।

क्या करें अब बात कोई जिंदगी जाने को है।
दिन सुनहरे ढल गए, अब शाम आने को है।
हो गया सब पूर्ण, लेना और देना कुछ नहीं,
देर तक रौशन रहा जो दीप बुझ जाने को है।।11।।

दंभ सारा मिटे प्यार ऐसा मिले।
हो सुगंधित जहाँ फूल ऐसा खिले।
जब जला घर कोई हाथ सेंके गए,
मन को रौशन करे दीप ऐसा जले।।12।।

आलस्य को अब दूर होने दो।
पाखण्डियों को चूर होने दो।
मनुजता सोती रहे न अब तक,
ना कोई मजबूर होने दो।।13।।

सच कैसा बेहाल हुआ है।
हद से अधिक कमाल हुआ है।
इसकी टोपी उसके सर पर,
फिर भी नहीं मलाल हुआ है।।14।।

हमने किया प्रदूषित सागर, नदियाँ, ताल।
यत्र-तत्र हमने दिया, कूड़ा कचरा डाल।
गंगा सी पावन नदी, अमृत जिसका नीर,
मानव तेरे कृत्य से हुई बहुत बेहाल।।15।।

तीर जख्म के धँसे हुए हैं।
फंद द्वंद्व के कसे हुए हैं।
कैसे काटे जाल शिकारी,
जिसमें वह भी फँसा हुआ है।।16।।

सत्य कभी भी मरा नहीं है।
झूठ के आगे डरा नहीं है।
चुप रहना है क्योंकि अब तक,
घड़ा पाप का भरा नहीं है।।17।।

साजिश-ए-सूरज सफल हो रही है।
कैक्टस बागवान-ए-फसल हो रही है।
हमने अपने घर को सजाया मगर,
भावना प्यार की बेदखल हो रही है।।18।।

जीवन में खुश रहना सीखें।
हिम्मत से दुख सहना सीखें।
पथ कितना भी पर्वत रोके,
नदी सरीखा वहना सीखें।।19।।

कट जाएगी रात अँधेरी।
खिल जाएगी धूप घनेरी।
आसमान भी झुक जाएगा,
हो जाएँगे कैद अहेरी।।20।।

गीत

(1)

ओ श्रद्धा मेरे मन की तू पंछी वन उड़ जा।
देशभक्ति से पावन है जो उस सीमा तक वढ़ जा।
तुम्हें वताती हूँ जो पहचान है उनकी।
उनके शरीर में होगी खूशवू मिट्टी की।
यादों का खजाना ले, तू पंछी वन उड़ जा।।
जन-जन की आशाएँ हैं लगी हुई हैं जिनमें।
देशप्रेम की ज्योति नित जलती है उनमें।
जन गण का तराना ले, तू पंछी उड़ जा।।
जव वे मिल जाएँ तुम शीश झुका देना।
उनकी चरणों की मिट्टी को माथे लगा लेना।
परवान अमाना ले, तू पंछी वन उड़ जा।।
उनका पथ निर्भय हो जन-जन की कामना है।
उनकी ही सदा जय हो ये सवकी भावना है।
ये दिल दीवाना ले, तू पंछी वन उड़ जा।।

(2)

गीत गाते हुए हम चले जाएँगे।
फिर न अरमां किसी के छले जाएँगे।
वक्त ने जवसे हमसे किनारा किया,
मोड़ जीवन के तवसे खड़े रह गए।
चलते-चलते गति जो अचानक रुकी,
रास्ते मंजिलों के चुप पड़े रह गए।
हौसले किस तरह दिल में पाएँगे भर,
दोपहर को जो सूरज ढल जाएँगे।
गीत जैसे ही कोई मुखरित हुआ,
राग मंदाकिनी करके कल-कल चली।
लहरियाँ फिर स्वरों की थिरकने लगीं,
मुस्कुराने लगी भावना की कली।
हमको मकरंद के कण मिले जो अगर,
कर समर्पित तुम सव चले जाएँगे।

गजल

(1)

दरो-दीदार मुहव्वत का लिखा दे कोई,
ढूँढ़ती हूँ जिसे उस रव का पता दे कोई।
तेरी खामोश निगाहों ने हकीकत कह दी,
कैसे मुमकिन है इसे दिल में छुपा ले कोई।
तेरे दामन में अदावत के दहकते शोले,
और भड़केंगे गुजारिश न हवा दे कोई।
मैं मुसाफिर हूँ तेरे दर पर ठहर जाऊँ मगर,
दिल से नफरत की दीवार गिरा दे कोई।
रात बीतेगी कयामत की सहर होगी कभी,
शर्त ये है कि इंतजार तो करे कोई।
दूर रहते हैं तो क्या दिल में वसे हैं उनके,
'रश्मि' पैगाम लिखा मुझको खत मिले कोई।

(2)

रुख पे परदा गिरा जो उठाओ सही।
राज दिल में छिपे वो वताओ सही।।
दूरियाँ सव सियासी सिमट जाएँगी।
फासले दिल से दिल के मिटाओ सही।।
तय करेंगे सफर फर्श से अर्श तक।
इक कदम साथ मेरे वढ़ाओ सही।।
आँधियाँ नफरतों की गुजर जाएँगी।
प्यार का दीप फिर से जलाओ सही।।
कावा और काशी में ढूँढ़ते हो जिसे।
सिर इवादत में उसके झुकाओ सही।।

- 3/1 टिकैट राय तालाव कालोनी
लखनऊ - 226017
मो. नं. 09235858688

कार्य-कलाप

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड-विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र में पिछली तिमाही के दौरान संगठन में राज

अगनंपूडि की महिलाओं के लिए हिंदी कक्षाएँ

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड-वी एस पी के हिंदी कक्ष द्वारा दि.15 अप्रैल, 2014 को अगनंपूडि पुनर्वास कॉलनी की महिलाओं के लिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के पाठ्यक्रमों हेतु हिंदी कक्षाएँ शुरू की गईं। प्रबंधक (हिंदी) श्रीमती जे रमादेवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए महिलाओं को इन कक्षाओं के आयोजन का उद्देश्य स्पष्ट किया। कार्यक्रम में कुल 35 महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में महिलाओं को पाठ्यपुस्तक, कलम व नोटबुक वितरित किये गये। कनिष्ठ सहायक (हिंदी) डॉ जे के एन नाथन ने कार्यक्रम का संचालन किया। सहायक कार्यपालक (हिंदी) श्री एम वी पडाल ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

केंद्रीय भंडार विभाग में 'हिंदी कार्यान्वयन दिवस' संपन्न

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड/वी एस पी के केंद्रीय भंडार विभाग में दि.24 मई, 2014 को हिंदी कार्यान्वयन दिवस आयोजित किया गया। केंद्रीय भंडार विभाग के महाप्रबंधक प्रभारी श्री संजय दर्गन ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में प्रबंधक (हिंदी) श्रीमती जे रमादेवी ने कर्मचारियों का स्वागत किया तथा कार्यक्रम के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए राजभाषा नीति के विविध पहलुओं पर प्रस्तुतीकरण दिया। तदुपरांत कर्मचारियों के लिए निबंध लेखन, शब्द निर्माण और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। इनमें कुल 23 कर्मचारियों ने भाग लिया। दोपहर को हिंदी कक्ष के कनिष्ठ सहायक (हिंदी) डॉ जे के एन नाथन ने कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग (यूनिकोड) से संबंधित एक प्रस्तुतीकरण दिया। शाम को आयोजित समापन समारोह में मुख्य अतिथि एवं महाप्रबंधक (सी एस डी) प्रभारी श्री संजय दर्गन ने अपने संदेश में कहा कि कर्मचारियों को हिंदी के प्रयोग हेतु अभिप्रेरित करने की दिशा में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन अनिवार्य है। तत्पश्चात उन्होंने प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किये। केंद्रीय भंडार विभाग के हिंदी समन्वयक एवं सहायक महाप्रबंधक (सी एस डी) श्री झा और सहायक प्रबंधक (सी एस डी) श्रीमती रत्नश्री ने कार्यक्रम के संचालन में अपना सहायोग दिया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार विशाखपट्टणम में भी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है, जिसमें राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड एक सक्रिय सदस्य है। समिति द्वारा प्रत्येक छमाही में एक बैठक आयोजित की जाती है और इसमें केंद्र सरकार के विविध कार्यालयों और उपक्रमों को राजभाषा के विकास से संबंधित कार्यक्रम

भाषा के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विविध कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिनका ब्यौरा नीचे प्रस्तुत है।

आयोजित करने का दायित्व सौंपा जाता है। साथ ही विविध कार्यालयों से हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में प्राप्त छमाही रिपोर्ट के आधार पर उपयुक्त कार्यालय को पुरस्कार दिया जाता है। 29 मई को आयोजित बैठक में समिति के अध्यक्ष एवं मंडल रेल प्रबंधक श्री अनिल कुमार द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान आर आई एन एल में हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राजभाषा शील्ड प्रदान किया गया, जिसे प्रबंधक (हिंदी) श्रीमती जी रमादेवी और उप प्रबंधक श्रीमती टी हैमावती ने ग्रहण किया।

इस्पात मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

इस्पात मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री लोकेश चंद्र की अध्यक्षता में दि.17.06.2014 को नई दिल्ली के इस्पात मंत्रालय के स्टील रूम में मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 147वीं बैठक संपन्न हुई। कार्यक्रम के दौरान भिलाई के फेर्रो स्क्रेप लिमिटेड, कोलकाता के एम एस टी सी एवं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में हिंदी के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक में आर आई एन एल-वी एस पी का प्रतिनिधित्व उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन विकास) प्रभारी श्री वै वालाजी एवं वरिष्ठ सहायक (अनुवाद) श्री गोपाल ने किया। आर आई एन एल-वी एस पी की समीक्षा के दौरान संयुक्त सचिव महोदय ने कंपनी के कार्यकलापों के प्रति संतोष व्यक्त किया एवं कई योजनाओं की प्रशंसा भी की। बैठक में संयुक्त निदेशक श्री शैलेश कुमार सिंह एवं इस्पात मंत्रालय के अन्य प्राधिकारी उपस्थित थे।

हिंदी कार्यशाला

आर आई एन एल-वी एस पी में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों के लिए दि.24 से 26 जून, 2014 तक तीन दिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें विविध विभागों के 22 प्रतिभागी उपस्थित थे। इन्हें भारत सरकार की राजभाषा नीति, हिंदी व्याकरण, प्रशासन व तकनीकी शब्दावली, अनुवाद की आवश्यकता, सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग एवं पत्राचार में हिंदी का प्रयोग जैसे विविध विषयों की जानकारी दी गई। इसमें हिंदी कक्ष के प्राधिकारियों के अलावा विशाखपट्टणम के हिंदी शिक्षण योजना कार्यालय के प्राधिकारियों ने भी कक्षाओं में अपना वक्तव्य दिया। 26 जून को आयोजित समापन सत्र में उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन विकास) प्रभारी श्री वै वालाजी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने प्रतिभागियों को हिंदी के प्रयोग की आवश्यकता समझाते हुए उन्हें इस दिशा में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। तत्पश्चात प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र एवं शब्दकोश वितरित किये गये।

संगीत सरिता

(कीबोर्ड सीखने की प्रविधि)

प्रस्तुत अंक में 'संगीत सरिता' के इस शीर्षक के तहत 'एक विलेन' फिल्म का 'तेरी गलियाँ' गाने का नोटेशन दिया जा रहा है। यह गाना 'राग दरबारी' पर आधारित है। इस राग में 'ग', 'ध' और 'नि' कोमल स्वर तथा 'रे' 'म' शुद्ध स्वर हैं। इसका गायन समय मध्यरात्रि है और इस राग की प्रकृति गंभीर है। 'सुगंध' के पूर्व अंकों में इस राग पर आधारित कुछ गीतों, जैसे फिल्म आशिकी-2 के 'तुम ही हो...' और धूम-3 के 'बंदे हैं हम' के नोटेशन भी दिये गये हैं। इसके आरोह-अवरोह इस प्रकार हैं :

आरोह : सा रे ग, रे सा, म प ध नी सां अवरोह : सां ध नी प, म प, ग म रे सा

पकड़ : सा रे ग, म रे सा, ध, नी सा

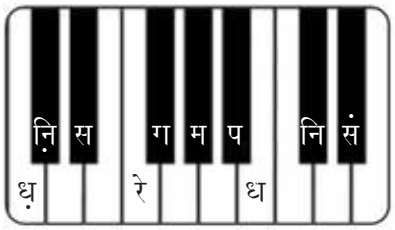

स स पा सा रे ग गा रे... स स पा सा रे ग गा रे गा प मा...
यहीं डूबे दिन मेरे यहीं होते हैं सवेरे
स स पा सा रे ग गा रे... स स पा सा रे ग गा रे गा प मा...
यहीं मरना और जीना यहीं मंदिर और मदीना

सा रे रे ग गा रे ग गा रे स नि स स रे रे नी स रे रे रे स रे रे रे स रे रे ग गा
तेरी गलियाँ गलियाँ तेरी गलियाँ मुझको भावे गलियाँ तेरी गलियाँ
सा रे रे ग गा रे ग गा रे स नि स स रे रे नी स रे रे रे स रे रे रे स रे रे ग गा
तेरी गलियाँ गलियाँ तेरी गलियाँ यूँ ही तड़पावें गलियाँ तेरी गलियाँ

सा रे मा ग मा ग रे सा नी स नि ध नि रे सा रे मा ग मा ग रे सा नी स नि ध नी प
आ..... आ..... आ..... आ.....
प प पा ग मा ग रे रे रे ग ग गा प प म म म म
तू मेरी नींदों में सोता है तू मेरे अश्कों में रोता है
प प पा ग मा ग रे रे रे ग ग गा प प म म म म
सरगोशी सी है खयालों में तू न हो फिर भी तू होता है

इस गाने के राग एवं स्वरों की जानकारी सी आर जी (रीफ़ैक्टरी) विभाग के सहायक महा प्रबंधक श्री रविदास एस गोने और नोटेशन एसेंट कालेज की सीनियर इंटर की छात्रा सुश्री वी नंदिता ने दिया है।

गा म म पा मा ग गा म मा ग रे गा म म पा नि धा ध प प म म पा
है सिला तू मेरे
गा म म पा मा ग ग रे रे ग ग रे रे रे ग रे सा स रे
दर्द का मेरे दिल की दुआयें हैं

गा रे रे ग गा रे ग गा रे स नि स स रे रे नी स रे रे रे स रे रे रे स रे रे ग गा
तेरी गलियाँ गलियाँ तेरी गलियाँ मुझको भावे गलियाँ तेरी गलियाँ
सा रे रे ग गा रे ग गा रे स नि स स रे रे नी स रे रे रे स रे रे रे स रे रे ग गा
तेरी गलियाँ गलियाँ तेरी गलियाँ यूँ ही तड़पावें गलियाँ तेरी गलियाँ

प प पा ग मा ग रे रे रे ग ग गा प प म म म म
कैसा है रिश्ता तेरा-मेरा बेचेहरा फिर भी कितना गहरा
प प पा ग मा ग रे रे रे ग ग गा प प म म म म
ये लम्हें लम्हें ये रेशम से खो जायें खो न जायें हमसे

गा म म पा मा ग गा म मा ग रे गा म म पा नि धा ध प प म म पा गा म म पा मा ग ग रे रे
काफिला वक्त का रोक लें
ग ग रे रे रे रे ग रे सा स रे
अब तुमसे जुदा न हो

गा रे रे ग गा रे ग गा रे स नि स स रे रे नी स रे रे रे स रे रे रे स रे रे ग गा
तेरी गलियाँ गलियाँ तेरी गलियाँ मुझको भावे गलियाँ तेरी गलियाँ
सा रे रे ग गा रे ग गा रे स नि स स रे रे नी स रे रे रे स रे रे रे स रे रे ग गा
तेरी गलियाँ गलियाँ तेरी गलियाँ यूँ ही तड़पावें गलियाँ तेरी गलियाँ

मानस में लक्ष्मण रेखा नहीं है

- श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव -

यदि ऐसा कहा जाय कि रामकथा को जनमानस तक पहुँचाने का अधिकतम श्रेय गोस्वामी तुलसीदास की कृति रामचरित मानस को प्राप्त है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। यों भी किसी घटना विशेष की व्यापकता हेतु सौ-दो सौ साल बहुत होता है। तुलसीदास के इस महाकाव्य की आयु तो पाँच सौ साल से भी अधिक हो चुकी है। फिर सोने पे सुहागा यह कि यह कृति जन सामान्य की सरल-सहज बोलचाल की भाषा अवधी में है। साथ-साथ इसकी कथा धार्मिक आस्था से संबंधित है, इसलिए इसका विशेष महत्व है।

अब रही घटनाक्रम के काल निर्धारण की बात तो उसे वर्ष में कहना थोड़ा कठिन है। हाँ काल गणना के मात्रक युग के अनुसार यह अवश्य कह सकते हैं कि राम-रावण की कथा त्रेता युग की है।

इस भूमिका द्वारा उक्त बातें कहने का तात्पर्य मात्र इतना ही है कि राम और रावण की कथा बहुत पुरानी हो चली है। लेकिन आज भी उस काल की तमाम घटनाएँ जनमानस को कंठस्थ हैं, जिसका श्रेय तमाम इतिहासकारों, साहित्यकारों के संग विशेषकर गोस्वामी तुलसीदास जी को जाता है।

अब प्रश्न यह उठता है कि लोक जीवन में राम और रावण से जुड़ी बहुत सी ऐसी भी कहानियाँ चर्चित हैं, जिनका वर्णन रामचरित मानस में नहीं मिलता। फिर ये कुछ कहानियाँ कहाँ से आयीं? जैसे पंचवटी में जब रावण के कहने पर मारीच स्वर्ण मृग बनकर आता है और सीता अपने पतिदेव राम से कहती हैं -

'सुनहु देव रघुवीर कृपाला एहि मृग कर अति सुंदर छाला
सत्यसंध प्रभु बधि करि एही आनहु चर्म कहति बैदेही।'

तब राम अपने प्रिय भाई लक्ष्मण से कहते हैं -

'सीता केहि करेहु रखवारी बुधि विवेक बल समय विचारी।'

और सीता के आग्रह पर राम उस मृग का शिकार करने चले जाते हैं। राम उस मृग रूपी मारीच को मारते हैं। मरते समय मारीच प्रकट रुप में लक्ष्मण का नाम तेजी से बुलाता है, जिसका गोस्वामी जी ने उल्लेख किया है कि -

'लछिमन कर प्रथमहि लै नामा पाछें सुमिरेसि मन महुँ रामा।'

अब यहाँ सीता ने लक्ष्मण का नाम सुना तो उन्हें चिंता हुई कि राम कहीं संकट में हैं। इसलिए लक्ष्मण को पुकार रहे हैं। लिहाजा सीता ने दु:खी मन से लक्ष्मण को राम की मदद हेतु उस ओर जाने को कहा। लक्ष्मण ने सीता को बहुत समझाया कि 'हे देवि यह वचन श्रीराम का हो ही नहीं सकता।' तुलसीदास जी लिखते हैं कि -

'आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता
जाहु बेगि संकट अति भ्राता, लछिमन विहसि कहा सुनु माता
भृकुटि बिलास सृष्टि लय होई, सपनेहुँ संकट परई कि कोई।'

फिर गोस्वामी जी लिखते हैं कि यह सुन कर -

'मरम बचन सीता तब बोला हरि प्रेरित लछिमन मन डोला।'

और इसी के ठीक आगे की चौपाई है -

'बन दिसि देव सौंपि सब काहू, चले जहाँ रावन ससि राहू
सून बीच दसकंधर देखा, आवा निकट जती के बेषा।।'

इसके साथ जुड़ी चौपाइयों का सार है कि रावण अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएँ रचकर सीता को राजनीति, भय और प्रेम दिखला कर अपने साथ चलने को कहता है। किंतु जब सीता ने साथ जाने से मना किया तो फिर तुलसीदास जी लिखते है--

'क्रोधवंत तब रावन, लीन्हिस रथ बैठाई
चला गगन पथ आतुर, भय रथ हांकि न जाई।'

अब इस पूरे प्रकरण में वह लक्ष्मण रेखा कहाँ गई, जिसकी चर्चा लोक में होती है कि लक्ष्मण ने जाते समय एक रेखा खींच दी थी और सीता से कहा था कि 'हे माता, आप इसके बाहर मत आइयेगा और बाहर से यदि कोई भीतर आने का प्रयास करेगा तो भस्म हो जायेगा।' रावण उस रेखा के प्रभाव को जान गया था। लिहाजा उसने कहा कि वह बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता। सीता जी बाहर आयीं और उनका अपहरण हुआ। अब इस संपूर्ण पंचवटी वर्णन में लक्ष्मण द्वारा सीता की सुरक्षा हेतु किसी भी प्रकार की रेखा के खींचे जाने का जिक्र गोस्वामी तुलसीदास ने नहीं किया है। इसी के साथ एक बात और ये 'मरम बचन' क्या है, जिसे सीता के कहने पर लक्ष्मण अपने देव स्वरूप भाई राम की आज्ञा की अवहेलना की और सीता को अकेले छोड़ राम की मदद हेतु निकल पड़े।

इसी तरह जब समुद्र पार करने के लिए पुल बांधने की बात आती है तो कहते हैं एक गिलहरी भी अपना योगदान कर रही थी या फिर राम-रावण युद्ध में जब रावण की नाभि में बाण लगता है और प्राण निकलने वाला होता है तो राम लक्ष्मण से कहते हैं कि 'रावण बहुत ज्ञानी था। उसके पास जाकर शिक्षा लो' और लोग यह भी कहते हैं कि लक्ष्मण उसके पास जाते हैं और रावण ने कुछ नीति की बातें बताई भी। लेकिन मुझे ये सब बातें रामचरित मानस में कहीं नहीं मिलीं। तो फिर जनमानस में इस

तरह की कथाएँ कैसे प्रचलित हैं?

इसके निराकरण हेतु आइये, सर्वप्रथम लक्ष्मण रेखा को ही खोजते हैं। रामचरित मानस को सात कांडों में विभाजित करके गोस्वामी जी ने पूरी रामकथा लिखी है, जिसमें यह घटना अरण्य कांड में आती है, जो पंचवटी में घटित हुई। वर्तमान में पंचवटी महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। नासिक नामकरण भी इसी कारण से है कि यहीं शूर्पणखा की नासिका कटी थी। इस पूरे अरण्य कांड में राम, सीता, लक्ष्मण के अतिरिक्त शूर्पणखा, मारीच व रावण सब मिल जाते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने कहीं भी लक्ष्मण रेखा की बात ही नहीं की। विचारणीय प्रश्न यह है कि गोस्वामी जी ने रेखा खींचने की बात नहीं की तो जनमानस में ये कथा कैसे प्रचारित है? आखिरकार इसका द्वितीय श्रोत क्या है?

हमारे धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि राम-रावण कथा, अर्थात रामायण की रचना सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में की। तत्पश्चात तमिल, बंगला, मराठी, उर्दू, अवधी आदि कई भाषाओं में विभिन्न विद्वानों ने रामायण की रचना की। देश की अधिसंख्य जनता हिंदी भाषी है और अवधी हिंदी के काफी करीब है। इसीलिए रामचरित मानस को लोगों ने अधिक पसंद किया। लेकिन बात फिर आकर वहीं अटक गयी कि जो कहानियाँ रामचरित मानस में नहीं हैं, वे जनमानस में कहाँ से आयीं? गोस्वामी तुलसी दास जी ने एक स्थान पर लिखा है, 'जाकि रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।' निश्चय ही किसी एक दृश्य पर विभिन्न लेखकों के अपने सोचने व लिखने के तरीके भी भिन्न रहे होंगे।

फिर मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी। कहीं भी अरण्य कांड में ऐसा कोई वर्णन न प्राप्त हो सका। अध्यात्म रामायण में खोजा। उसमें भी अरण्य कांड में लक्ष्मण रेखा जैसी कोई कथा नहीं है। मैं वार-वार अरण्य कांड इसलिए कह रहा हूँ कि रामायण के इसी कांड में पंचवटी का वर्णन किया गया है।

किन्तु जो भी हो, मेरी समस्या अभी भी वही रह गई कि लक्ष्मण रेखा की बात जनमानस में कहाँ से आयी? वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, रामचरित मानस में तो नहीं दिखी वह लक्ष्मण रेखा। एक बार गर्मी की छुट्टियों के दौरान रामायण के क्षेपक के रूप में कुछ कथाएँ मैंने भी पढ़ी थीं। ये लक्ष्मण रेखा की बात उसमें पढ़ी या नहीं पढ़ी, मुझे याद नहीं है। हाँ, प्राइमरी स्कूल में हिंदी की पुस्तक में एक पाठ 'सीता की खोज' नाम से अवश्य था, जिसमें लक्ष्मण रेखा की बात थी। यह याद आता है, फिर तो बाद में रामलीला, टी.वी. सीरियल और फिल्म में लक्ष्मण द्वारा खींची गई उस रेखा को कई बार देखा। किंतु किस ग्रन्थ में यह कथा लिखी है, यह न पढ़ पाया।

मैंने इस बात की चर्चा कई लोगों से की। फेस बुक में भी यह प्रश्न डाला, किंतु सारा प्रयास विफल रहा। हाँ, जब मैं लंका कांड का वर्णन पढ़ रहा था तो मुझे एक चौपाई मिली थी -

रामानुज लघु रेख खचाई, सोउ नहि नाघेउ असि मनुसाई,
कंत समुझि मन तजहुँ कुमतही, सोह न समर सम्हहि रघुपतिही।

तुलसीदास ने रामचरित मानस के लंका कांड में मंदोदरी द्वारा अपने पति रावण को समझाते हुए एक समय यह कहलाया है कि 'रामानुज (लक्ष्मण) ने एक दिन एक छोटी सी रेखा खींच दी थी, उसे भी तुम लाँघ न सके और राम से युद्ध की बात सोचते हो।' अब रामानुज (लक्ष्मण) ने ये लघु रेखा कब, क्यों और कहाँ खींची? पाठक को कैसे पता चलेगा कि मंदोदरी किस रेखा की बात रावण से कर रही हैं। फिर भी एक किरण दिखाई पड़ी तो मैं आगे बढ़ गया। लेकिन जब वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण व रामचरित मानस में लक्ष्मण रेखा नहीं दिखी तो मैं चिंतित हुआ।

तुलसीकृत रामायण के टीकाकार विद्यावारिधि पं.ज्वाला प्रसाद जी मिश्र ने इस टीका की प्रथम भूमिका में लिखा है कि रामायण वाल्मीकि से आरंभ कर व्यास जी पर्यंत ऋषि मुनियों ने संस्कृत में वर्णन किया है, जिसका स्वाद अब तक संस्कृत के विद्वान ही लेते रहे। परंतु संस्कृत विद्या अति परिश्रम साध्य है। इस कारण अन्य भाषा जानने वाले इस स्वाद से अनभिज्ञ रहते थे। केवल श्रवण मात्र से ही तृप्ति करते थे। इस कलयुग में श्री गोस्वामी तुलसीदासजी ने तुलसीकृत रामायण की रचना की, जिसका मूल आधार श्री शिवजी कृत 'अध्यात्म रामायण' से उद्धृत है तथा कहीं-कहीं और रामायण व वेद, पुराण, उपनिषद से भी लिया गया है।

पं. ज्वाला प्रसाद मिश्र जी ने प्रथमावृति की भूमिका में यह भी लिखा है 'इस ग्रंथ पर बड़े-बड़े प्रेमी महात्माओं ने तिलक भी रचे हैं और उनमें यथाशक्ति अपनी प्रीति भी झलकायी है, परंतु अब कालक्रम से इस पुस्तक में क्षेपक भी बहुत ही मिश्रित हो गए हैं और उनका भी ऐसा प्रचार हो गया है कि जिस रामायण में क्षेपक कथा नहीं होती, उसको बहुत ही कम मनुष्य लेना अंगीकार करते हैं। इस कारण मेरा बहुत दिनों से विचार था कि तुलसीकृत रामायण के तिलक (टीका) की रचना इस प्रकार से की जाय, जिसमें संपूर्ण क्षेपक की कथाओं की भी तिलक रचना हो और फिर उस टीका में किसी बात की अपेक्षा न रहे।' इस क्रम में इसी भूमिका में पंडित जी आगे लिखते हैं कि पहले उन्हें भय था कि यह बड़ा दु:साध्य कार्य है। फिर इसके लिए प्रकाशक भी मिलेंगे या नहीं। लेकिन उन्हें श्री खेमराज श्रीकृष्णदास मुंबई प्रकाशक के रूप में मिले और फिर पं.ज्वाला प्रसाद जी ने टीका सहित तमाम क्षेपकों को समाहित करते हुए तुलसीकृत रामायण की टीका लिखी।

इसी टीका के एक क्षेपक में लक्ष्मण रेखा का भी जिक्र है। बड़े आकार में इस पुस्तक में तेरह सौ से भी अधिक पृष्ठ हैं। जो भी हो, इसी ग्रंथ के एक क्षेपक में पंडित जी ने लिखा है कि जब सीता ने लक्ष्मण से कहा कि तुम्हारे भाई संकट में हैं, वहाँ जाकर उनकी सहायता करो और लक्ष्मण जाते हैं तो चौपाई है कि -

'मर्म वचन जब सीता बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली
चहुँ दिशि रेख खचाई अहीशा, बारहि बार नाय पद शीशा।
वन दिशि देव सौंपि सब काहू, चले जहाँ रावन राशि राहू
चितवहि लषण सियहि फिरे कैसे, तजत वत्स निज मातहि जैसे।।'

और फिर जैसे ही लक्ष्मण जाते हैं, रावण साधु के वेश में आ जाता है। सीता से भिक्षा माँगता है। सीता जी उसे कंद मूल देना चाहती हैं। इस बीच रावण लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा के रहस्य को जान लेता है। रावण ने कहा कि वह बंधी भिक्षा नहीं लेता।

'भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा फकीर
ठहर गया जब बीच में देखी एक लकीर।'

रावण ने देखा कि यह रेखा तो पाँव बढ़ाते ही ज्वाला सी जल उठती है। उसने समझ लिया कि यह अवश्य ही कुछ रहस्यमय रेखा है। वह सीता से बोला -

'यह सोच समझ हटकर बोला रेखा के बाहर आ माई
जोगी लेते हैं नहीं कभी इस तरह बंधी भिक्षा माई।'

और तमाम वार्तालाप के पश्चात रावण सीता का हरण करता है। इसी प्रकार राधेश्याम रामायण में भी लक्ष्मण रेखा मिली और आगे की कथा कहती है कि जब सीता उस रेखा को पार करके बाहर आ जाती हैं तो रावण अपना असली रूप दिखाता है। इस प्रकार पंडित ज्वाला प्रसाद जी द्वारा लिखे गये इस क्षेपक में वह लक्ष्मण रेखा दिखी।

अब मैंने लक्ष्मण रेखा के कुछ और आधार खोजना प्रारंभ किया, तो पाया कि गाँवों में होने वाले लोक कलाकारों, नाटककारों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रवचन कर्ताओं ने इसे खूब प्रचार दिया है। लेकिन पंडित राधेश्याम शर्मा जी का कार्य सबसे अधिक सराहनीय व प्रसंशनीय है, जिन्होंने रामायण को एक विशेष गान के तर्ज पर रामलीला हेतु तैयार किया है। राधेश्याम रामायण उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के निवासी पं.राधेश्याम कथावाचक द्वारा रची अनमोल कृति है, जिसमें रामलीला मंचन हेतु रामायण के आठ कांडों को मिलाकर कुल पच्चीस नाटक हैं और अरण्य काण्ड में दो नाटक हैं। प्रथम है पंचवटी और द्वितीय सीता हरण। जिस लक्ष्मण रेखा की बात मैं करना चाहता हूँ, वह सीता हरण नाटक में है। नाटक खर-दूषण के मारे जाने के बाद शूर्पणखा के रावण के दरबार में उपस्थित होने के साथ शुरु होता है। अन्य रामायण में कहानी की भांति इसमें भी जब पंचवटी में मारीच स्वर्ण मृग बनकर आता है, तो सीता राम से कहती हैं कि -

'ऐसा तो देखा न सुना जैसा यह सुघड़ सलोना है
देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है
हे नाथ खाल लाओ इसकी तो कुटिया का सिंगार होगी
सोने के मृग की मृगछाला, क्या अद्भुत यादगार होगी।'

और फिर राम लक्ष्मण को सीता की रखवारी हेतु कहकर चले जाते हैं। राम उस स्वर्ण मृग को मारते हैं। मृग का रूप धारण किया मारीच लक्ष्मण का नाम लेकर पुकारता है। सीता, लक्ष्मण को राम की सहायता करने हेतु भेजती हैं और जाते-जाते लक्ष्मण ने सीता की रक्षा हेतु वह रेखा भी खींची, जो जनमानस में प्रचलित है। रेखा का उल्लेख उक्त ग्रंथ में इस प्रकार है कि ....

'जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक
सीता के चारों तरफ रेखा खींची एक
फिर बोले जाता हूँ माँ अब तुम सावधान होकर रहाना
इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्णकुटी में आयेगा
है आन उसे यह लक्ष्मण की वह वहीं भस्म हो जायेगा।'

लक्ष्मण के जाते ही रावण जोगी के वेश में आता है। भिक्षा माँगता है। लेकिन उसे रेखा दिख जाती है।

किन्तु गोस्वामी तुलसीदास के रामचरित मानस में इस रेखा का वर्णन न मिलना और इस कथा का इतना विशद विस्तार होना अपने आप में एक आश्चर्य है।

- वी.एफ.-1, जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)-496001
मोबाइल: +91 9827477442

ओह जिंदगी

- श्रीमती राजलता सारस्वत -

जीने की ललक तो अब भी उसमें उतनी ही है। स्वाती के बेटे ने जन्म से ही लकड़ी, हथौड़ा, कीलें, आरी को अपना खिलौना बनाया। नासमझ उमर में कभी कीलें चुभीं तो कभी आरी से अपने हाथ घायल करता शोकी बड़ा हो रहा था। परिवार की पहली संतान पुत्र शोकी दादा का बहुत लाड़ला था। नन्हें-नन्हें कदम चलता शोकी परिवार का प्रिय तो था ही, अन्य सबके लिए भी बोलता खिलौना था। उसकी तोतली बातें घर में सबको हँसने पर मजबूर करती थीं।

शोकी जब **4-5** साल का हुआ तो उसे गाँव के स्कूल में भर्ती करवा दिया गया। अब वह शोकी से 'अशोक कुमार' बन गया था, पर अब भी उसका मन स्कूल में कम और घर में अपने पिता और मामा के लकड़ी के कारखाने में ज्यादा लगता, जहाँ अनेक कारीगर फर्नीचर और दरवाजे आदि बनाते रहते थे। वह स्लेट पर कुछ लिखकर सीखने के बजाय लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ता रहता, मानो कुर्सी बनकर तैयार होने को है। शोकी की माँ चाहती थी कि वह पढ़-लिखकर कुछ बन जाए, ताकि सारी जिंदगी ठक-ठक तो नहीं करनी पड़ेगी। पढ़ा-लिखा बंदा जिंदगी सुकून से जीता है और उसका रुतबा भी आम आदमी से ऊँचा होता है। उसके सोचने-समझने की क्षमता भी ज्यादा होती है। यह सोच उस माँ की थी, जो स्वयं अनपढ़ थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा पढ़-लिखकर वह सब सुख हासिल कर ले, जो उसके लिए सपना है।

'उठाया कुत्ता शिकार क्या करेगा?' यह उक्ति शोकी पर चरितार्थ हो रही थी। माँ की कोशिशें बेकार गईं। बड़ी मुश्किल से शोकी सातवीं कक्षा उत्तीर्ण कर पाया। आठवीं कक्षा में फेल होकर मानो उसने स्वयं ही न पढ़ने की रसीद पर मुहर लगा दी। पूत के पाँव पालने में ही पहचान दे रहे थे। शोकी को तो वातावरण ही लकड़ी व ठक-ठक का मिला था। उसकी रुचि भी उसी में थी। पढ़ाई के झंझट का बोझ पटक कर शोकी जी-जान से बढ़ईगिरी में जुट गया। शीघ्र ही उसने अपने काम में महारत भी हासिल कर ली। **17-18** साल का युवा शोकी अब कारीगर बन गया। विनम्र व हँसमुख स्वभाव का शोकी कभी काम से दिल नहीं चुराता था। अपने क्षेत्र में होनेवाले नये काम व डिजाइन सीखने-सिखाने को आतुर उसका कार्य-क्षेत्र अब अपने गाँव की हदें पार करने लगा।

उसकी मेहनत रंग ला रही थी। माँ भी संतुष्ट थी कि बेटा न पढ़ा तो न सही, काम में महारत हासिल हो तो भूखा नहीं मरेगा। हाथ के काम की तो हमेशा मांग रहेगी। माँ के मन की मान्यताएँ बदल गईं। परिस्थितियों और विचारों का सही अनुपात बैठाकर कैसे भी जिया जा सकता है।

शहर में ग्राहक का काम अशोक अपने सहायकों के साथ पूरा करने में जुटा हुआ है। रात-दिन मेहनत करके समय पर काम पूरा करना ही उसका स्वभाव व व्यक्तित्व है। दीवाली से दो दिन पहले सारे काम निबटाकर खरीददारी करके अशोक उल्लसित मन से घर जाने को उद्यत था। उधर उसके घर वाले भी उसका रिश्ता करवाने को उतावले थे। उसके दादाजी चाहते थे कि पोते को दूल्हा बने देख लें और गुड़िया सी दुल्हन घर पर आ जाय।

लक्ष्मी पूजन के पश्चात अशोक अपने भाई-बहनों के साथ आतिशबाजी करने लगा। माँ भी खुश थी। परिवार का प्रत्येक सदस्य घर में मौजूद हो तो त्यौहार की रौनक और भी बढ़ जाती है। शायद इसीलिए हमारे यहाँ त्यौहार मनाने की ऐसी परंपरा है। कल अशोक के रिश्ते के लिए मेहमान आनेवाले हैं। रात को अशोक को बुखार ने जकड़ दिया। सुबह स्थिति गंभीर हो गई। कस्बे के अस्पताल में अशोक का इलाज शुरू हुआ। छोटे कस्बे में उपलब्ध साधनों से जाँच करके डॉक्टर ने अशोक के शरीर में खून की कमी बतायी और शहर के बड़े अस्पताल में अशोक को तुरंत ले जाने की राय दी।

शहर के बड़े अस्पताल में सारी जाँचें शुरू हुईं। खून की जाँच का परिणाम देखकर डॉक्टर स्तब्ध रह गये। बोन-मैरो की जाँच हुई। परिणाम वही आया, जिसका अंदेशा डॉक्टरों को था। जवान लड़के के परिजनों को कैसे बतायें कि मरीज को ब्लड कैंसर है। डॉक्टर भी तो इंसान है। कैंसर वार्ड में अशोक को शिफ्ट करते ही उसके परिजन सहम गये। तो क्या...? हामी में सिर हिलाते डॉक्टर ने मरीज के लिए खून की जरूरत बताई। रक्तदाता की खोज शुरू हुई। स्वेच्छा से रक्तदाता अशोक के लिए अस्पताल में खून देने लगे। रोग की भयावहता तो उसके नाम से ही जाहिर है। लेकिन इलाज की पीड़ा रोगी ही बता सकता है। दो बार बोन-मैरो की जाँच से मानो अशोक अधमरा सा हो गया। रोज खून का चढ़ना, मानो उसे जीवन के कुछ दिन और सौगात कर जाते सिर्फ जिंदा रहने के लिए।

अशोक तो यही जानता था कि उसके शरीर में बहुत कमजोरी है। इसलिए उसे खून चढ़ाया जा रहा है। अशोक चाहता था कि उसे छुट्टी दे दी जाय। गाँव जाकर घी-दूध खाएगा तो खून बनते देर नहीं लगेगी। इन दिनो वह खाने-पीने के प्रति लापरवाह भी तो हो गया था। आगे से अब ध्यान रखेगा ताकि उसे अस्पताल का दर्शन न करना पड़े।

रोग से अनजान अशोक की जिद अपनी जगह थी। उसके परिजन चाहते थे कि इलाज पूरा हो जाए तो चलें। लेकिन डॉक्टरों की मजबूरी यह है कि रोग अपने अंतिम चरण था। कोई इलाज काम नहीं करेगा। लगातार खून चढ़ाते रहने पर भी अधिकतम आयु तीन महीने शेष है। होने को तो आज ही मरीज को कुछ हो सकता है...।

अशोक की भावना का मान रखते हुए उसके परिजन उसे गाँव ले जा रहे थे। दूसरों के ख्वाबों को आकार देकर हकीकत बनाने वाला अशोक आज स्वयं हकीकत से सपना बनता जा रहा था। कटे हुए पेड़ की लकड़ी को सुंदर आकार देनेवाला कारीगर, अपने आप के आकार से अनजान था। उसका कायर मन उसे नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करने का सुझाव दे रहा था।

अशोक की हालत बिगड़ती गई। शायद उसका अंत समय आ गया है। परिजन भी मजबूर थे। जिंदगी के हाथ से मौत उसे खींचकर ले जाने को आतुर है। ओह... मौत का इतना भयानक खेल इतनी सी उमर में...। भगवान क्या परीक्षा ले रहा था। परिजन अपने भाव व आँसू उसके पक्ष में देकर गुमसुम थे। वे इतने विवश थे कि कुछ नहीं कर पा रह थे।

माँ की रूह हिल गई। काँपते होंठों से भगवान से प्रार्थना करने लगी। 'हे प्रभु! मौत का यह तांडव न दिखा। या तो उसे जिंदगी दे या कष्ट रहित मौत।' मानव असहाय हो भगवान से यही माँग सकता है। ईश्वर के आगे अरदास करते माँ के हाथ काँप रहे थे।

- 67, चाणक्य नगर,
नई शिवबाड़ी रोड
बीकानेर-334003,
मोबाइल: +91 9460617764

रिश्ते

- श्री सीताराम गुप्ता -

नत्थूराम का अच्छा खासा कारोबार था। लड़का रवींद्र भी एक सरकारी दफ्तर में नौकरी पर लग गया था। लड़का कुछ साल और पढ़-लिख लेता तो एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती, लेकिन नत्थूराम के लिए लड़के की क्लर्की भी कलेक्टरी से कम नहीं थी। जो भी हो, लड़का हर तरह से अच्छा था और रिश्तेवालों की लाइन लग गई। एक उठता नहीं था कि दूसरा आ बैठता। एक से एक बढ़िया रिश्ते आ रहे थे, लेकिन नत्थूराम को कोई रिश्ता जमता ही नहीं था। किसी की लड़की पसंद नहीं आती तो किसी का घर-बार। इस तरह सालों ये सिलसिला चलता रहा।

लाला नत्थूराम की एक बहन थी रेवती, जिसका लड़का श्रीप्रसाद भी उसके लड़के रवींद्र का ही हमउम्र था। श्रीप्रसाद यूँ तो रवींद्र से हर तरह से अच्छा था, बस आर्थिक स्थिति उसकी बहुत अच्छी नहीं थी। बहुत अच्छी का भी कोई मापदंड नहीं होता। लेकिन शायद नत्थूराम जैसी न रही हो और इसका कारण था श्रीप्रसाद के पिता का असमय देहांत हो जाना। बाकी सभी चीजों में श्रीप्रसाद रवींद्र से बहुत आगे नहीं तो उससे इक्कीस जरूर बैठता था। एक दिन एक सज्जन अपनी बेटी का रिश्ता लेकर नत्थूराम के पास आये। नत्थूराम ने उससे बातचीत की और उसकी हैसियत का अंदाजा लगाते हुए कहा, 'देखो भाई! साफ बात है, हमारे यहाँ तो तेरी बात बनेगी नहीं। हाँ, मेरी एक बहन है रेवती, उसका पता दे देता हूँ। उसका लड़का भी शादी के लायक है। उसे देख आओ, वहाँ तुम्हारी बात जरूर बन जाएगी।'

उसके चले जाने के बाद नत्थूराम ने घर में बैठे अपने भाइयों और पत्नी की ओर मुखातिब होकर कहा, 'भई, इसकी बात बने या न बने, पर रेवती तो खुश हो जाएगी कि मेरे लड़के के भी रिश्ते आने शुरु हो गये हैं। वैसे भी यदि हम अपने भांजे के लिए रिश्ते नहीं भिजवायेंगे तो और कौन भिजवायेगा?' इसी दौरान एक आदमी आया और उसने नत्थूराम को एक चिट्ठी दी। चिट्ठी में लिखा था कि भाई नत्थूराम श्रीप्रसाद के लिए एक लड़की पसंद कर ली है। अब आकर बाकी सब कार्यक्रम निश्चित कर लो, क्योंकि तुम श्रीप्रसाद के मामा ही नहीं हो, बल्कि उसके स्वर्गवासी पिता का दायित्व भी तुम्हें ही पूरा करना है।' चिट्ठी नत्थूराम की बड़ी बहन रेवती की थी।

- ए.डी.-160-सी, पीतमपुरा
दिल्ली-110034
मोबाइल: +91 9555622323

व्यंग्य

वाह, मौत वाह!

- डॉ दादूराम शर्मा -

हमारे देश में मरने के बाद आदमी की कीमत बढ़ जाती है। जिंदा रहने पर जो आदमी साधारण रहता है, वही मरने पर विशिष्ट बन जाता है। जो तुच्छ रहता है, वह महान बन जाता है, उपेक्षणीय अभिनंदनीय और निंदनीय वंदनीय बन जाता है। प्राय: सभी के लिए एक जैसी प्रशंसा भरी शब्दावली का प्रयोग होता है। मसलन हमने एक महान देशभक्त खो दिया। वह एक कर्तव्यनिष्ठ और चरित्रवान व्यक्ति थे। उनके निधन से राष्ट्र को अपूरणीय क्षति हुई है आदि। उनके नाम से भी नफरत करने वाले और नाकभौंह सिकोड़ने वाले विरोधी भी सारे वैर भूलकर इन्हीं शब्दों में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, भले ही उनकी मौत से उन्होंने राहत की साँस ली हो!

किंतु कोई भी माई का लाल यह नहीं कहता, 'अच्छा हुआ जो हमारे बीच से एक निकृष्ट देशद्रोही चला गया। वह अव्वल दर्जे का कामचोर, स्वार्थी और भ्रष्टाचारी था। उसकी मौत से देश और समाज को राहत मिली।' शोकसभा का आयोजन कामचोर जमाने की एक स्वस्थ परंपरा है, क्योंकि दो मिनट के मौन के बाद हमें काम से छुट्टी मिल जाती है। उस दो मिनट के मौन में भी हम मृतक की 'आत्मा' के लिए शांति की कामना करने से रहे। हम तो यही कामना करते रहते हैं कि ऐसे 'शुभ दिन' बार-बार आए और हमें छुट्टी मिलती रहे।

प्रत्येक कर्मठ कर्मचारी आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित होने वाली मरने की खबरों को बड़े ध्यान से सुनता है। पता नहीं कब, किस की मौत पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी जाए और वह उसे सुनने के सुख से वंचित रह जाए।

विश्व के महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मौत पर किसी भी देश में इतनी छुट्टियाँ नहीं होतीं, जितनी भारत में होती है। इसके दो कारण हैं। पहला यह कि हम वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। इसलिए हमारे लिए विश्व के किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मौत तो हमारे ही परिवार के सदस्य की मौत है।

मौत के उपलक्ष्य में छुट्टी का दूसरा कारण यह है कि मानवीय संवेदना और करुणा हममें अन्य देशों के नागरिकों से कहीं अधिक है, जिसे हमने विरासत में पाया है। हम वाल्मीकि ऋषि के वंशज हैं, जिनके मुँह से क्रौंच पक्षी की मौत को देखकर और वियुक्ता क्रौंची के करुण क्रंदन को सुनकर करुण रस की ऐसी कविता फूट पड़ी थी, जिसने 'रामायण' जैसे विश्व महाकाव्य को जन्म दिया था। अब छुट्टी के नवीन महाकाव्य रचकर हम अपनी ऋषि परंपरा का युगानुरूप विकास क्यों न करें?

यहाँ महान बनने और दूसरों की सहानुभूति पाने के लिए मरना जरूरी है। हम जिंदगी से नफरत करते हैं और मुर्दगी से प्यार। विभीषण की सलाह से ही राम ने रावण को मारा था। रावण जब तक जिंदा रहा, विभीषण उसके खून का प्यासा बना रहा। किंतु जब वह मर गया तो उसका भ्रातृप्रेम उमड़ पड़ा। वह अपनी भाभी मंदोदरी के स्वर में स्वर मिला कर रोना चाह रहा था। किंतु संकोच के कारण रुमाल से आँखें ढँके हुए था। राम ने ताड़ लिया और उसे समझाया, 'भाई हमारी दुश्मनी तो जिंदा रावण से थी वह मर गया तो कैसा वैर विरोध? हमारा काम हो गया। अब तुम दिल खोल कर रो सकते हो।'

जब पुरुष वीरता से स्त्री के हृदय को नहीं जीत पाता तो रोकर यानी अपने हृदय की कोमलता का प्रदर्शन करके उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। वाली के मरने के बाद सुग्रीव ने भी यही सब किया था तारा को अपना बनाने के लिए। सचमुच मनुष्य का जीवन कितना तुच्छ है, जो अपनों को भी पराया बना देता है और मौत कितनी महान है, जो पराए बने अपनों में फिर से अपनत्व जगा देती है।

हमारा देश वीरों का देश है। यहाँ जिंदा दुश्मन की छाती पर चढ़ा जाता है। उसके सिर पर लात से ठोकरें लगाई जाती है। पर मुर्दों पर हम मर्दानगी नहीं दिखाते। कृष्ण जिंदा कंस की छाती पर चढ़ बैठे थे, बलराम ने उसके सिर पर ठोकरें लगाई थी। जब वह मर गया तो दोनों भाई उसके शव को अपनी गोद में रखकर बेतहाशा बिलख रहे थे। स्नेह से उसके बालों में उंगलियाँ फेर रहे थे ओर पैरों को सहला रहे थे।

इस तरह इस 'पवित्र धरती' पर मरने के बाद पहला लाभ तो यह मिलता है कि पराए अपने बन जाते हैं और दुश्मनों से दुश्मनी खत्म हो जाती है और अधिक अपनत्व आ जाता है। दूसरा लाभ यह होता है कि मरने वाला 'स्वर्गवासी' हो जाता है या 'स्वर्गीय' बन जाता है, भले ही उस का जीवन 'नरकीय' रहा हो या मरने पर उसे 'नरक' में भी जगह न मिली हो।

एक और बात बताना जरूरी है, भारत में चाहे कोई भूखों मर जाए, हमें इस बात की कोई परवाह नहीं। किंतु मरने के बाद उसकी आत्मा भूखी न रहे, इस बात का हम पूरा ख्याल रखते हैं। क्योंकि जिंदा आदमी का काम बिना खाए-पिए चल सकता है, मरे का नहीं। तभी तो उस की तृप्ति के लिए जाति-भोज करते हैं।

यदि दुनिया के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को गौरवमयी मौत मरना हो तो उसे मरने के कुछ दिन पूर्व भारतीय नागरिकता ग्रहण कर लेनी चाहिए। यहाँ उसकी मृत्यु पर करोड़ों लोग आँसू अवश्य बहा देंगे, भले ही उसके देश में यह सम्मान उसे दुर्लभ हो।

- महाराज बाग, भैरोगंज
सिवनी, मध्य प्रदेश
मोबाइल: +91 7692222792

सिविल अभियांत्रिकी विभाग

विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र के निर्माण और प्रवर्तन के पश्चात तथा इकाईवार प्रचालन आरंभ होने के बाद सिविल कार्यों के अनुरक्षण हेतु वर्ष **1990** में सिविल अभियांत्रिकी विभाग का गठन किया गया था। लेकिन वर्ष **1991** में धमनभट्ठी 'गोदावरी' के प्रवर्तन के बाद इस विभाग की गतिविधियों में तेजी आई।

इस विभाग का गठन औद्योगिक भवनों के अनुरक्षण एवं मरम्मत, मशीनों के नींव आदि की देखभाल व निर्माण, सड़कों की मरम्मत व अनुरक्षण, आवश्यकतानुसार नयी सड़कों के निर्माण आदि के लिए किया गया है। यह विभाग, संयंत्र के विविध विभागों में लगाये गये उपकरणों, ई ओ टी क्रेनों तथा यार्ड संबंधी अन्य उपकरणों के प्रचालन स्तर की जाँच करता है तथा ग्राहक विभागों की आवश्यकताओं के अनुरूप उनकी मरम्मत एवं सुधार के उपाय सुझाता है। साथ ही संयंत्र में नई सड़कों व भवनों के निर्माण अथवा किसी उपस्कर की स्थापना हेतु समन्वयकर्ता को तय करना एवं बेंचमार्किंग बनाना तथा संयंत्र में इस कार्य की पूर्ति एवं उपस्कर की स्थापना कार्य को पूरा करने के पश्चात उसे प्रमाणित करने का काम भी यही विभाग करता है। इसके अलावा, इसका कार्य संयंत्र परिसर में उपवनों एवं उद्यानों का निर्माण करके सुंदरीकरण करना एवं बाग-बगीचों, पौधरोपण आदि के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना होता है। साथ ही यह विभाग संयंत्र के भारी सिविल मरम्मतों, ब्रेकडाऊन, ए एम आर योजना संबंधी प्रचालनगत आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है।

सिविल अभियांत्रिकी विभाग, संयंत्र में वर्षा के कारण जमा होनेवाले या कैंटीनों से निकलनेवाले पानी को साफ करने का इंतजाम करता है और संयंत्र की विभिन्न शालाओं में कार्य करने के वातावरण को स्वस्थ रखता है। शालाओं में उपस्करों को संक्षारण से बचाने के लिए उसकी आवधिक रंगाई करता है। आर सी भवनों, भूमिगत सुरंगों, नालियों, शीतलन टॉवरों के प्रभावी संचालन हेतु उनकी आवधिक जाँच करता है तथा उनके अनुरक्षण हेतु ठोस उपाय सुझाता है।

सिविल अभियांत्रिकी विभाग द्वारा संयंत्र में ऊँचाई पर कार्य करते समय, सिविल मरम्मत कार्यों एवं भूमिगत नालियों की सफाई के दौरान उसमें जमी विषैली गैस को हटाते समय सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही शॉप स्तर पर सभी कर्मचारियों को पेयजल की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अलावा, तापीय विद्युत संयंत्र से जुड़े एश स्लरी पाइपलाइन के माध्यम से एश पांड में जमे एश की सफाई भी की जाती है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में कर्मचारियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य हेतु आई एस ओ-**18001** के अनुरूप गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आई एस ओ-**9001**, पर्यावरण एवं संगठनात्मक स्वास्थ्य मानक व सुरक्षा (ओ एच एस ए एस) के लिए आई एस ओ-**14001** जैसे मानकों का निरूपण किया गया एवं उनका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में फैक्टरी अधिनियम व श्रम अधिनियम के अनुसार गतिविधियाँ संपन्न होती हैं। नये भवनों के निर्माण कार्य हेतु अभिकल्प व अभियांत्रिकी विभाग के अनुमोदन के पश्चात कार्य आरंभ करने से पूर्व फैक्टरी निदेशक की सहमति लेना जरूरी होता है। कार्य हेतु नियुक्त ठेका श्रमिकों को सुरक्षा अभियांत्रिकी विभाग द्वारा उपयुक्त सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही किसी विशेष कार्य हेतु नियुक्त श्रमिकों को सुरक्षा विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। जोखिमपूर्ण कार्यों हेतु नियुक्त ठेका श्रमिकों के संदर्भ में ओ एच एस आर सी द्वारा उनके स्वास्थ्य की जाँच की जाती है। ठेका श्रमिकों के सांविधिक दायित्व, जैसे भविष्य निधि आदि का संबद्ध ठेका अभिकरण द्वारा संरक्षण किया जाता है और कार्य अभियंता द्वारा इसका अनुश्रवण किया जाता है। सिविल अभियांत्रिकी

सिविल अभियांत्रिकी विभाग अपने ज्ञान को अधुनातन बनाए रखने के लिए वैश्विक स्तर सिविल अभियांत्रिकी के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियों पर भी नजर रखता है। साथ ही सिविल एवं निर्माण संबंधी समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करते हुए अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है। अपने कार्य के दौरान सिविल अभियांत्रिकी विभाग पूरी वैज्ञानिकता के साथ काम करता है और अपने कार्य के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कार्य करने का प्रयास करता है।

विभाग उपरोक्त कार्यो का अनुश्रवण भी करता है।

सिविल अभियांत्रिकी विभाग द्वारा संयंत्र के सभी विभागों, जैसे कोक ओवेन, कच्चा माल प्रहस्तन संयंत्र, तापीय विद्युत संयंत्र, सिंटर संयंत्र, इस्पात गलन शाला, धमन भट्ठी, रोलिंग मिल्स, भंडार, कार्मिक विभाग, यातायात, फील्ड मशीनरी, ऊर्जा प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन, जल प्रबंधन, संरचनात्मक अभियांत्रिकी, संकर्म संविदा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, विपणन, वेतन व वित्त आदि से संबंधित सिविल मरम्मत कार्य किये जाते हैं। इसके अलावा एरिया शॉप ऑफीस, कैंटीन, प्रयोगशाला, नियंत्रण कक्ष, आर सी औद्योगिक स्ट्रक्चर, मशीन फाउंडेशन, यार्ड उपस्कर के फाउंडेशन के अनुरक्षण कार्य किये जाते हैं। कन्वेयर, केबल सुरंगों में लीकेज के निवारण, उपस्करों को संक्षारण से बचाने हेतु उसके आवधिक पेंटिंग कार्य किये जाते हैं।

इस विभाग के प्रयासों के बदौलत उपस्करों के कार्यकाल में वृद्धि, बाग-बगीचों की सुंदरता में वृद्धि, संयंत्रों की सड़कों के अनुरक्षण, संयंत्र के विविध भवनों व उनके परित: क्षेत्रों तथा कैंटीनों के अनुरक्षण, विविध कार्य-स्थलों एवं आर सी सी सड़कों का निर्माण एवं संयंत्र में बने हुए भवनों में जलापूर्ति की सुविधा, कर्मचारियों के बेहतर स्वास्थ्य हेतु धूल व मिट्टी की वैक्यूम क्लीनर से सफाई आदि कार्यों का निर्वाह किया जाता है।

सिविल अभियांत्रिकी विभाग द्वारा संकर्म विभाग की शालाओं के सिविल कार्य के दौरान संबद्ध शाला के लिए आवश्यक सामग्री की सूची व विनिर्देश तैयार किये जाते हैं। इन कार्यों के निष्पादन हेतु सिविल अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ठेका अभिकरणों को नियुक्त किया जाता है और इसके लिए आवश्यक सामग्री की आपूर्ति भी उन्हीं अभिकरणों को करना पड़ता है। इसके पश्चात शालाओं की आवश्यकताओं व विनिर्देशों की पूर्ति के अनुरूप ठेका अभिकरणों के कार्य निष्पादन का पर्यवेक्षण किया जाता है और कार्य का निष्पादन संतोषजनक पाये जाने के बाद ही उन अभिकरणों को कार्य करने की प्रभार-राशि का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा सिविल अभियांत्रिकी विभाग द्वारा विभागीय तौर पर भारी मरम्मतों आदि हेतु सर्वेक्षण भी किये जाते हैं।

सिविल अभियांत्रिकी विभाग के प्रतिनिधि विभागीय सुरक्षा समिति की बैठकों, समझौता ज्ञापन की बैठकों आदि में भाग लेते हैं और बैठकों के निर्णयों के अनुरूप कदम उठाते हैं। इस प्रकार यह विभाग नये भवनों, सड़कों के निर्माण के अलावा पेवमेंट, यार्ड के विविध स्थानों में हार्ड स्टेंडिंग जैसी सुविधाएँ भी प्रदान करता है, जिससे पूरे संयंत्र में बेहतर व सुरक्षित कार्य वातावरण तैयार होता है।

उपरोक्त के अलावा सिविल अभियांत्रिकी विभाग, तीन वर्ष के अंतराल पर प्रमुख सड़कों को आर सी सी सड़कों में परिवर्तित करता है, ताकि इन सड़कों पर जाते समय कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आर सी स्ट्रक्चरों की मरम्मत व पुनरोद्धार हेतु गुणवत्ता के साथ कोई समझौता किये बगैर बेहतर पॉलीमर चूना व कंक्रीट का उपयोग किया जाता है, ताकि भविष्य में उत्पादन कार्य में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड-विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र का सिविल अभियांत्रिकी विभाग अपने ज्ञान को अधुनातन बनाए रखने के लिए वैश्विक स्तर पर सिविल अभियांत्रिकी के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियों पर भी नजर रखता है। साथ ही सिविल एवं निर्माण संबंधी समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करते हुए अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है। अपने कार्य के दौरान सिविल अभियांत्रिकी विभाग पूरी वैज्ञानिकता के साथ काम करता है और अपने कार्य के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कार्य करने का प्रयास करता है। इसीलिए भारी उपस्करों के फाउंडेशन हेतु विशेष कंक्रीट का उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात फाउंडेशन के मूवमेंट एवं वाइब्रेशन की रोकथाम हेतु फाउंडेशन स्ट्रक्चरों में जहाँ-तहाँ 'हिल्टी' बोल्ट लगाये जाते हैं। इससे स्ट्रक्चर के जीवन काल में सुधार आता है।

इसके अलावा सड़क निर्माण व मरम्मत कार्य की लागत में कमी के यथासंभव प्रयास किये जाते हैं, जैसे सड़क बनाते समय मिट्टी एवं कंक्रीट की जगह एस एम एस स्लैग अथवा किसी जगह के समतलीकरण के लिए धमनभट्ठी स्लैग का उपयोग किया जाता है।

इस प्रकार सिविल अभियांत्रिकी विभाग अपनी सेवाओं से कंपनी के चतुर्दिक विकास में अपना योगदान बखूबी देते हुए अपनी सार्थकता प्रमाणित कर रहा है।

भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान और उसकी उपलब्धियाँ

- सुश्री रश्मि कुमारी -

दुनिया में अन्य देशों की तरह भारतीय जनमानस में भी सदियों से अंतरिक्ष के प्रति कौतूहल रहा है। दादी माँ की कहानियों में भारत का लगभग हर बच्चा चाँद पर किसी बूढ़ी औरत के होने और बैठकर चरखा कातने जैसी बातें लगभग सुनता है। या फिर चंदा मामा कहकर चाँद से बातें करने जैसी प्रक्रियाएँ अंतरिक्ष से भारतीयों के जुड़ाव को प्रमाणित करते हैं। वैज्ञानिक तौर पर अंतरिक्ष या सौरमंडल के बारे में आर्यभट्ट के प्रयास ने भी अंतरिक्ष में भारतीयों की दिलचस्पी को बढ़ाया। लेकिन चाँद पर जाने के माध्यम की खोज का आधार चीन में इजाद किया गया, जब रॉकेट को आतिशबाजी के रूप में पहली बार प्रयोग में लाया गया। यह चीन का तकनीकी आविष्कार था। उस समय भारत और चीन के बीच सिल्क का व्यापार होता था और साथ ही विचारों एवं अन्य वस्तुओं का आदान-प्रदान भी हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि भारत में सबसे पहले टीपू सुल्तान ने मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को खदेड़ने में रॉकेट का प्रयोग किया था। यह भी माना जाता है कि इसे देखकर विलियम कंग्रीव बहुत प्रभावित हुआ था और 1804 में उसने कंग्रीव रॉकेट का आविष्कार कराया, जो आधुनिक तोपखानों की देन है।

आजादी के बाद तत्कालीन राष्ट्र निर्माताओं ने भारत के सामरिक और संचार की आवश्यकताओं एवं अंतरिक्ष विज्ञान के अध्ययन एवं अनुसंधान के उद्देश्य से भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की। भारत सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की कमान को डॉ विक्रम साराभाई को सौंपा, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। महान वैज्ञानिक डॉ विक्रम साराभाई ने अपनी कल्पनाओं और अनुसंधानों से भारतीय अंतरिक्ष अभियान को मजबूत आधार प्रदान किया। 1957 में स्पूतनिक के प्रक्षेपण के बाद उन्होंने कृत्रिम उपग्रहों की उपयोगिता को समझा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू भी अंतरिक्ष अनुसंधान के कार्य को बहुत प्राथमिकता देते थे। उन्होंने इस कार्य को अहम् मानते हुए 1961 में अंतरिक्ष अनुसंधान के कार्य को परमाणु ऊर्जा विभाग की देखरेख में डाल दिया। परमाणु ऊर्जा विभाग के निदेशक डॉ होमी जहाँगीर भाभा ने 1962 में भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया, जिसमें डॉ विक्रम साराभाई को सभापति के रूप में नियुक्त किया गया।

1962 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना के साथ ही भारत ने अनुसंधित रॉकेटों का प्रक्षेपण शुरू कर दिया। इस कार्य में भौगोलिक रूप से भारत की भूमध्य रेखा से समीपता एक वरदान साबित होने लगी। ये सभी रॉकेट दक्षिण केरल में तिरुवअनंतपुरम के समीप थुंबा भू-मध्यीय रॉकेट अनुसंधान केंद्र से छोड़े गए, जो नवस्थापित प्रक्षेपण केंद्र था। शुरुआत में काफी हद तक अमेरीका एवं फ्रांस द्वारा विकसित रॉकेटों की तर्ज पर ही धरती के ऊपरी दबाव का अध्ययन करने के लिए रॉकेट प्रक्षेपित किए गए।

भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों में शुरु से ही देशी तकनीक की उच्च महत्वाकांक्षा थी। इसके चलते भारतीय वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में तेजी से विकास करते हुए शीघ्र ही ठोस ईंधन के प्रयोग से रॉकेट का निर्माण शुरु कर दिया। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की

> भारतीय अनुसंधान संस्थान की उपलब्धियाँ बहुत ही उल्लेखनीय एवं सराहनीय रही हैं। इन उपलब्धियों को हासिल करने की गति बनाए रखने में इसरो के वैज्ञानिकों एवं उसके कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और कार्य के प्रति समर्पण ही एकमात्र कारण रहा है। साथ ही इनकी मेहनत और समर्पण को सरकार एवं इसरो के अध्यक्षों का भरपूर सहयोग व समर्थन मिला है। अध्यक्षों ने भी बड़ी तन्मयता से अपने कार्य का निर्वाह किया है। इसीलिए इसरो के विकास का ग्राफ हमेशा उत्तरोत्तर ही बढ़ा है, चाहे वह डॉ विक्रम साराभाई का कार्य काल रहा हो या फिर वर्तमान अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन का कार्यकाल।

कर्तव्यनिष्ठा और उनकी उपलब्धियों से प्रभावित होकर भारत सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रति विशेष अभिरुचि दिखाते हुए इसे और मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से इसका सशक्तीकरण किया। परिणामत: परमाणु ऊर्जा विभाग से अलग करके **1969** में इसे अंतरिक्ष मिशन के अधीन किया गया और इसके नाम को बदलकर 'भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन' कर दिया। इस विभाजन से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को अपनी आवश्यकता के अनुरूप कच्चेमाल व तकनीक खरीदने एवं अनुसंधान करने की आजादी मिल गई। बाद में जून, **1972** में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई।

1960 के दशक में डॉ विक्रम साराभाई ने दूरदर्शन के सीधे प्रसारण जैसे क्रांतिकारी कार्य के अध्ययन हेतु अमेरीका के अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान में प्रशिक्षण व उनका सहयोग प्राप्त किया और वहाँ जाकर उपग्रहों के माध्यम से दूरदर्शन का प्रसारण कैसे होता है, इसकी जानकारी ली। भारत आकर उन्होंने अपने रिपोर्ट में भारत सरकार को बताया कि प्रसारण के लिए सबसे सस्ता और सरल साधन उपग्रह ही हो सकते हैं। उपग्रहों से देश को होने वाले फायदों को ध्यान में रखकर साराभाई और इसरो ने मिलकर एक स्वतंत्र प्रक्षेपण वाहन का निर्माण किया, जो कृत्रिम उपग्रहों को कक्ष में स्थापित करने एवं भविष्य में बड़े प्रक्षेपण वाहनों के निर्माण हेतु आवश्यक अभ्यास कराने में सक्षम था।

भारत की पहली अंतरिक्ष यात्रा **1975** में रूस के सहयोग से आरंभ हुई, जब इसके उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया। **1979** तक भारत में सतीश धवन अंतक्षि केंद्र नामक दूसरा प्रक्षेपण स्थल तैयार हो गया था। इससे पहली बार **1979** में एस एल वी का प्रक्षेपण किया गया। लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से इसका प्रक्षेपण सफल नहीं हो पाया। एस एल वी की खामियों का निराकरण करके पुन: उसे **1980** में प्रक्षेपित किया गया। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह रोहिणी है।

सोवियत संघ ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में काफी सहयोग दिया है। भारत और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष में बढ़ती साझेदारी अमेरीका जैसे देश को पसंद नहीं थी। अमेरीका इस संबंध में दरार डालना चाहता था। इसीलिए सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरीका ने **1992** में भारत और रूस के साथ हुए बूस्टर तकनीकी हस्तांतरण समझौते का परमाणु अप्रसार नीति की आड़ में काफी विरोध किया। इस संदर्भ में उसने अन्य देशों के साथ मिलकर भारतीय संस्था इसरो और सोवियत संघ की संस्था ग्लावकास्मोस पर प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी। इस धमकी से प्रभावित होकर सोवियत संघ ने इस सहयोग से अपना हाथ पीछे खींच लिया। समझौते के अनुसार सोवियत संघ भारत को क्रायोजनिक लिक्विड राकेट इंजन देने के लिए तैयार था, लेकिन इसके निर्माण से जुड़ी तकनीक देने को तैयार नहीं हुआ, जिसे मूलत: भारत सोवियत संघ से खरीदना चाहता था।

शुरुआत में तो लगा कि भारत का अंतरिक्ष अभियान इससे प्रभावित हो जाएगा। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि इसे भारतीय वैज्ञानिकों ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उनके अथक प्रयास एवं शोध के बल पर भारत ने दो वर्ष के भीतर ही लगभग उसी स्तर की स्वदेशी तकनीक विकसित कर ली। हालांकि अभी भी रूसी इंजनों का प्रयोग हो रहा है और उन्हें भी स्वदेशी तकनीक से तैयार कर लेने का प्रयास जारी है।

इसमें लेशमात्र भी संशय नहीं है कि भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। आज आधुनिक उपग्रहों की सहायता से ही भारत का दूरसंचार, टेलीविजन और इंटरनेट सेवा वैश्विक स्तर का हो गया है। अब अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत दुनिया का एक माना जाना देश बन गया है। दुनिया के अन्य विकासशील देश भी अब भारत के अंतरिक्ष संसाधनों का उपयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं। इससे भारतीय अनुसंधान संगठन (इसरो) की साख और मजबूत हो रही है और साथ ही देश के लिए विदेशी मुद्रा का अर्जन भी हो रहा है।

अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की वर्षवार उपलब्धियाँ :

1962 : राष्ट्रीय समिति का गठन

1963 : थुंबा से पहला रॉकेट प्रक्षेपण

1965 : थुंबा में अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी केंद्र की स्थापना
1967 : अहमदाबाद में उपग्रह संचार प्रणाली केंद्र की स्थापना
1972 : अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना
1975 : प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण (19 अप्रैल)
1976 : उपग्रह के माध्यम से शिक्षा देने हेतु प्रायोगिक प्रयास
1979 : प्रायोगिक उपग्रह भास्कर-1 का असफल प्रक्षेपण।
1980 : एस एल वी-3 की सहायता से रोहिणी उपग्रह का कक्षा में सफल स्थापन
1981 : एप्पल नामक भूवैज्ञानिक संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण
1981 : भास्कर-2 का सफल प्रक्षेपण
1982 : इनसेट-1 ए का प्रक्षेपण
1893 : एस एस वी का दूसरा एवं इनसेट-1 वी का प्रक्षेपण
1984 : राकेश शर्मा का अंतरिक्ष में जाना
1987 : ए एस एल वी का प्रक्षेपण
1988 : पहले दूरसंवेदी उपग्रह आई आर एस-1 ए एवं 1 सी का प्रक्षेपण
1990 : इनसेट-1 डी का प्रक्षेपण
1991 : दूसरे दूरसंवेदी उपग्रह आई आर एस एस-1 वी का प्रक्षेपण
1992 : ए एस एल वी का तीसरा एवं स्वदेशी तकनीक पर पूर्णत: आधारित इनसेट-2 ए उपग्रह का प्रक्षेपण
1993 : इनसेट -2 वी का प्रक्षेपण और आई आर एस एस-1 ई का दुर्घटनाग्रस्त होना
1984 : एस एस एल वी का चौथा सफल प्रक्षेपण
1995 : इनसेट-2 सी एवं तीसरे दूरसंवेदी उपग्रह का प्रक्षेपण
1996 : पी एस रल वी की सहायता से दूरसंवेदी उपग्रह आई आर एस एस-पी 3 का प्रक्षेपण
1997 : जून में प्रक्षेपित इनसेट 2 डी अक्टूबर में खराब हो गया। आई आर एस एस-1 डी का प्रक्षेपण
1999 : इनसेट 2 ई का फ्रांस से प्रक्षेपण। आई आर एस एस-पी 4 का श्री हरिकोटा से सफल प्रक्षेपण। दक्षिण कोरिया के उपग्रह किटसैट-3 और जर्मनी के डी सी आर-ट्यूबसेट का प्रक्षेपण
2000 : इनसेट-3 वी का प्रक्षेपण
2001 : जी एस एल वी-डी 1 का प्रक्षेपण, आंशिक सफल
2002 : इनसेट-3 सी एवं पी एस एल वी-सी 4 का सफल प्रक्षेपण
2004 : जी एस एल वी एजुसेट का सफल प्रक्षेपण
2008 : चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण
2009 : पी एस एल वी-सी 12, रीसेट-2, अणुसेट, ओसियनसेट-2, क्यूबसेट उपग्रह, रूबिन-9 एवं पी एस एल वी-सी 14 आदि प्रक्षेपित
2010 : जी एस एल वी-डी 3, जी सेट-4, पी एस एल वी-सी 15 एवं 5 अन्य, हाईलॉस, जी एस एल वी-एफ 06, जी सेट-5 पी का प्रक्षेपण
2011 : पी एस एल वी-सी 16 एवं तीन अन्य रिसोर्ससेट-2, यूथसेट, एक्ससेट और जी सेट-8, पी एस एल वी-सी 17, जी सेट-12, पी एस एल वी-सी 18 एवं वेसेलसेट-1 का प्रक्षेपण,
2012 : पी एस एल वी-सी 19, रीसेट-1, पी एस एल वी-सी 21 एवं जी सेट-10
2013 : पी एस एल वी-सी 20, सरल और छ: अन्य वाणिज्यिक उपग्रह, पी एस एल वी-सी 22, आई आर एन एस एस-1 ए, इन्सेट-3 डी, जी सेट-7 एवं पी एस एल वी-सी 25
2014 : जी एस एल वी-डी 5, जी सेट-14, पी एस एल वी-सी 24, जी एस एल वी-डी 5 प्रक्षेपण एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में वी-सी 23 और चार अन्य उपग्रह प्रक्षेपित।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय अनुसंधान संस्थान की उपलब्धियाँ बहुत ही उल्लेखनीय एवं सराहनीय रही हैं। इन उपलब्धियों को हासिल करने की गति बनाए रखने में इसरो के वैज्ञानिकों एवं उसके कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और कार्य के प्रति समर्पण ही एकमात्र कारण रहा है। साथ ही इनकी मेहनत और समर्पण को सरकार एवं इसरो के अध्यक्षों का भरपूर सहयोग व समर्थन मिला है। अध्यक्षों ने भी बड़ी तन्मयता से अपने कार्य का निर्वाह किया है। इसीलिए इसरो के विकास का ग्राफ हमेशा उत्तरोत्तर ही बढ़ा है, चाहे वह डॉ विक्रम साराभाई का कार्यकाल रहा हो या फिर वर्तमान अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन का कार्यकाल।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की भावी योजनाओं में चंद्रयान के साथ-साथ मंगल मिशन का भी प्रावधान है। देश की अपेक्षाओं के अनुरूप अग्रसर होते भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के उत्तरोत्तर विकास की कामनाओं सहित।

- वी टेक (केमिकल इंजीनियरिंग), चतुर्थ वर्ष
एम वी जी आर इंजीनियरिंग कॉलेज
विजयनगरम, आंध्र-प्रदेश

अध्यात्म

मन की शांति

एक संस्मरण में प्रसिद्ध अमेरीकी लेखक जोशुआ लोथ लीवमैन ने लिखा है कि 'जब मैं युवा था, तब जीवन में मुझे क्या पाना है, उसके सपने देखता था। एक दिन मैंने उन चीजों की लिस्ट बनाई, जिसे देखकर किसी को भी पूर्णता की अनुभूति हो और वह स्वयं को धन्य समझे। उस लिस्ट में स्वास्थ्य, सौंदर्य, समृद्धि, सुयश, शक्ति, संबल और भी बहुत सी चीजें मैंने लिख दीं। उस लिस्ट को लेकर मैं एक बुजुर्ग के पास गया और उनसे पूछा - 'क्या इस लिस्ट में मनुष्य की सभी गुणवान उपलब्धियाँ नहीं आ जाती हैं?' उस लिस्ट को देखकर और मेरे प्रश्न को सुनकर उस बुजुर्ग के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई और वह बोले 'बेटे! तुमने वाकई बहुत अच्छी लिस्ट बनाई है और इसमें तुमने अपनी समझ के अनुसार हर सुंदर विचार को स्थान दिया है, लेकिन इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात को लिखना भूल गए, जिसकी अनुपस्थिति में शेष सब व्यर्थ हो जाता है। उस तत्व का दर्शन विचार से नहीं, बल्कि अनुभूति से हो सकता है।' मैं असमंजस में आ गया, क्योंकि मेरे विचार से तो मैंने लिस्ट में कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी थी। मैंने उनसे पूछा - 'तो वह तत्व क्या है?' इस प्रश्न के उत्तर में उस बुजुर्ग ने मेरी पूरी लिस्ट को निर्म मता से काट दिया और उसके नीचे तीन शब्द 'मन की शांति' लिख दिया।

मन के पूरी तरह से स्वस्थ एवं संतुष्ट रहने की स्थिति को ही शांति कहा जाता है। इसी स्थिति को अध्यात्म मनोविज्ञान में मन की निरुद्ध अवस्था कहा गया है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे 'इंटिग्रेटेड स्टेट ऑफ माइंड' के नाम से परिभाषित करता है। परिभाषाएँ कुछ भी कहें, लेकिन यह कटु सत्य है कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा, जो मानसिक रूप से अशांति चाहता हो, अर्थात सभी लोग मानसिक रूप से स्वस्थ व संतुष्ट रहना चाहते हैं।

शांति सर्वसामान्य की शुभेच्छा है, फिर यदि इसे कोई प्राप्त कर लेता हो और कोई प्राप्त नहीं कर पाता हो, तो दोनों के प्रयासों की तीव्रता में अंतर जरूर होगा। डॉ सर्वपल्लि राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक 'प्रिंसिपल उपनिषद' में शांति प्राप्त करने के सारे प्रयासों को दो भागों में विभक्त करके इसे ढूँढ़ने वालों के भ्रम को दूर किया है। पहले प्रयास की संकल्पना ढूँढ़-खोज पर आधारित है। इस श्रेणी के लोगों के लिए मन की शांति मृग-मरीचिका की तरह होती है। जैसे कि ग्रामीण लोग समझते हैं कि शहर के लोग सुख-शांति से जी रहे हैं। इसी प्रकार ईश्वर रूपी शांति आश्रय के तलाश में लोग दर-दर भटकते रहते हैं। इसी प्रकार दूसरी श्रेणी के लोग भौतिक साधनों में शांति की तलाश करते हैं। लेकिन वस्तुत: शांति इधर-उधर भटकने और वस्तुओं, स्थान एवं परिस्थितियाँ बदल लेने मात्र से मन की शांति का वास्तविक अनुभूति हो जाए, यह प्राय: संभव नहीं है, अर्थात जो वस्तु जहाँ है ही नहीं, वहाँ मिलेगी कैसे? शांति को न तो शुद्ध एकांत में पाया जा सकता है और न ही समाज की सुविधापरक साधनों में। मन की शांति तो एक अवस्था है। इसका मिलना तभी संभव है, जब मन उस अवस्था में पहुँचे।

अध्यात्म मनोविज्ञान में मन की शांति को प्राप्त करने हेतु बहुत ही विशद ढंग से मन की अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। इसके तहत क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध जैसी मन की पाँच अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। पहली अवस्था में मन खूब चंचल रहता है, अर्थात यह बचपन की स्थिति है। मनोविज्ञान इसे 'ऑसिलेशन ऑफ अटेंशन' कहता है। दूसरी अवस्था के दौरान मन में जड़ता रहती है। न कुछ करने का मन करता है और न सोचने का। तीसरी, आम आदमी की अवस्था को कहते हैं, जो कभी सुखी तो कभी दु:खी होकर जीता रहता है। चौथी अवस्था में मानसिक स्थिति स्थिर हो जाती है। इसकी श्रेणी में वैज्ञानिक व दार्शनिक आते हैं। इसमें पूर्ण शांति तो नहीं मिलती, लेकिन हताशा और उद्विग्नता का एहसास नहीं होता। पाँचवीं अवस्था में मन अंत:करण से जुड़ जाता है। इसे प्रमाणिक रूप से शांति की अवस्था कहा गया है।

वास्तव में इसे पाने के लिए अपने भीतर व्यापक बदलाव करना होता है। मनुष्य को अपनी दुर्भावनाओं, इंद्रिय लिप्साओं और मन की वासनाओं एवं संकीर्णताओं से ऊपर उठना होता है। इसके लिए हमेशा जागृत रहना होता है। इसे पाने के लिए अपने हृदय को विशालतम बनाना होता है।

ऑस्कर ब्राउन का मानना है कि किसी भी काम में उच्च और व्यापक भावनाओं तथा पूर्ण मनोयोग को जोड़ देने से मन के सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। इससे व्यक्ति शांत होता चला जाता है। इस प्रक्रिया में मन विक्षिप्तता से उठकर एकाग्र होता है और एकाग्रता से आगे बढ़कर निरुद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति उसी तरह शांत और स्थिर बना रहता है, जैसे नाचता हुआ लट्टू। यथार्थ में यही मन की शांति है।

नये जीवन का सफर

- श्रीमती अल्पना शर्मा -

साढ़े पाँच बजे घर पहुँचते ही नीलिमा ने निर्लजन से पूछा 'तबीयत कैसी है? आपने कुछ खाया? माँ कहाँ गई है?' फिर रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। निर्लजन ने कहा, 'तबीयत ठीक नहीं है, कमजोरी और तेज दर्द है। बस जूस लिया था। माँ पड़ोस में सत्यनारायण की कथा सुनने गई है। ...नहीं जा रही थी ... मैंने ही उसे जबरदस्ती भेजा। कब तक मेरे पैर सहलाती?'

नीलिमा निर्लजन को चाय व बिस्कुट दी। दोनों चाय पीने लगे। लेकिन निर्लजन दो घूंट से ज्यादा न ले पाया। नीलिमा ने चाय पीकर अपना पर्स उठाया और निर्लजन की रिपोर्ट लेकर बोली, 'और क्या कहूँ डॉक्टर से, आपको और कोई परेशानी तो महसूस नहीं हो रही न?' 'नहीं, बस वही भूख नहीं लगती और पीठ में भयंकर दर्द है।' 'ठीक है! मैं जाती हूँ, पैने छ: हो गया है।' कहते हुए नीलिमा अस्पताल के लिए निकल पड़ी।

पहुँचते ही डॉक्टर ने नीलिमा को अंदर बुला लिया। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने नीलिमा से जो कहा, उसे सुनकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई और आँखें सजल। डॉक्टर ने उसे तसल्ली दी और इलाज का आश्वासन भी। नीलिमा के घर आते ही माँ ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। नीलिमा ने कुछ न बताया लेकिन उसका उदास चेहरा सारी कहानी कह दी।

माँ दूसरे कमरे में जा चुपचाप खूब रोयी। निर्लजन भाँप गया कि उसे किसी बड़ी बीमारी ने आ जकड़ी है। नीलिमा अपनी शक्ति जुटा रसोई में खाना बनाने चली गई। कभी हाथ से बर्तन छूटते तो कभी बेलन। न मन शांत था, न दिमाग। निर्लजन के लिए नमकीन खिचड़ी बनाई और उसे ठंडी कर निर्लजन को परोस कर उसके पास बैठना चाहा। लेकिन आज वह उसका सामना नहीं कर पा रही थी। उसे डर था कि निर्लजन उससे कोई ऐसी बात न पूछ ले, जिसका जवाब वह न देना चाहते हुए भी उसके आँसू दे दे।

उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। नीलिमा डर सी गई। उसे लगा, जैसे कोई निर्लजन को लेने आया है। अगले ही क्षण उठकर दरवाजा खोला तो रामफूल सामने नजर आया। रामफूल नीलिमा के स्कूल में चपरासी है। वैसे भी जब रामफूल आता है तो उसके आने का पता सभी को चल जाता है। सभी से हालचाल पूछना उसकी फितरत थी। सीधा निर्लजन के कमरे में गया और बोला - 'साहब जी कैसे हैं?' 'क्या बताऊँ वही दर्द और बैचैनी। नीलिमा डॉक्टर के पास गई थी, अभी तक कुछ बताया नहीं, बस रसोई में घुसी हुई है।' जब नीलिमा रामफूल को बाहर छोड़ने आई तब उसने पूछा, 'बहन जी डॉक्टर ने कोई विशेष बात कही क्या, आप ऐसे उदास क्यों हो?' नीलिमा रामफूल के सामने आँसू न रोक सकी और बोली, 'कल स्कूल में बताऊँगी, अभी तुम जाओ।' नीलिमा पूरी रात सो न पाई।

दूसरे दिन मध्यांतर की घंटी बजते ही नीलिमा रामफूल के पास पहुँच गयी। देखते ही रामफूल ने पूछा, 'बहन जी साहब जी के लिए डॉक्टर ने क्या कहा?' नीलिमा का गला रुंध गया। डॉक्टर ने निर्लजन की दो बीमारी बताई हैं रामफूल, जो कभी ठीक नहीं हो सकती हैं। उन्हें रीढ़ का कैंसर हैं और वो भी लास्ट स्टेज पर। कहाँ से लाऊँगी इतना रुपया। मुझे तो कोई ऐसा मददगार भी नहीं नजर आता। कैसे करवाऊँगी इलाज और कैसे चलेगा घर।' 'बहन जी, आप हिम्मत मत हारिये। आप अपने को अकेला मत समझिए। हम क्या मर गये हैं। क्या एक गरीब भाई अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सकता। स्कूल का मामूली चपरासी हूँ, लेकिन मैंने कुछ कमाया है। हम लोग मिलकर साहब जी को किसी बड़े डॉक्टर को दिखायेंगे।' रामफूल कहते-कहते रुक गया, जैसे उसके पास शब्द खत्म हो गए हों। लेकिन मानो उसकी आँखें आशा का सागर हों, जिसे देख नीलिमा के आँसुओं का सागर हार गया। कुछ देर की चुप्पी को स्कूल घंटी ने तोड़ दिया। नीलिमा हड़बड़ाकर उठी और रामफूल को शाम को घर आने के लिए कहते हुए अपनी कक्षा की ओर भागी।

छुट्टी के बाद नीलिमा घर पहुँची तो निर्लजन ने उसे अपने पास बैठाया और बोला 'क्या हुआ? मैं कल से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारा रंग एकदम पीला पड़ गया है। तुम चुप रह रही हो।' नीलिमा का दिल धक से हो गया। उसने निर्लजन को हिम्मत बँधाते हुए कहा, 'तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो

जाओगे। हम बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखायेंगे।' लेकिन निर्लजन को अपनी स्थिति का अंदाजा हो चुका था।

नीलिमा की दिनचर्या बदल गई। चेहरे पर गंभीरता और किसी उद्देश्य को पूरा करने की चाहत उसके हावभाव से झलकती थी। स्कूल से घर और घर से अस्पताल, यही उसकी दिनचर्या थी। निर्लजन का इलाज शुरू हो गया। कुछ रुपये रामफूल ने दिये तो कुछ निर्लजन की पुश्तैनी जमीन के बेचने से मिल गये। अब नीलिमा को लगा, जैसे निर्लजन और उसका साथ कुछ सालों के लिए बढ़ ही जायेगा।

नीलिमा का दो भाईयों के अलावा कोई रिश्तेदार न था। दोनों किसी दूसरे शहर में रहते थे। एक-दो साल में मिलना होता था। भाइयों से नीलिमा को कोई उम्मीद न थी। उसने उन्हें कोई खबर नहीं दी। उसका संसार बीमार निर्लजन और उसकी बूढ़ी माँ और चपरासी रामफूल ही था।

एक दिन निर्लजन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। माँ ने नीलिमा को स्कूल से बुलवाया। नीलिमा ने फौरन निर्लजन को अस्पताल में भर्ती कराया। जाँच और उपचार शुरू हो गए। रामफूल भी वहाँ आ पहुँचा। नीलिमा और रामफूल ने पैसों के इंतजाम का हर संभव उपाय किया। दवाइयों के लिए रामफूल ने दवाई की दूकान वाले से बात कर ली। निर्लजन की रीढ़ में ऑपरेशन किया गया।

चार घंटे तक यह आपरेशन चला। नीलिमा के हाथ-पाँव ठंडे हो चले थे। मन थक गया था। लेकिन निर्लजन के ठीक होने की आशा थी। अचानक डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कहा 'निर्लजन की आंतरिक स्थिति बहुत नाजुक है। ब्लड प्रेशर हाई है। कुछ भी हो सकता है। फिर भी भगवान पर विश्वास रखिए और ये दवाएँ मँगाइए।'

चार दिन बीत गए। निर्लजन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। निर्लजन को जैसे ही होश आता, नर्स निर्लजन को दर्द व नींद का इंजेक्शन लगा देती और निर्लजन फिर अचेतन अवस्था में मौत से जूझता रहता। पाँचवें दिन नीलिमा ने निर्लजन का हाथ पकड़ते हुए कहा, 'तुम्हें कुछ नहीं होगा। ईश्वर ने रामफूल को हमारी मदद के लिए भेजा है।' निर्लजन ने धीमी आवाज में कहा, 'तुम अपने को मजबूत करो नीलिमा। मेरी नियति तो तय है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम अपने आप को मजबूत करो और एक नया जीवन शुरू करो। माँ की देखभाल करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे आने वाले कल पर इस अतीत की काली छाया पड़े। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बात नहीं टालोगी।'

थोड़ी ही देर में निर्लजन की बेचैनी बढ़ गई और वह बेहोश हो गया। डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने निर्लजन का चेकप करते हुए बताया कि निर्लजन कोमा में चला गया है। नीलिमा की आँखों के आँसू सूख गए। पथराई आँखों से निर्लजन के स्थिर शरीर को देखती रही। रामफूल साँत्वना देता रहा। ऐसे ही पंद्रह दिन बीत गए। निर्लजन को होश न आया। नीलिमा भी एकदम जड़ सी निर्लजन के पास बैठी रहती। रामफूल नीलिमा से बोला, 'बहन जी आप कब तक ऐसे बैठी रहेंगी? आपको अपने को बदलना होगा।'

नीलिमा बोली, 'मैं निर्लजन का तब तक इंतजार करूँगी, जब तक निर्लजन ठीक नहीं हो जाते। मुझे और कुछ नहीं पता।' 'बहन जी, आप कितनी पढ़ी-लिखी हैं। जरा समझिए। आपके इस तरह से बैठे रहने से साहब जी ठीक नहीं होंगे। ऐसे तो आप बीमार हो जायेंगी।'

रामफूल की बातें नीलिमा पर ज्यादा असर न कर सकीं। दूसरे दिन जब माँ नीलिमा और रामफूल तीनों निर्लजन के पास बैठे थे, तभी रामफूल को निर्लजन के हाथों में हलचल दिखी। रामफूल दौड़कर डॉक्टर को बुला लाया। जब तक डॉक्टर आया निर्लजन को होश आ गया था। माँ ने निर्लजन को सीने से लगा लिया। आँखों से आँसू बह निकले। डॉक्टर ने आकर देखा। निर्लजन की आँखें नीलिमा पर आकर ठहर गयीं। सांसों की लड़ी टूट गई। डॉक्टर ने निर्लजन को मृत घोषित कर दिया।

माँ और नीलिमा के आँसू रुक न रहे थे। दोनों बेहाल थी। रामफूल ने अंतिम संस्कार का सारा इंतजाम किया। माँ और नीलिमा का जीवन एक बिंदु पर ठहर गया था। समय घावों को कम न कर पा रहा था। एक शाम रामफूल ने नीलिमा से कहा, 'बहन जी आप साहब जी की हर बात को याद करके रो लेती हैं। लेकिन एक बात पर ध्यान नहीं दे रही हैं। साहब क्या चाहते थे? वे चाहते थे कि उनके जाने के बाद आप अपने को कमजोर और बेसहारा न महसूस करें। अपनी जीवन चर्या को बदलें। समाज में आपको अपना एक अलग स्थान बनाना है। साहब जी की इच्छाओं को पूरा करना है। आपकी ऐसी हालत देखकर माँ को कितना दु:ख होता होगा। एक तरफ उनका बेटा गया तो दूसरी तरफ उनकी बहू अपने जीवन को जड़ किये बैठी है। आपको बदलना होगा। अपने नए जीवन की शुरुआत करनी होगी।'

नीलिमा को इन बातों ने छू लिया। उसे लगा कि ऐसे बैठे रहने से तो वह अपना आगे का जीवन और दुखमय बना रही है। उसे अपने को बदलना होगा। नीलिमा अपने आप में बदलाव लाने लगी। फिर से स्कूल जाने लगी। माँ की देखभाल में उसने कोई कमी न की। निर्लजन की कमी भी उसे ही पूरी करनी थी।

- 124/61-62, अग्रवाल फार्म
मानसरोवर, जयपुर-302020
दूरभाष: 0141-2782110

इतिहास के झरोखे में सागर

- श्री सुरेंद्र अग्निहोत्री -

भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में अंग्रेजों को पहली ललकार देने वाले नगरों में सागर का नाम शुमार है, जो मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण शहर है। इस नगर का आधुनिक इतिहास **1660** से मिलता है, जब ऊदनशाह ने परकोटा नामक गाँव बसाया था। परकोटा अब शहर के बीचों-बीच स्थित एक मोहल्ला है। इस शहर का नाम सागर इसलिए पड़ा, क्योंकि यह एक विशाल झील के किनारे स्थित है। किंवदंतियों के अनुसार इस सागर झील का नाम लाखा बंजारा झील भी है। जब झील खोदी गई थी, उस समय उसमें पानी नहीं निकला। तब राजा ने घोषणा की कि झील में पानी आने के लिए जो कोई सुझाव देगा, उसे पुरस्कार दिया जाएगा। फिर किसी ने सुझाया कि जब किसी नवदंपति को झील के अंदर झूले में बिठाकर झुलाया जाएगा तो झील लबालब भर जाएगी। लेकिन उस नवदंपति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। किसी की हिम्मत नहीं थी कि अपनी जान देकर झील में पानी ला सके। लेकिन इस कठोर शर्त को सुनने के बाद भी लाखा बंजारे ने अपनी नवविवाहित बहू और बेटे को तालाब के बीचों-बीच झूले में झूलने के लिए राजी कर लिया। रत्नों से जड़े उस झूले में लाखा बंजारा के बहू और बेटे को बैठाकर झुलाया गया। आशा के अनुरूप झील में पानी तो आ गया। लेकिन लाखा बंजारा के बहू-बेटे उसमें डूब गये। लाखा बंजारे ने क्षेत्र की प्यास बुझाने के लिए अपने बहू-बेटे का बलिदान दिया था। इसी बलिदान के कारण लाखा बंजारा आज भी बुंदेलखंड में लोकनायक के रूप में जाना जाता है। सागर नगर इसी झील के उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर बसा है। दक्षिण में पथरिया पहाड़ी है, जहाँ विश्वविद्यालय परिसर है। इसके उत्तर-पश्चिम में सागर का किला है। नगर की स्थिति और रचना पर इस झील का बहुत प्रभाव है।

ऊदनशाह ने जब **1660** में परकोटा गाँव बसाया तो तालाब पहले से ही मौजूद था। गढ़पहरा को पुराना सागर भी कहते हैं, जो डांगी राज्य की राजधानी था। यह बात गौड़ शासक संग्रामसिंह के समय से स्वीकार की जाती है। उस समय गढ़पहरा एक गढ़ था, जिसमें **360** मौजे थे। बाद में डांगी राजपूतों ने इस भाग को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। **1689** के आसपास गढ़पहरा का शासक पृथ्वीपत मुगल शासन का जागीरदार था। उसके बारे में कहा जाता है कि वह एक कमजोर बुद्धि वाला शासक था, जिसे दंतकथाओं में आज भी याद किया जाता है। उसके संबंध में कहा जाता है कि वह अपने महल की छत से चंद्रमा पर तीर चलाकर अपना मनोरंजन किया करता था।

आजादी की दीपशिखा को ज्योतित करनेवाला **1840** का बुंदेला विद्रोह सागर जनपद से ही शुरु हुआ था। नरहट के जमींदारों ने अंग्रेजों को लगान देने से इनकार कर दिया था। बाद में अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह को बुरी तरह से कुचल दिया और विद्रोही जमींदारों हृदय शाह और मधुकर शाह को सागर की जेल में फाँसी पर लटका दिया। सन् **1835** में यहाँ अंग्रेज स्लीमैन आया था। उसने अपनी पुस्तक 'रेबल्स एंड डिक्लेक्शंस' में शाहगढ़ और उसके शासकों के बारे में विस्तार से लिखा है। बखत बली अर्जुन सिंह का भतीजा था। उसके पास **150** घुड़सवार और करीब **800** पैदल सैनिकों की सेना थी। वह सन् **1857** की क्रांति में शामिल हुआ था। उसने चरखारी पर आक्रमण के समय तात्या टोपे की सहायता की थी। बाद में नाना साहिब द्वारा ग्वालियर में स्थापित शासन में उसे भी सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया था। सितंबर **1858** में बखत बली को ग्वालियर जाते समय अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके राजबंदी के रूप में लाहौर भेज दिया। वहाँ उसे मारी दरवाजा में हाकिम राय की हवेली नामक स्थान पर रखा गया। बखत बली के राज्य को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। वह राज्य कितना विस्तृत था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके कई भाग अब सागर, दमोह और झांसी जिलों में शामिल हैं। **29** सितंबर **1873** के दिन वृंदावन में राजा बखत बली की मृत्यु हो गई।

सागर के संबंध में विस्तृत जानकारी 'टालमी' के लिखे विवरणों से प्राप्त होती है। टालमी के अनुसार 'फुलिटों' (पुलिंदा) का नगर 'आगर' (सागर) था। गुप्तवंश के शासनकाल में इस क्षेत्र को सर्वाधिक महत्व मिला। समुद्रगुप्त के समय में एरण को स्वभोग नगर के रूप में उद्धृत किया गया है और यह राजकीय तथा सैन्य गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। नौवीं शताब्दी में यहाँ चंदेल और कलचुरी राजवंशों का आधिपत्य हो गया और **13-14** वीं शताब्दी में मुगलों का शासन शुरु होने से पूर्व यहाँ कुछ समय तक परमारों के शासन के भी संकेत मिलते हैं। पंद्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में सागर पर गौड़ों ने कब्जा जमाया। फिर महाराजा छत्रसाल ने धामोनी, गढ़ाकोटा और खिमलासा में मुगलों को हराकर अपनी सत्ता स्थापित की। लेकिन बाद में इसे मराठों को सौंप दिया। सन् **1818** में अंग्रेजों ने इसपर अपना कब्जा जमाया और यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य हो गया। सन् **1861** में इसे प्रशासनिक व्यवस्था के लिए नागपुर में मिला दिया गया और यह व्यवस्था सन् **1956** में नये मध्यप्रदेश राज्य का गठन होने तक बनी रही। सागर के उत्तर में छतरपुर और ललितपुर, पश्चिम में विदिशा, दक्षिण में नरसिंहपुर और रायसेन तथा पूर्व में दमोह जिले की सीमाएँ लगती हैं।

सागर अंचल में प्राचीनकाल से ही वैष्णव, शैव शाक्त, जैन तथा बौद्ध संप्रदाय के अनुयायी धार्मिक सद्भाव से निवास करते थे। सभी ने अपने पूजा स्थलों के रूप में मंदिरों व मस्जिदों का निर्माण किया। ये मंदिर व मस्जिदें अपनी स्थापत्य तथा मूर्तिकला के कारण प्रसिद्ध हैं। यहाँ मढ़ौली में स्थित परमार कालीन शिवमंदिर, **9-10** वीं शताब्दी में निर्मित विनायका का विष्णु व सूर्य मंदिर, गढ़ौली (खुरई) का शिव मंदिर, रानगिर का हरसिद्धि देवी मंदिर, **13** वीं सदी में निर्मित पाटन का शिव मंदिर के साथ-साथ बीरा-बारहा, पटना गंज रहली, पजनारी और ईशुरवारा के जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं। इस्लाम धर्म के अनुआयियों ने भी अपने धर्म की छाप यहाँ मस्जिदों एवं दरगाहों में अंकित किया है, जिनमें राहतगढ़ और खिलमासा की किलों निर्मित मस्जिदें एवं पीलीकोठी तथा धामोनी की दरगाह प्रमुख हैं।

एरण :

प्राचीनकाल में एरण उज्जयिनी से काशी जानेवाले मार्ग पर स्थित एक नगर था। ऐतिहासिक प्रमाण साबित करते हैं कि एरण ने तत्कालीन सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किया और वैभव व समृद्धि की अनेक सदियाँ विताई। मालवा और बुंदेलखंड के मध्य स्थित होने के कारण एरण का राजनैतिक और सामाजिक महत्व भी था। समय के प्रवाह में एरण का वैभव जाता रहा और सदियों तक उजाड़ रहने के बाद एक अंग्रेज अधिकारी जनरल कनिंघम ने सन् **1874-75** में यहाँ का दौरा किया और ऐतिहासिक महत्व की ढेरों वस्तुएँ प्राप्त कीं। बाद में सन् **1960-65** में सागर विश्वविद्यालय की ओर से यहाँ उत्खनन कराया गया। इस उत्खनन से प्राप्त प्राचीन धातु के औजारों, मिट्टी के बर्तनों, खिलौनों, चूड़ियों, चांदी व तांबे की मुद्राओं, पक्की ईंटों, मिट्टी की प्राचीर के अवशेषों और पशु व स्त्री-पुरुष की ढेरों आकृतियों से एरण की सदियों पुरानी सभ्यता उजागर हुई। खुदाई में मिले इन अवशेषों के अलावा इस क्षेत्र में स्थित अनेक ऐतिहासिक स्मारक व शिलालेखों से ज्ञात हुआ कि ईसा से दो हजार साल पहले भी इस स्थान का अपना महत्व था, लेकिन एरण का मुख्य विकास उसके निर्माता गुप्तकाल (**320** ई. से **495** ई.) में हुआ। कभी दशार्ण के नाम से जाने जानेवाले इस क्षेत्र पर मौर्य वंश के आरंभ (ईसा पूर्व तीसरी सदी) तक आर्यों का शासन रहा। समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर के सामने एक सैंतालीस फीट ऊँचा विशाल स्तंभ है, जिसे गरुड़ध्वज कहा जाता है। इसका निर्माण बुद्ध गुप्त के शासनकाल में हुआ और सन् **484** में निर्मित इस भव्य शिला स्तंभ पर बुद्ध गुप्त का नाम उल्लिखित आज भी विद्यमान है। यह स्तंभ गुप्तकालीन स्थापत्य काल का वेजोड़ नमूना है। जब हूणों ने एरण से गुप्तों के आधिपत्य को समाप्त किया तो हूण नेता तोरमाण ने विष्णु मंदिर के समीप देश में सबसे विशाल वाराह प्रतिमा का निर्माण कराया और इसके वक्षस्थान पर तोरमाण के एरण पर अधिकार से संबंधित लेख अंकित कराया।

राहतगढ़ (किला और वॉटरफॉल)

सागर-भोपाल मार्ग पर करीब **40** किलोमीटर दूर स्थित यह कस्बा वॉटरफॉल के कारण अब एक बेहद लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट है। लेकिन एक समय यह अपने कंगूरेदार दुर्ग, प्राचीर द्वारों, महल और मंदिरों-मस्जिदों के लिए प्रसिद्ध था। अब इस दुर्ग के अवशेष बचे हैं। बीना नदी के ऊँचे किनारे पर स्थित राहतगढ़ पुरावशेषों के अनुसार ग्यारहवीं शतब्दी में परमारों के शासनकाल में बहुत अच्छी स्थिति में था। कस्बे से करीब **3** किलोमीटर दूर स्थित किले की बाहरी दीवारों में कभी बड़ी-बड़ी **26** मीनारें एवं भीतर पहुँचने के लिए **5** बड़े दरवाजे होते थे। बाद में युद्ध और देखरेख की अभाव में यह दुर्ग अतीत की काली गुफा में दफन हो गया।

धामोनी

सागर के उत्तर में झांसी मार्ग पर करीब **50** किलोमीटर की दूरी पर स्थित धामोनी अब उजड़ चुका है। लेकिन इसका ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व है। गढ़ा मंडला के राज्यकाल में महत्वपूर्ण होने के कारण इसे गढ़ बनाया गया था और इसके साथ **50** मौजे थे। गढ़ा मंडला वंश के एक वंशज सूरत शाह ने इस किले को बनवाया था। एक दंत कथा के अनुसार मुगलकाल का मशहूर इतिहासकार अबुल फजल भी यहीं पैदा हुआ था। लेकिन इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आइन-ए-अकबरी में इसका उल्लेख मालवा सूबा में रायसेन की सरकार के महल के रूप में किया गया है। किसी जमाने में यहाँ हाथियों की खरीद-फरोख्त के लिए बाजार लगता था। यह ओरछा के वीरसिंह देव के राज्य में (**1605-27**) शामिल था। उन्होंने किले का फिर से निर्माण कराया था। पुराने खंडहरों के कारण धामोनी पुरातत्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। किले के अलावा यहाँ रानी महल के नाम से विख्यात एक महल भी है। यहाँ का एक अन्य उल्लेखनीय स्थान मुस्लिम संतों की दो मजारें भी हैं। इनमें से एक बालजीत

शाह की मजार है, जिन्हें अबुल फजल का गुरु माना जाता है। दूसरी मजार मस्तान शाह वली की मानी जाती है। उनके बारे में कहा जाता है कि गाँव में पानी नहीं मिलने के कारण उन्होंने धामोनी को बद्दुआ दी थी। यहाँ गर्मियों के मौसम में उर्स लगता है। गाँव के किनारे कुछ जैन मंदिर भी हैं, जिनका निर्माण 1815-19 के बीच हुआ था।

शाहगढ़

सागर जिले के उत्तर पूर्व में सागर-कानपुर मार्ग पर करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह कस्बा कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी है। वनाच्छादित उत्तुंग शैलमाला की तराई में लांच नदी के दक्षिणी किनारे पर बसे शाहगढ़ का इतिहास बुंदेलों की वीरता का साक्ष्य है। करीब 750 गाँवों का यह गढ़ 15वीं शताब्दी में गौंड शासकों के अधीन था। उसके बाद यह छत्रसाल बुंदेला के अधिकार में आया। छत्रसाल ने इसे अपने पुत्र हिरदेशाह के नाम वसीयत कर दिया था। हिरदेशाह की सन् 1739 में मृत्यु हो गई। हिरदेशाह की मौत के बाद उसके कनिष्ठ पुत्र पृथ्वीराज ने बाजीराव पेशवा की सहायता से इसे अपने अधिकार में ले लिया। अंग्रेजों ने शाहगढ़ को परगना मुख्यालय बनाया था। इसमें करीब 500 वर्ग किलोमीटर में करीब सवा सौ गाँव थे। एक समय शाहगढ़ व आसपास के इलाके में कच्चे लोहे की खदानें थीं। इन खदानों से निकाला गया लोहा स्थानीय पद्धति से गलाया जाता था। एक समय यहाँ एक अच्छा नरम पत्थर मिलता था, जिसके कप और गरल बनाये जाते थे। पुराने समय में शाहगढ़ के बने मिट्टी के बर्तन काफी मशहूर थे। इसी कारण वहाँ एक मिट्टी के बर्तन बनाने का प्रशिक्षण केंद्र भी खोला गया था।

सागर जिले में स्थित किलों की एक लंबी श्रृंखला है, जिनमें मुस्लिम शासकों द्वारा निर्मित तीन दुर्गों के अवशेष, खिमलासा, राहतगढ़ तथा मालथौन में स्थित है। सागर से उत्तर में गढ़पहरा, धामौनी, पिठौरिया, मरिया डोह, दक्षिण में गौरझमर, पूर्व में गढ़ाकोटा, पश्चिम में खुरई तथा एरण नामक किलों का निर्माण किया गया था। इसीप्रकार यहाँ शाहगढ़, बरौदिया, हीरापुर, कटनैलगढ़, विलहरा, राजवांस, नरयावली, दुगाहा, गढ़ोला, बरेठा जैसे कुल 32 किलों का उल्लेख मिलता है।

नौरादेही संरक्षित वन और अभयारण्य

नौरादेही अभयाण्य का गठन सन् 1975 में किया गया था। यह करीब 1200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इस अभयारण्य में वन्य जीवों की भरमार है, जिनमें तेंदुआ मुख्य है। एक समय यहाँ कई बाघ भी पाये जाते थे। लेकिन संरक्षण नहीं मिलने के कारण अब वे लुप्त हो चुके हैं। तेंदुआ भी इसी हश्र की ओर अग्रसर है। चिंकारा, हरिण, नीलगाय, सियार, भेड़िया, जंगली कुत्ता, रीछ, मगर, सांभर, चीता तथा कई अन्य वन्य जीव इस क्षेत्र में पाये जाते हैं। नौरादेही अभयारण्य में पहुँचने के लिए डीजल या पेट्रोल से चलनेवाले ऐसे किसी भी वाहन के प्रयोग की छूट है, जो पाँच वर्ष से अधिक पुराना न हो।

पुरातत्वीय संग्रहालय

पुरातत्वीय वैभव से संपन्न जिले के मुख्यालय सागर में दो संग्रहालय हैं। जिला पुरातत्व संग्रहालय तथा विश्वविद्यालय स्थित डॉ हरी सिंह गौर पुरातत्व संग्रहालय, जो वर्तमान में शेर बंगला सिविल लाइन में स्थित है। इस संग्रहालय में वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत्य, जैन तथा बौद्ध कृतियाँ संगृहीत हैं एवं अधिकांश मूर्तियाँ ग्यारहवीं-बारहवीं सदी की हैं। सागर विश्वविद्यालय स्थित हरी सिंह गौर पुरातत्व संग्रहालय में प्रभूत संख्या में प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक तथा ऐतिहासिक काल की दुर्लभ कलाकृतियों, सिक्कों, अभिलेखों तथा चित्रों का संग्रह है। संग्रहालय अपनी भव्यता के लिए विख्यात है। देशी व विदेशी पर्यटक भी यहाँ पहुँचते हैं।

विश्वविद्यालय

सागर में स्थित डॉ हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है। विंध्य पर्वतमाला की पर्थया हिल्स पर स्थित इसका परिसर अत्यंत विस्तृत है। इसकी स्थापना डॉ हरी सिंह गौर ने 18 जुलाई, 1949 को अपनी निजी पूँजी से की थी। किसी एक व्यक्ति के दान से स्थापित होनेवाला यह देश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। सन् 1983 में इसका नाम डॉ हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया। 7 मार्च, 2008 से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय की श्रेणी प्रदान की गई है।

प्रागैतिहासिक शैलाश्रय

प्रागैतिहासिक शैलाश्रय तथा उन पर आदि मानवों द्वारा की गई चित्रकारी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होती हैं। सागर क्षेत्र में कई स्थानों, जैसे खानपुर, आवचंद, नरयावली, गढ़ौली, मौलाली, कड़ता, वीला, जरारा, जैरई, भापेल, पगारा, तालगुवारी, गौरीदांत, धामोनी (मड़िया), पाथरी कोटा, बरौदिया, हीरापुर के समीप प्रागैतिहासिक शैलाश्रय विद्यमान हैं। ये गुफाएँ गधेरी नदी की घाटी में आवचंद के रक्षित वन की घनी झाड़ियों वाले क्षेत्र में सुरक्षित हैं। इन गुफाओं में पाये गये शैल चित्रों में भी उसी प्रकार की रंगीन चित्रकारी की गई है, जैसी सिंघनपुर और आदमगढ़ में प्राप्त हुई है। सबसे बड़ी गुफा करीब 40 फुट लंबी है। यहाँ साल में एक बार मकर संक्रांति पर मेला लगता है, जिसे गुफा मेला कहते हैं। आवचंद के शैलचित्रों में पुरामानव की लोक चित्रकला के दर्शन होते हैं।

- ए-305, ओ.सी.आर.
विधान सभा मार्ग, लखनऊ
मोबाइल: +91 9415508695

आओ भाषा सीखें

भारत की सामान्य जनता के लिए रेल की यात्रा सबसे सुखद मानी गई है। लेकिन लोग कभी-कभी अपनी गलतियों की वजह से इसे दुष्कर बना लेते हैं। इसी के दृष्टिगत 'सुगंध' के इस अंक में निम्नलिखित संवाद बनाया गया है। आशा है कि पाठक हमारे इस प्रयास से लाभान्वित होंगे।

आशा : लता! बच्चों की छुट्टियों में अब की बार कहाँ जाने का विचार है?

ఆశా : లతా! బచ్చోం కీ ఛుట్టియోం మేం అబ్ కీ బార్ కహాం జానే కా విచార్ హై?

ఆశ : లతా! పిల్లలకు సెలవులు కదా, ఈ సారి ఎక్కడికి వెళ్దామనుకుంటున్నారు?

आशा : लता! पिल्ललकु सेलवुलु कदा, ई सारि एक्कडिकि वेल्दामनुकुंटुन्नारु?

लता : आशा! अब की बार सिक्किम जाने की सोच रहे हैं।

లతా : ఆశా! అబ్ కీ బార్ సిక్కిం జానే కీ సోచ్ రహే హైం.

లత : ఆశా! ఈ సారి సిక్కిం వెళ్లాలనుకుంటున్నాము.

लता : आशा! ई सारि सिक्किम् वेल्लालनुकुंटुन्नामु।

आशा : रिजर्वेशन करा लिया क्या? क्योंकि गर्मियों में ए.सी. का टिकट मिलना मुश्किल होता है।

ఆశా : రిజర్వేషన్ కరా లియా క్యా? క్యోంకి గర్మియోం మేం ఎ.సి. కా టికట్ మిల్నా ముష్కిల్ హోతా హై.

ఆశా : రిజర్వేషన్ చేయించుకున్నావా? ఎందుకంటే వేసవి సెలవుల్లో ఎ.సి. టికెట్ దొరకడం కష్టమవుతుంది.

आशा : रिजर्वेशन चेइंचुकुन्नावा? एंदुकंटे वेसवि सेलवुल्लो ए.सी. टिकेट दोरकडम् कष्टमवुतुंदि।

लता : हमने एजेंट को टिकट बुक करने के लिए कह दिया है।

లతా : హమ్‌నే ఏజెంట్ కో టికట్ బుక్ కరనే కే లియే కహా దియా హై.

లత : మేము ఏజెంట్ కి టికెట్ బుక్ చేయమని చెప్పాం.

लता : मेमु एजेंट कि टिकेट बुक चेयमनि चेप्पाम्।

आशा : एजेंट को ठीक से समझा दिया न। नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है, जैसे पद्मा के साथ हुआ...

ఆశా : ఏజెంట్ కో ఠీక్ సే సమ్‌ఝా దియా న. నహీ తో బాద్ మేం దిక్కత్ హో సక్తీ హై, జైసే పద్మా కే సాథ్ హువా...

ఆశ : ఏజెంట్ కి సరిగ్గా చెప్పావు కదా. లేకపోతే తరువాత పద్మలా ఇబ్బంది పడతారు.

आशा : एजेंट कि सरिग्गा चेप्पावु कदा। लेकपोते तरुवात पद्मला इब्बंदि पडतारु।

लता : क्या हुआ?

లతా : క్యా హువా?

లత : ఏమైంది?

लता : एमैंदि?

आशा : एक बार पद्मा अपने परिवार के साथ शिरडी जा रही थी।

ఆశా : ఏక్ బార్ పద్మా అప్‌నే పరివార్ కే సాథ్ షిర్డీ జా రహీ థీ.

ఆశ : ఒకసారి పద్మ తన కుటుంబంతో షిర్డీకి వెళ్ళింది.

आशा : ओकसारि पद्मा तन कुटुंबंतो शिरडीकि वेल्लिंदि।

लता : तो...

లతా : తో....

లత : అయితే....

लता : अइते.....

आशा : उसने एजेंट से किसी भी गाड़ी से ए.सी. में टिकट बुक करने के लिए कह दिया।

ఆశా : ఉస్‌నే ఏజెంట్ సే కిసీ భీ గాడీ సే ఎ.సి. మే టికట్ బుక్ కరనే కే లియే కహా దియా.

ఆశ : తను ఏజెంట్ కి ఏ బండికైనా ఎ.సి. టికెట్ బుక్ చేసేయమని చెప్పింది.

आशा : तनु एजेंट कि ए बंडिकैना ए.सी. टिकेट बुक चेसेयमनि चेप्पिंदि।

लता : ठीक ही तो किया?

లతా : ఠీక్ హీ తో కియా?

లత : బాగానే చెప్పింది.

लता : बागाने चेप्पिंदि।

आशा : पूरा किस्सा तो सुन लो। एजेंट ने विजयवाडा से मन्माड़ जानेवाली गाड़ी में टिकट बुक कर दिया।

ఆశా : పూరా కిస్సా తో సున్ లో. ఏజెంట్ నే విజయవాడా సే మన్మాడ్ జానేవాలీ గాడీ మేఁ టికట్ బుక్ కర్ దియా.

ఆశ : పూర్తిగా విను. ఏజెంట్ విజయవాడ నుండి మన్మాడ్ కి వెళ్ళే బండికి టికెట్ బుక్ చేసేశాడు.

आशा : पूर्तिगा विनु। एजेंट विजयवाड नुंडि मन्माड कि वेल्ले वंडिकि टिकेट बुक चेसेसाडु।

लता : तो क्या हुआ?

లతా : తో క్యా హువా?

లత : అయితే...

लता : अइते...

आशा : जब ये लोग खम्मम में गाड़ी पकड़नेवाले थे, उसी समय नरसापुर से नागरसोल जानेवाली गाड़ी भी रुकी हुई थी और इन लोगों ने गलती से वह गाड़ी पकड़ ली।

ఆశా : జబ్ యే లోగ్ ఖమ్మమ్ మేఁ గాడీ పకడ్‌నేవాలే థే, ఉసీ సమయ్ నర్‌సాపుర్ సే నాగర్‌సోల్ జానేవాలీ గాడీ భీ రుకీ హుయీ థీ ఔర్ ఇన్ లోగోఁ నే గల్‌తీ సే వహ్ గాడీ పకడ్ లీ.

ఆశ : వీళ్ళు ఖమ్మంలో బండి ఎక్కేటప్పుడు నర్సాపూర్ నుండి నాగర్‌సోల్ వెళ్ళే బండి కూడా ఆగి ఉండింది, వీళ్లు పొరపాటున ఆ బండి ఎక్కేసారు.

आशा : वील्लु खम्मम्लो वंडि एक्केटप्पुडु नर्सापूर नुंडि नागरसोल वेल्ले वंडि कूडा आगि उंडिंदि, वील्लु पोरपाटुन आ वंडि एक्केसारु।

लता : आगे क्या हुआ?

లతా : ఆగే క్యా హువా?

లత : తరువాత ఏమైంది?

लता : तरुवात एमैंदि?

आशा : गाड़ी में वे सीटें खाली थीं, जो इनके टिकट में दर्ज थीं।

ఆశా : గాడీ మేఁ వే సీటేఁ ఖాలీ థీఁ, జో ఇన్‌కే టికట్ మే దర్జ్ థీఁ.

ఆశ : బండిలో వీళ్ళ టికెట్ మీదున్న సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి.

आशा : वंडिलो वील्ल टिकेट मीदुन्ना सीट्लु खालीगा उन्नायि।

लता : और...

లతా : ఔర్...

లత : అయితే...

लता : अइते...

आशा : जब टी.टी.ई. टिकट देखने लगा, तब इनको पता चला कि गाड़ी मन्माड़ नहीं, नागरसोल जा रही है।

ఆశా : జబ్ టి.టి.యి. టికట్ దేఖ్‌నే లగా, తబ్ ఇన్‌కో పతా చలా కి గాడీ మన్మాడ్ నహీఁ, నాగర్‌సోల్ జా రహీ హై.

ఆశ : టి.టి.యి. టికెట్ చూస్తునప్పుడు వీళ్ళకి బండి మన్మాడ్‌కి కాదు, నాగర్‌సోల్‌కి వెళ్తోందన్న సంగతి తెలిసింది.

आशा : टी.टी.ई. टिकेट चूस्तुनप्पुडु वील्लकि वंडि मन्माडकि कादु, नागरसोलकि वेल्तोंदन्न संगति तेलिसिंदि।

लता : लेकिन नागरसोल जानेवाली गाड़ी तो शिरडी भी जाती है न...

లతా : లేకిన్ నాగర్‌సోల్ జానేవాలీ గాడీ తో షిర్డీ భీ జాతీ హై న...

లత : అవును, నాగర్‌సోల్ వెళ్ళే బండి షిర్డీకి కూడా వెళ్తుంది కదా...

लता : अवुनु, नागरसोल वेल्ले वंडि शिरडीकि कूडा वेल्तुंदि कदा...

आशा : हाँ जाती है, लेकिन इनका टिकट उस गाड़ी का नहीं था न। टी.टी.ई. ने इन्हें हैदराबाद में गाड़ी बदलने के लिए कह दिया।

ఆశా : హాఁ జాతీ హై, లేకిన్ ఇన్‌కా టికట్ ఉస్ గాడీ కా నహీఁ థా న. టి.టి.యి. నే ఇన్హేఁ హైదరాబాద్ మేఁ గాడీ బదల్‌నే కే లియే కహ్ దియా.

ఆశ : అవును వెళ్తుంది, కాని వీళ్ళ టికెట్ వేరే బండికి చేయించింది కదా. టి.టి.యి. వీళ్ళని హైదరాబాదులో బండి మారిపొమ్మని చెప్పాడు.

आशा : अवुनु वेल्तुंदि, कानि वील्ल टिकेट वेरे वंडिकि चेइंचिनदि कदा। टी.टी.ई. वील्लनि हैदरावादुलो वंडि मारिपोम्मनि चेप्पाडु।

लता : अच्छा? इसका मतलब टी.टी.ई. अच्छा आदमी था।

లతా : అచ్ఛా? ఇస్‌కా మతలబ్ టి.టి.యి. అచ్ఛా ఆద్‌మీ థా.

లత : పోన్లే, టి.టి.యి. మంచివాడన్న మాట.

लता : पोन्ले, टी.टी.ई. मंचिवाडन्न माट।

आशा : इनकी गाड़ी हैदराबाद में प्लेटफार्म-8 पर रुकी और मन्माड़ जानेवाली गाड़ी प्लेटफार्म-1 पर खड़ी थी।

ఆశా : ఇన్‌కీ గాడీ హైదరాబాద్ మేఁ ప్లాట్‌ఫామ్-8 పర్ రుకీ ఔర్ మన్మాడ్ జానేవాలీ గాడీ ప్లాట్‌ఫామ్-1 పర్ ఖడీ థీ.

ఆశ : హైదరాబాదులో వీళ్ళు బండి ప్లాట్‌ఫాం-8 మీద ఆగింది, ఇంకా మన్మాడ్ వెళ్ళే బండి ప్లాట్‌ఫామ్-1 మీద ఆగింది.
आशा : हैदरावादुलो वील्ल वंडि प्लाटफाम्-8 मीद आगिंदि, इंका मन्माड वेल्ले वंडि प्लाटफाम्-1 मीद आगिंदि।
लता : तो क्या इनकी गाड़ी छूट गई? हैदरावाद में तो बहुत भीड़-भाड़ रहती है।
लता : తో క్యా ఇన్‌కీ గాడీ ఛూట్ గయీ? హైదరాబాద్ మేఁ తో బహుత్ భీడ్-భాడ్ రహ్‌తీ హై.
లత : అయితే ఇంతకీ వీళ్ళు బండి ఎక్కగలిగారా? అసలే హైదరాబాదు స్టేషను రద్దీగా ఉంటుంది.
लता : अइते इंतकी वील्लु वंडि एक्कगलिगारा? असले हैदरावादु स्टेशनु रद्दीगा उंटुंदि।
आशा : हैदरावाद में गाड़ी का इंजन बदलता है। इसीलिए कुछ देर तक रुकी रही और ये लोग किसी तरह गाड़ी में चढ़ गये।
आशा : హైదరాబాద్ మే గాడీ కా ఇంజన్ బదల్‌తా హై. ఇసీలియే కుఛ్ దేర్ తక్ రుకీ రహీ ఔర్ యే లోగ్ కిసీ తరహ్ గాడీ మేఁ చఢ్ గయే.
ఆశ : హైదరాబాదులో బండికి ఇంజను మారుస్తారు. కాబట్టి కొంచెం సేపు ఆగుతుంది, అందుకనే వీళ్లు బండి ఎక్కగలిగారు.
आशा : हैदरावादुलो वंडिकि इंजनु मारुस्तारु। कावट्टि कोंचेम् सेपु आगुतुंदि, अंदुकने वील्लु वंडि एक्कगलिगारु।
लता : लता! हमारे देश में रेल-यात्रा बहुत सुखद हो सकती है। लेकिन इसके लिए हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी होंगी।
लता : లతా! హమారే దేశ్ మేఁ రేల్-యాత్రా బహుత్ సుఖద్ హో సక్‌తీ హై. లేకిన్ ఇస్‌కే లియే హమేఁ కుఛ్ సావధానియాఁ బరత్‌నీ హోంగీ.
లత : లతా! మన దేశంలో రైలు ప్రయాణం చాలా సౌకర్యంగా ఉంటుంది. కాని మనం ప్రయాణం చేసేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించవలసి ఉంటుంది.
लता : लता! मन देशंलो रैलु प्रयाणम् चाला सौकर्यंगा उंटुंदि। कानि मनम् प्रयाणम् चेसेटप्पुडु कोन्नि जाग्रत्तलु पाटिंचवलसि उंटुंदि।
आशा : ठीक कहती हो! कुछ लोग गाड़ी के छूटते समय स्टेशन पर आते हैं और भाग-दौड़ करने लगते हैं।
आशा : ఠీక్ కహ్‌తీ హో! కుఛ్ లోగ్ గాడీ కే ఛూట్‌తే సమయ్ స్టేషన్ పర్ ఆతే హైఁ ఔర్ భాగ్-దౌడ్ కర్‌నే లగ్‌తే హైఁ.
ఆశ : నిజమే! కొంతమంది బండి బయలుదేరేటప్పుడు స్టేషన్‌కి వస్తారు, పైపెచ్చు పరుగులు పెడుతూ ఉంటారు.
आशा : निजमे! कोंतमंदि वंडि बयलुदेरेटप्पुडु स्टेशनकि वस्तारु, पैपेच्चु परुगुलु पेडुतू उंटारु।
लता : हाँ एक बार ऐसा ही मैंने देखा। एक आदमी अपनी औरत को गाड़ी में चढ़ा दिया। लेकिन वह और उसका बेटा स्टेशन पर ही रह गये थे।
लता : హాఁ ఏక్ బార్ ఐసా హీ మైఁనే దేఖా. ఏక్ ఆద్‌మీ అప్‌నీ ఔరత్ కో గాడీ మేఁ చఢా దియా. లేకిన్ వహ్ ఔర్ ఉస్‌కా బేటా స్టేషన్ పర్ హీ రహ్ గయే థే.
లత : ఒకసారి ఏమైందంటే ఒకతను తన భార్యను బండి ఎక్కించేసాడు, కాని అతను, అతని కొడుకు బండి ఎక్కలేకపోయారు.
लता : ओकसारि एमैंदंटे ओकतनु तन भार्यनु वंडि एक्किंचेसाडु, कानि अतनु, अतनि कोडुकु वंडि एक्कलेकपोयारु।
आशा : तब क्या किया?
आशा : తబ్ క్యా కియా?
ఆశ : అప్పుడేం చేసారు?
आशा : अप्पुडेम् चेसारु?
लता : इतने में किसी ने जंजीर खींचा, तब ये लोग चढ़ पाये।
लता : ఇత్‌నే మేఁ కిసీ నే జంజీర్ ఖీంచా, తబ్ యే లోగ్ చఢ్ పాయే.
లత : ఈలోపల ఎవరో చైను లాగారు, దాంతో వీళ్లు బండి ఎక్కగలిగారు.
लता : ईलोपल एवरो चैनु लागारु, दांतो वील्लु वंडि एक्कगलिगारु।
आशा : कुछ लोग अधिक सामान लेकर चलते हैं, जिससे उनकी यात्रा दुखद बन जाती है।
आशा : కుఛ్ లోగ్ అధిక్ సామాన్ లేకర్ చల్‌తే హైఁ, జిస్‌సే ఉన్‌కీ యాత్రా దుఖద్ బన్ జాతీ హై.
ఆశ : కొంతమంది ఎక్కువ లగేజ్ తీసుకుని బయలుదేరుతారు, ప్రయాణంలో చాలా ఇబ్బంది పడతారు.
आशा : कोंतमंदि एक्कुव लगेज तीसुकुनि बयलुदेरुतारु, प्रयाणंलो चाला इब्बंदि पडतारु।
लता : इतना ही नहीं, कुछ लोग तो चलती गाड़ी से उतरने और चढ़ने का शौक पाले रहते हैं और दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं।
लता : ఇత్‌నా హీ నహీఁ, కుఛ్ లోగ్ తో చల్‌తీ గాడీ మేఁ చఢ్‌నే ఔర్ ఉతర్‌నే కా షౌక్ పాలే రహ్‌తే హైఁ ఔర్ దుర్ఘటనావోఁ కే షికార్ హోతే హైఁ.
లత : అంతే కాదు, కొంతమందికి నడుస్తున్న బండిలో ఎక్కడం, దిగడం సరదాగా ఉంటుంది, అలాగే ప్రమాదాలకు గురవుతూ ఉంటారు.
लता : अंते कादु, कोंतमंदिकि नडुस्तुन्न वंडिलो एक्कडम्, दिगडम् सरदागा उंटुंदि, अलागे प्रमादालकु गुरवुतू उंटारु।

आशा : हमें अपनी रेल-यात्रा सुखद बनाने के लिए कम सामान और सावधानी के साथ योजना बनानी चाहिए।
आशा : హమేఁ అప్‌నీ రేల్-యాత్రా సుఖద్ బనానే కే లియే కమ్ సామాన్ ఔర్ సావధానీ కే సాథ్ యోజనా బనానీ చాహియే.
ఆశ : మనం రైలు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు తక్కువ సామానుతో జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
आशा : मनम् रैलु प्रयाणम् चेसेटप्पुडु तक्कुव सामानुतो जाग्रत्तगा प्लान चेसुकोवाल्सि उंटुंदि।

- प्रबंधक (हिंदी), हिंदी कक्ष
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र
मोबाइल: +91 9866321109

छत्तीसगढ़ के जिला धमतरी से प्रकाशित होनेवाले 'प्रखर समाचार' में दि.5 जुलाई, 2014 को 'सुगंध' पत्रिका के संबंध में समीक्षा छपी है, जो पाठकों के अवलोकनार्थ यथावत नीचे प्रस्तुत है।

भाषा में संवेदनाओं की पत्रिका

सुगन्ध

विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र से निकलने वाली त्रैमासिक पत्रिका 'सुगन्ध' अपनी संवेदनाओं और भावनाओं से परिपूर्ण है। पत्रिका चूँकि निरंतर प्रकाशित हो रही है, इस कारण इनके संपादकीय कालम भी उच्चस्तरीय हैं। पत्रिका की खासियत यह भी है कि राजभाषा और भाषा के लिए जेहाद छेड़ी है। 'सुगंध' पत्रिका में गीत, कविताएँ, कहानी, गजलें सहित आत्म अभिव्यक्तियाँ फूटकर निकलती हैं। पाठकों की ओर से इस पत्रिका को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है।

पत्रिका में श्रीमती अनिता रश्मि की कहानी 'सन्यासी' पढ़ने को मजबूर करती है, वहीं 'माँ' कहानी भी मार्मिकता को सिद्ध करती है। 'सुगंध' पत्रिका में अखिलेश त्रिवेदी शाश्वत की ग्यारह गजलें जेहन को खोलती हैं। बानगी देखिए - 'दिल में सपने तमाम हैं साहब, सब मुहब्बत के नाम हैं साहब/जैसे रखती है, वैसे रहते हैं, जिंदगी के गुलाम हैं साहब।' पद्मभूषण से सम्मानित मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें गजल गायकी का बादशाह बताया। श्रीमती लक्ष्मी शर्मा का 'बाड़ी का जिन्न' और ओम प्रकाश मंजुल का व्यंग्य बोलता नजर आता है। सुश्री आई लिखिता की नई कविता 'बस एक दोस्त' नई चेतना का द्वार खोलती है - 'क्यों नहीं है, आसमान मेरे साथ इस धरती पर/पूछूँ तो सब कहते हैं, मुझमें है पागलपन।'

'सुगंध' पत्रिका के संपादक वै बालाजी अपने संपादकीय में लिखते हैं - 'आत्मविश्वास एक मन:स्थिति है, जो प्रकृति, संस्कृति, परिस्थिति, नियति किसी के भी विरुद्ध खड़ी हो सकती है और फिर किसी के साथ खड़ा होने की ताकत भी रख सकती है। राष्ट्रीय भावना और राजभाषा के विकास के लिए यह पत्रिका निरंतर इस्पात संयंत्र द्वारा निकल रही है।

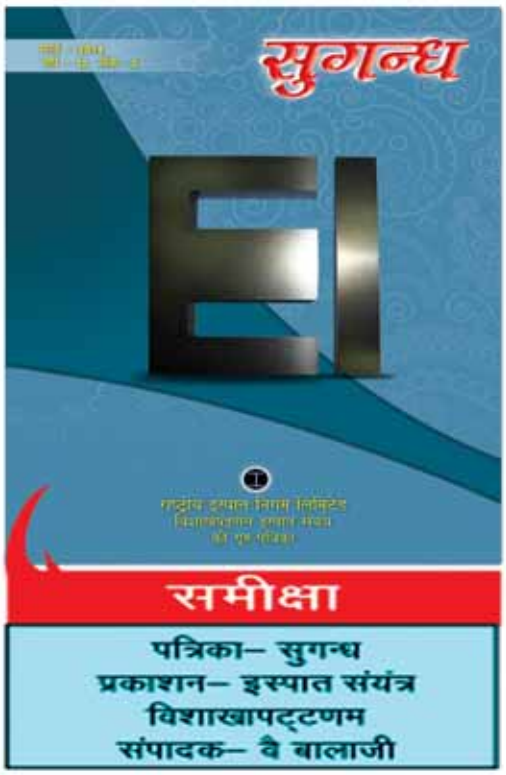

'सुगंध' पत्रिका की छपाई आकर्षक है। इसको खोलने से ही संवेदनाओं की सुगंध पाठकों तक पहुँचती है। विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र की यह पत्रिका विभिन्न विषयों और विविध जानकारियों से लबरेज है।

- तिलक लागे
ग्राम+पो.अछोटा
जिला धमतरी, छत्तीसगढ़
मोबाइल: +91 9907299178

जरा गौर करें

समय किसके हाथ में कब कौन सी जिम्मेदारी सौंपेगा और उसका परिणाम क्या होगा, किसी को नहीं पता। इसीलिए कभी-कभी बहुत ही शांत और सुशील सा दीखने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा कारनामा करके दुनिया की नजरों में एकाएक हीरो बन जाता है। केरल राज्य के पालघाट जिले का एक बच्चा जिसने अपनी शुरुआती पढ़ाई नजदीक स्थित बेसिल एवांजेलिकल मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल में की और बाद में आगे की पढ़ाई भी स्थानीय विक्टोरिया कॉलेज में की। यह बच्चा बहुत कुशाग्र बुद्धि या असाधारण नहीं था।

सामान्य कद काठी वाला यह बच्चा अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके भारतीय रेल के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की। धीरे-धीरे उसने अपने काम से उच्चाधिकारियों को खुश कर दिया। क्योंकि वह बड़ा ही मेहनती, समर्पित और मृदुभाषी था।

संयोगवश **1963** में तमिलनाडु राज्य को रामेश्वरम से जोड़ने वाला पब्बन का पुल तूफान से टूट गया। इसे पुन: ठीक करने के लिए भारतीय रेलवे ने **60** दिनों की समय सीमा तय की और इस परियोजना की जिम्मेदारी पालघाट के उस नवजवान अभियंता को दे दी। इस अभियंता ने अपनी लगन और कड़ी मेहनत के बल पर उस टूटे पुल का पुनर्निमाण मात्र **46** दिनों में करा लिया। यह देखकर पूरा रेलवे प्रशासन चकित रह गया। इसीलिए **1963** में उस युवा अभियंता को रेलवे मिनिस्टर पुरस्कार प्रदान किया गया।

1970 में रेल मंत्रालय ने फिर उस अभियंता पर विश्वास व्यक्त करते हुए कोलकाता मेट्रो परियोजना का कार्यभार सौंपा, जिसे उसने उल्लेखनीय तरीके से पूरा करके भारतीय रेल के इतिहास में एक सुनहरा पन्ना जोड़ दिया।

1990 में सेवानिवृत्ति के बाद भी देश को इस अभियंता की सेवाओं की आवश्यकता बनी रही। सेवानिवृत्ति के बाद उसे कोंकण रेलवे की परियोजना का अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक बनाया गया, जिसका उसने अत्याधुनिक व अनुकरणीय तरीके से निर्माण कराया। बूढ़े हो चुके इस अभियंता में अभी भी उच्च बौद्धिक क्षमता और अदम्य साहस थी। इसीलिए भारत सरकार ने उसकी सेवाओं को दिल्ली मेट्रो में भी लेना श्रेयस्कर समझा और **2005** में उसे दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना का अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक बनाया गया। इस परियोजना को भी उसने पूरी उत्कृष्टता से पूरा किया।

पालघाट का वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि श्री ई श्रीधरन जी हैं, जिन्हें दुनिया मेट्रो मैन के नाम से जानती है। उनका जन्म **12** जून **1932** को पालघाट में हुआ था और आज वे **82** वर्ष के हो चुके हैं। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्मविभूषण जैसे सम्मानों से अलंकृत किया है। साथ ही उन्हें फ्रांस सरकार ने भी अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'नाइट ऑफ दी लिजो ऑफ ऑनर' प्रदान किया है।

मेट्रो मैन श्रीधरन की सफलता का राज उनके अनुशासन, समयबद्धता और ईमानदारी में अंतर्निहित है। इसीलिए उनकी परियोजनाएँ पूर्ण सफलता एवं उत्कृष्टता के साथ पूरी हुई हैं।

आर.आइ.एन.एल RINL
VIZAG STEEL
Pride of Steel
नवरत्न कंपनी